Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का छठा दिवस [संख्या ६

सोमवार, दिनांक ४ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खनिज, शिक्षा, कृषि, राजस्व, उद्योग, देवस्थान, खाद्यान्न, गृह निर्माण, पंचायत एवं जागीर–विभाग]

बकाया रकमों की वसूली, जिला भीलवाड़ा

९८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भीलवाडा जिले में अभ्रक एवं अन्य खानों में काम कर रही किन किन कम्पनियों तथा एम. एल. और पी. एल. होल्डर्स में सरकार का डैड रेन्ट व मशीनों के किराये का कितना रुपया कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उक्त बकाया की वसूली के लिये सरकार द्वारा आज तक क्या क्या कदम उठाये गये और उसमें कहां तक सफलता मिली है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) भीलवाडा जिले में अभ्रक एवं अन्य खानों में काम करने वाली कम्पनियों एवं एम. एल., पी. एल. होल्डर्स में सरकार का डैड रेन्ट रायल्टी व मशीनों के किराये की बाकियात की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) उक्त बाकियात की वसूली के लिये सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं वे प्रत्येक बाकीदार के नाम के आगे उक्त सूची में अंकित हैं ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मानिकचन्द सुराणा : पिछले वर्ष कितने रुपयों की रिकवरी अलग अलग लीज होल्डर्स से हुई है, ६०-६१ में कितनी, ६१-६२ में कितनी, यह बता सकते हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस साल की सूची को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बाकियात ज्यादा नहीं हैं डेढ़ और पौने दो लाख के केसेज ऐसे हैं, जिनके लिये स्टे आर्डर सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से हो चुके हैं । जब तक उसके बारे में फैसला नहीं हो जाता वह बाकियात वसूल नहीं की जा सकती । दो केसेज ऐसे हैं जिनमें काफी रकम है, जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के रेफरेन्स के लिये

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

गये हुए हैं। उनके रेफरेन्स की स्वीकृति-अस्वीकृति का फैसला जब तक नहीं हो जाता है उस वक्त तक वसूली नहीं की जा सकती। बाकी का सिक्योरिटी से एडजस्ट किया जा रहा है। वैसे देखा जाय तो बाकियात कोई ज्यादा नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मेरा प्रश्न यह है कि ६१-६२ में और ६२-६३ में कितनी रिकवरी हुई है, कितनी नहीं हुई है स्पेसिफिक अमाउन्ट चाहता हूं। पांच लाख की रिकवरी हुई उसमें ६१-६२ में कितनी हुई और ६२-६३ में कितनी हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस बात की ही यह सूची है, कितनी बाकी रही। कितनी टोटल रिकवरीज थीं उसकी व्याख्या इसमें नहीं की गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: चार दिन पहले माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि माइन्स डिपार्टमेन्ट की लीज होल्डर्स में ६१ लाख की बकाया है। यहां जो एक जिले की रिकवरी बतायी हुई है उसी में पांच लाख रुपये रिकवर होने बाकी हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि माइन्स डिपार्टमेन्ट की रिकवरीज के सिलसिले में बहुत ढिलमिल नीति है। माननीय मंत्री महोदय को इसमें चुस्ती लानी चाहिये। इन रिकवरीज का ताल्लुक बहुत कुछ एमजेन्सी से भी है, क्योंकि फाइनेन्सेज चाहिये, इसमें भी ढिलाई से काम लिया जा रहा है। ६०-६१ और ६१-६२ में कितनी वसूली हुई, यह मंत्री महोदय नहीं बता सकते तो यह रिकवरीज के बारे में नेग्लीजेन्स साफ प्रतीत होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: भीलवाड़ा जिला ही एक ऐसा जिला है जिसके अन्दर सबसे ज्यादा मेजर मिनरल्स की खानें है, वहां पर सबसे ज्यादा पार्टीज वर्क कर रही हैं। ६१ लाख के मुकाबले में ५ लाख बाकी होना कोई बहुत बडी बात नहीं है। डेढ लाख के लिये स्टे आर्डर हो रखा है। डेढ, पौने दो लाख के मामले हाई कोर्ट के पास चल रहे हैं। डेढ लाख की रिकवरी हो गई ६२-६३ का एक लाख रुपया बाकी है, अभी तक यह साल चल रहा है। एक लाख रुपया केवल बाकी है तो उसके लिये समय भी बाकी है। इस तरह से साधारण सी रकम है जो बकाया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): हाई कोर्ट में जो रेफरेन्सेज के लिये केसेज गये हुए हैं वह किसकी लापरवाही से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: लोगों ने रिट एप्लीकेशन की है और इस तरह से हाई कोर्ट और सिविल कोर्टस् द्वारा स्टे आर्डर दिये हुए हैं उनका फैसला कोर्टस् के हाथ में है।

श्री अध्यक्ष: भारत सरकार के पास मामले किस मतलब से चल रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट होने से बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं जिनमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को डिसीजन के लिये रेफर करना पड़ता है। इसमें ६९ हजार का एक केस है वह गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के रेफरेन्स के लिये गया हुआ है। रेफरेन्सेज में जिन पोइन्ट्स पर डिस्प्यूट किया गया, recovery is to be made in particular year उनकी ओर से जब तक फैसला नहीं आता तब तक रिकवरी नहीं कर सकते।

श्री मानिकचन्द सुराणा: रेफरेन्सेज के सिलसिले में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने स्टे आर्डर दिया है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: हम डिस्प्यूटेड मानते हैं वह भेजते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: माइन्स एक्ट में प्रावधान है क्या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को रेफरेन्स करने का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कितने एरिया का डैड रेन्ट लिया जाय, किस तरीके से लिया जाय; चार मद रिकवरी के लिये अहम होते हैं। डैड रेन्ट आदि के बारे में कोई डिस्प्यूट हो तो पार्टी और गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को रेफरेन्स कर सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इसके लिये स्पेसिफिक प्रोविजन है क्या ? इस प्रकार के डिस्प्यूट को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास ले जाना लाजिमी नहीं है। कोई भी लीज होल्डर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो तो वह सेन्ट्रल गवंमेन्ट के पास जा सकता है, आप खुद मूव करें ऐसा कोई प्रोविजन हो तो बता दीजिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कानून में प्रोविजन है। इस प्रकार के रेफरेन्सेज किये जाते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: इन रेफरेन्सेज पर कोई स्टे आर्डर है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: It is not like your High Court appeal where a stay order is required to be passed. It is about the interest on certain principle.

श्री मानिकचन्द सुराणा: Then it is a voluntary stay order by the State Government.

ग्राम थोई, जिला सीकर की स्कूल म वाणिज्य कक्षायें

९९. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि संचालक, शिक्षा विभाग को ग्राम थोई, जिला सीकर की जनता ने स्थानीय राजकीय जूनियर हायर सैकन्डरी स्कूल, थोई में वाणिज्य कक्षायें चालू करने के लिये कई आवेदन-पत्र दिये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि वाणिज्य कक्षा के लिये होने वाले व्यय का भार स्थानीय जनता वहन करने को तैयार है ?

(३) क्या यह सही है कि स्कूल हैड मास्टर तथा जिला निरीक्षक महोदय ने भी इस आशय की सिफारिश की है ?

(४) यदि हां, तो सरकार को इस स्कूल में वाणिज्य कक्षायें खोलने में क्या एतराज है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) ग्राम थोई, जिला सीकर की जनता ने राजकीय जूनियर हायर सैकन्डरी स्कूल में वाणिज्य विषय चालू करने के लिये ९-७-६२ को केवल एक प्रार्थना-पत्र दिया था।

(२) स्थानीय जनता केवल चार टाइप राईटर देने को तैयार हुई थी।

(३) जी हां।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(४) मितव्ययता योजना को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया कि इस वर्ष किसी भी स्कूल में विज्ञान व वाणिज्य नहीं खोला जावे। इसके अलावा भी वहां नवीं कक्षा में केवल २७ विद्यार्थी हैं। यह संख्या वाणिज्य खोलने के लिये उपयुक्त नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: अगर वहां की जनता पूरा खर्चा देने के लिये तैयार हो तो क्या सरकार मितव्ययता के सिद्धान्त को दूर रख कर वहां कक्षायें खोल सकती है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: पूरा खर्चा शिक्षा विभाग के नियमानुसार दिया जाना आवश्यक है। अगर वहा की जनता तैयार है तो सरकार को कोई हिचक नहीं होगी। माननीय सदस्य के इल्म में यह होना चाहिये कि पूरा खर्चा क्या होगा।

श्री अध्यक्ष: आप ही बता दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य: पूरे खर्चे में चार टाइपराइटर ठीक नहीं। तीन चार विद्यार्थियों के बीच एक टाइपराइटर होना चाहिये। इसके अलावा फर्नीचर, स्टाफ, लाइब्रेरी, दूसरा सामान और रेकरिंग एक्सपेन्डीचर है। सारे खर्चे को देखते हुए करीब १० हजार से ज्यादा खर्चा जनता पर पड़ सकता है। यह प्रश्न जनता, आप और मेरे बीच में तय हो सकता है और फिर निर्णय लिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह: क्या आपने जो अभी बातें बताई वे सरकार द्वारा प्रेस्क्राइब्ड हैं और लिखी हुई है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: हां, प्रेस्क्राइब्ड हैं और नियमों के अनुसार ही हैं दोनों।

श्री भैरोंसिंह: कहीं लिखी हुई हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य: जी हां। ९वीं क्लास में २७ विद्यार्थी हैं। हमारे नियमानुसार ३० से कम नहीं होने चाहिए। पहले तो यही दिक्कत आ जाती है।

श्री अध्यक्ष: श्री स्वरूपनारायण पुरोहित।

सीकर जिले से पशपालन विभाग का स्थानान्तरण

१००. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) सीकर जिले से पशुपालन विभाग का स्थानान्तरण किन विशेष कारणों से किया गया है?

(२) क्या जिस स्थान पर यह स्थानान्तरण किया गया है वह प्रथम श्रेणी के पशु-चिकित्सालय से सज्ज है?

(३) क्या सीकर में पिछले १८-२० साल से यह कार्य बड़े सुयोग्य एवं सुचारु ढंग से नहीं चल रहा था?

(४) क्या इस विषय में जिले के विधायकों की भी राय ली गई थी?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) सीकर जिले के डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेन्डरी आफिसर के कार्यालय का झुन्झुनू में स्थानान्तरण १९६२ में कुछ प्रशासनिक कारणों से किया गया है।

(२) डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेन्डरी आफिसर के कार्यालय का अस्पताल की श्रेणी से कोई संबंध नहीं है।

(३) कार्य सुचारु रूप से चल रहा था।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(४) यह स्थानान्तरण केबिनेट के निर्णयानुसार किया गया है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: आपने कहा कि कार्य सुचारु रूप से चल रहा है वह क्या है और कहां कहां है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: आपने जो प्रश्न पूछा उसी का जवाब है, कोई नई बात नहीं है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: यह स्थानान्तरण कब हुआ था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: स्थानान्तरण १९६२ में हुआ है। उसके पहले वहां एनिमल हस्बेन्डरी का आफिस था उसको झुंझुनू स्थानान्तरित कर दिया गया।

प्रश्न संख्या १०१

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

पंचायत समितियों के अध्यापकों से समाज शिक्षा का कार्य

१०२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कितनी पंचायत समितियों में समिति की पाठशालाओं के अध्यापकों से समाज शिक्षा (प्रौढ शिक्षा) का कार्य लिया जाता है ?

(ख) ऐसे अध्यापकों को पंचायत समिति अथवा सरकार से कितना भत्ता व अन्य किस किस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है ?

(ग) शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को इस कार्य में लगाये जाने के लिये अब तक कितने परिपत्र जारी हुए हैं ? कृपया परिपत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (क) राजस्थान की लगभग सभी पंचायत समितियों में प्रौढ शिक्षा का कार्य चलाया जाता है। वर्ष १९६१-६२ में लगभग ९,००० अध्यापकों ने यह कार्य किया। सन् १९६२-६३ के आंकडे अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

पंचायत समिति की प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के लिए प्रौढ शिक्षा का कार्य करना स्वेच्छा पर निर्भर करता है। प्राथमिक शाला के अध्यापकों के अतिरिक्त माध्यमिक, उच्च एवं उच्चत्तर शालाओं के अध्यापक भी प्रौढ शिक्षा का कार्य करते हैं।

(ख) प्रौढ शिक्षा केन्द्र चलाने वाले अध्यापकों को निम्न सुविधायें दी जाती हैं :—

(१) पंचायत समिति में प्रौढ शिक्षा का अच्छा कार्य करने वाले अध्यापकों को ११ पुरस्कार देने की व्यवस्था है, जो ५० रुपये से ३०० रु० तक के होते हैं। ये पुरस्कार उन्हीं पंचायत समितियों के अध्यापकों को प्रदान किये जाते हैं जिनमें एक वर्ष में कम से कम ५० प्रौढ शिक्षा केन्द्र चले हैं।

(२) इसके अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में ही १० अध्यापकों को प्रमाण-पत्र देने का भी प्रावधान है।

(श्री निरजननाथ आचार्य)

(३) जिनका काम अति सराहनीय हो उन अध्यापकों को एक अग्रिम वेतन-वृद्धि दी जा सकती है, पर यह अग्रिम वेतन-वृद्धि दूसरों की वरिष्टता में असर नहीं डालेगी।

(४) उन्नत-पद देते समय अध्यापक के इस संबंध में कार्य का खास ध्यान रखा जावे।

(५) सिर्फ ये ही मैट्रिकुलेट अध्यापक जिन्होंने पिछले साल (१), (२), (३) के तहत कोई पारितोषिक पाया है, आगे की परीक्षा में बैठने की इजाजत हासिल कर सकेंगे, परन्तु यह शर्त नान-मैट्रिक अध्यापकों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि अध्यापक होने के लिए निम्नतम योग्यता मैट्रिकुलेट है।

(६) जहां अध्यापक इस प्रकार सामाजिक शिक्षा, जिसमें प्रौढ शिक्षा भी शामिल है, का कार्य करते हों वहां एक अध्यापकवाली पाठशाला में कार्य का समय साढे पांच घन्टे तक, जिसमें आधा घन्टा खेल का भी शामिल है, रखा जा सकता है। जहां एक से अधिक अध्यापक हों वहां उस अध्यापक के लिए जो समाज शिक्षा का कार्य करे छः घंटों में से एक पीरियड कम किया जा सकता है।

(ग) इस कार्य से संबंधित तीन परिपत्र प्रसारित किये गये हैं। प्रत्येक परिपत्र की एक एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह: जिन सुविधाओं के संबंध में आपने बताया है क्या उन सुविधाओं के अनुरूप ही बजट के अन्दर प्रावधान रख दिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: बजट के अन्दर प्रावधान रखा है या नहीं, लेकिन इतना विश्वास है कि उन सुविधाओं को निश्चित रूप से दिया जायेगा। इसका सारा संबंध पंचायत समितियों से है—पारितोषिक वगैरह का। इसलिये उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: क्या सरकार को मालूम है कि जो सुविधायें आपने देने का घोषित किया है उनके अनुसार अध्यापकों को पेमेन्ट नहीं किया जाता है और वह इसलिये नहीं किया जाता है कि बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: ऐसा सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: आपके विभाग की जानकारी में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: नहीं आया है। मेरा विश्वास है कि उसी के अनुसार उनको दिया जाता है अगर कोई ऐसा उदाहरण माननीय सदस्य के इल्म में है तो उसके ऊपर छानबीन कर लेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): आपने जो बताया कि एक पीरियड घटा दिया जाता है उन अध्यापकों के लिये जो कि प्रौढ शिक्षा के काम करते हैं तो जो रेगुलर स्टुडेन्ट्स हैं उनकी क्षतिपूर्ति किस तरह से की जाती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: एक शिक्षक शाला जो होती है उसमें तो आधा घन्टा पहले उसको दे दिया जाता है। क्षति पूर्ति बच्चों को पहले से ही ठीक पढाने से हो जाती है और

Page No 7

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

शिक्षकशाला जो होती है उसमें एक पीरियड अर्ली उसको दे दिया जाता है। तो शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि एक पीरियड इधर से स्पेयर करे तो उसकी पूर्ति हो जाती है। यह प्रश्न भावनाओं से संबंध रखता है, शिक्षा से नहीं।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में सरकार ने आश्वासन दिया था कि अध्यापक इस बिजनेस में जाने के लिए स्वतन्त्र हैं लेकिन आपने जो सर्कुलर्स रखे हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि उनमें एलीमेन्ट ग्रॉफ फोर्स है। उस एलीमेन्ट ऑफ फोर्स को निकालने के लिए शिक्षा मन्त्री ने भी आश्वासन दिया था। तो क्या यह समझा जावे कि वह नहीं किया गया है और एलीमेन्ट ऑफ फोर्स था जो पहले था उसी तरह से वह अब भी लागू है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, एलीमे आफ फोर्स का कहां प्रश्न है · · · · ·

श्री ग्रध्यक्ष : भावना की बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : "जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत प्रभु देखी तैसी"; बाकी इसमें पुरष्कार का जो प्रावाधान है वही सिद्ध करता है कि एलीमेन्ट ऑफ फोर्स उसमें नहीं है। साक्षरता पहला कर्त्तव्य है और उसी भावना से शिक्षकों को अग्रसर किया गया है। मेरा ख्याल है कि सदस्य महोदय फिर उन परिपत्रों को मेरी भावना के अनुरूप देखें तो उसमें वही भावना होगी।

श्री भैरोंसिह : आप (ङ) को पढ लीजिये। शिक्षा मन्त्री महोदय ने इस संबंध में आश्वासन दिया था कि इस प्रकार का फोर्स नहीं रखा जायेगा, भावना का जो सवाल है वह आप शिक्षा मन्त्रीजी को बता दीजिये।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : भावनाओं के संबंध में आप, मैं और शिक्षा मन्त्रीजी सब एक आधार पर हैं।

प्रश्न संख्या १०३

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।
(अनुपस्थित)
श्री भैरोंसिह।

ट्रैक्टर्स तथा पम्पिंग संट्स के लिये कृषि विभाग द्वारा दिए गए ऋण

१०४. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के द्वारा अब तक कितने ट्रैक्टर्स तथा कितने पम्पिग संट्स के लिए किस किस वर्ष में कुल मिला कर कितना कितना लोन दिया गया है?

(२) कितने कितने ट्रैक्टर्स तथा पम्पिग संट्स का अब तक नियमानुसार हाईपोथेटीकेशन हो गया है?

(३) लोन का प्रोपर युटिलाइजेशन कितने मामलों में नहीं हुआ? ऐसे डिफॉल्टर्स के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(४) इस लोन के अगेन्स्ट में अब तक कितनी वसूली होनी चाहिये थी और वास्तव में कितनी हुई है?

(श्री भैरोंसिंह)

(५) विभाग द्वारा क्या यह मालूमात भी रखी जाती है कि लोनी के पास वह ट्रैक्टर या पम्पिग सेट है या उसने उसको फरोख्त कर दिया है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बैनीवाल) : (१) कृषि विभाग द्वारा सन् १९५०-५१ से ६०-६१ तक ४०२ ट्रैक्टर्स के लिए ३१,८०,७१२) रु० तथा ५७७ पम्पिग सेट्स लिये १५,१५,९५६ रु. ऋण के रूप में दिया गया। सालवार विवरण की सूची सदस्य महोदय की जानकारी के लिए सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) २९४ ट्रैक्टर्स एवं ३५३ पम्पिग सेट्स का हाइपोथेटिकेशन हो चुका है।

(३) ५९ ट्रैक्टर्स व १३३ पम्पिग सेट्स अभी तक नहीं खरीदे गये। सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा एक किश्त में रकम वसूल करने की कार्यवाही चालू है व अब तक २३ ट्रैक्टर्स व ९५ पम्पिग सेट्स का रुपया वसूल कर लिया गया है।

(४) इस लोन में ५०-५१ से ६०-६१ तक २६,४०,२०७) रु० की वसूली होनी चाहिए थी; अब तक १४,८३,०१७) रु० की वसूली हुई है।

(५) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : १.२ लाख रुपये की कम वसूली करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके लिए प्रयत्न जारी है, शीघ्र ही वसूली हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : नहीं कहें तो भी जारी समझे जायेंगे, लेकिन जिस आदमी से जितनी वसूली होनी चाहिये थी वह क्यों नहीं हुई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : कलेक्टर वसूली करता है और उसमें कई लोग डिफॉल्टर्स रह जाते हैं, जो किश्त चुकानी चाहिए वह नहीं चुका पाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : किश्तें वे चुका नहीं पाते इसलिये उनकी तरफ से डिले है या समय पर डिमान्ट स्लिपें उनके पास नहीं पहुंचतीं तो उसकी गलती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हर साल जैसे ही किश्तें ड्यू होती हैं उनको डिमान्ड काम्यूनिकेट कर दिया जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई. (सांचोर) : अमूमन ये डिमान्ड स्लिपें नहीं जातीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पम्पिग सैट और ट्रैक्टर की डिमान्ड स्लिपें जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : हर साल कितनी डिमान्ड हैं, इसकी टेबल सदन के सामने रखते रहें; पर बाद में देखा जाता है कि देने के बाद उनको बराबर परस्यू नहीं किया जाता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे यहां तो ऐसा नहीं है, हम तो बराबर परस्यू करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके बारे में ही नहीं, सभी डिपार्टमेन्टों के बारे में कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि इसको बराबर परस्यू किया जाय और पर्सनली इन्टरेस्ट लेकर वसूली करें तो काफी अच्छी वसूली हो सकती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक बात है।

Page No 9

भादरा में हायर सैकन्डरी स्कूल

१०५. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गांव निनाव व छानी बडी, तहसील भादरा में हायर सैकन्डरी स्कूल हैं ?

(२) यदि हां, तो इन स्कूलों का खर्चा कितना है और वहां छात्रों की संख्या कितनी है ?

(३) क्या भादरा कस्बे में कोई हायर सैकन्डरी स्कूल है ? यदि हां, तो उसका सालाना खर्चा कितना है और वहां छात्रों की संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो वहां की हाई स्कूल का खर्चा कितना है और वहां विद्यार्थियों की संख्या कितनी है एवं उसे हायर सैकन्डरी स्कूल अभी तक क्यों नहीं बनाया है ?

(४) गांव निनाव व छानी बडी के बीच कितने मील का फासला है और भादरा कस्बे से इनकी दूरी कितनी है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) तहसील भादरा के पास ग्राम निनाव व छानी बडी में सन् १९५८-५९ से उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं।

(२) कथित शालाओं के व्यय व छात्र-संख्या सम्बन्धी व्यौरा निम्नलिखित है :—

शाला का नाम	वार्षिक व्यय अनुमानतः	छात्र संख्या	
		प्राथमिक विभाग	उच्चत्तर माध्यमिक विभाग
निनाव	३२,०००)	११५	१८२
छानी बड़ी	३२,०००)	१९५	१३२

(३ भादरा कस्बे में कोई हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है, वहां केवल हाई स्कूल चल रहा है, इस स्कूल पर अनुमानतः ४६,०००) रुपया वार्षिक व्यय होता है । यहां के प्राथमिक विभाग एवं उच्च विभाग की छात्र संख्या क्रमशः ३०० और ४७६ है । इस शाला को हायर सैकन्डरी में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है । वैसे उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय निनाव भादरा से १० मील की परिधि में स्थित होने के कारण नियमानुसार इस भादरा शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित करना उचित नहीं समझा गया ।

(४) ग्राम निनाव और छानी बड़ी के बीच केवल ३ मील की दूरी है और यह गांव भादरा से क्रमशः आठ और ग्यारह मील की दूरी पर स्थित है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: भादरा कस्बे में हाई स्कूल में चार सौ से ३०० छात्र हैं और निनाव व छानी बड़ी में ११५ और १९५ तथा १९२ और १३२ छात्र हैं । निनाव और छानी की दूरी तीन मील है और भादरा से आठ, दस मील की दूरी पर ये हैं । मेरा निवेदन करना यह है कि भादरा महत्वपूर्ण स्थान है । वहां हायर सैकन्डरी स्कूल आप कर सकते हैं और निनाव और छानी बड़ी तीन, तीन मील के फासले पर हैं; उनमें से एक को बन्द कर सकते हैं और इस तरह से रकम का कहीं अधिक अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है । यही मेरे प्रश्न पूछने का उद्देश्य है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: आपका तो फिर सजेशन ही रहा ।

Page No 10

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आप इसके लिये टेलीफोन ही कर सकते थे।

सम्वत २०१६ का लम्बरदारी भत्ता, तहसील बाड़मेर

१०६. **श्री गंगाराम चौधरी** (गुडा मालानी): क्या. राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

तहसील बाड़मेर में कितने लम्बरदारों को सम्वत् २०१६ का लम्बरदारी भत्ता (हके लम्बरदारी) अभी तक नहीं दिया गया है और उसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): तहसील बाड़मेर में २१० लम्बरदारों को सम्वत् २०१६ का लम्बरदारी भत्ता नहीं दिया जा सका है। वह भुगतान इस वजह से नहीं किया जा सका कि मार्च १९६१ में यद्यपि रुपया खजाने से निकाल लिया गया था लम्बरदारान रुपये लेने समय पर नहीं आये। ये लोग नवम्बर १९६१ तक भी अपना बकाया रुपया लेने तहसील में नहीं आये। जिलाधीश बाड़मेर को आदेश दे दिये गये हैं कि भुगतान शीघ्र कर दिया जाय और भविष्य में भी ऐसी कार्यवाही की जावे जिससे भुगतान में देरी न हो।

श्री गंगाराम चौधरी: क्या लम्बरदारान को इत्तला दी जा चुकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: दी जानी चाहिये।

श्री गंगाराम चौधरी: क्या बाड़मेर तहसील में दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर हमने यहां से आदेश दे दिये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र इसका चुकारा नम्बरदारान को कर दिया जावे।

श्री दलपतसिंह (आबू): अब जब इतनी पंचायतें हो गई हैं, पटवारी सब काम करता है, सारा पैसा उगाता है, लम्बरदार तो सिर्फ उसके साथ साथ जाता है, पटवारी ही जिम्मेदार है, गांव का सरपंच भी जिम्मेदार है; तो लम्बरदार की इस पुरानी रूढ़ी को चलाते जाने में सरकार क्या लाभ देखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: This is a separate question.

श्री दलपतसिंह: राजस्थान का पैसा फिजूल खर्च किया जा रहा है इनके पीछे। यह पैसा गलत खर्च होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: गलत है या ठीक है, यह अलग सवाल है। यहां तो सवाल यह था कि जो उन्होंने पहले काम किया उसका एवजाना पाना उनका अधिकार है वह उनको दिया जाना चाहिये, और उसके देने के आदेश सरकार ने दे दिये हैं।

श्री दलपतसिंह: पर अब यह खर्चा करने की जरूरत क्या है सरकार को ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसका अलग सवाल आप कर लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशन।

ईंटों की बिक्री की दर

१०७. **श्री रामकिशन** (बैर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार से कन्ट्रोल पर कोयला प्राप्त करके भट्टा चलाने वाले व्यापारियों से

(श्री रामकिशन)
सरकार ने ईंटों की बिक्री की कोई दर निश्चित की है ?

(२) यदि हां, तो कन्ट्रोल रेट क्या है ?

(३) अगर सरकार ने ऐसी कोई रेट तय नहीं की है तो क्या सरकार यह व्यवस्था करने का विचार रखती है कि कन्ट्रोल पर कोयला लेने वाले व्यापारी कन्ट्रोल रेट पर ही ईंटें भी बेचें ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) ईंटों की बिक्री के लिये सरकार द्वारा कोई दर निश्चित नहीं की गई है।

(२) कोई कन्ट्रोल रेट नहीं है।

(३) इस समय तक इस प्रकार की व्यवस्था करना विचाराधीन नहीं है।

श्री रामकिशन: यह मार्के का प्रश्न है। जब सरकार स्वयं कन्ट्रोल रेट पर कोयला उनको देती है तो मैंने ही नहीं, आपकी पार्टी के लोगों ने यह शिकायत की है कि ईंटें आज ५८) रु० हजार से बिक रही हैं। तो क्या सरकार का विचार ईंटें भी कन्ट्रोल से दिलवाने का है? कन्ट्रोल से इनको बिकवाने में सरकार को क्या एतराज है ?

श्री चन्दनमल वैद: मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री रामकिशन: क्यों फिर विचाराधीन नहीं है? यह मैं पूछ रहा हूं कि न करने से ही काम थोड़े ही चलेगा, जब लोग लूट रहे हैं तो फिर कन्ट्रोल रेट से क्यों नहीं बिकवा सकती, जब कि कन्ट्रोल रेट पर सरकार उनको कोयला देती है?

श्री चन्दनमल वैद: कोई रा मेटीरियल कन्ट्रोल रेट पर दिया जावे तो उसके लिये यह जरूरी नहीं कि फिनिश्ड गुड्स का भी प्राइस कन्ट्रोल कर दिया जावे।

चम्बल क्षेत्र की भूमि की नीलामी

१०८. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु०) [श्री गोविन्द सिंह (पिडावा) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार यह महसूस करती है कि चम्बल क्षेत्र की काबिल काश्त भूमि को नीलाम करने की सरकारी नीति के कारण गरीब भूमिहीन किसान भूमि प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं ?

(२) क्या नीलामी में खरीदने वाले लोग अधिकतर ऐसे हैं जो पहले काश्त नहीं करते थे ?

(३) क्या पहले इस भूमि को भूमिहीनों को कीमतन देने की योजना थी ? यदि हां, तो इस नीति को क्यों बदला गया ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी नहीं। चम्बल क्षेत्र में लगभग ५६ हजार बीघा भूमि पर अतिक्रमण (ट्रेसपास) किया हुआ था, जिसमें अधिकतर भूमिहीन किसान ही थे। राज्य सरकार ने इस बड़ी मात्रा के अतिक्रमण को ध्यान में रखकर ही खातेदारी हक के आदेश जारी किये हैं। इन अतिक्रमियों को बेदखल न करके रिजर्व प्राइस पर भूमि देने की नीति अपनाई गई है।

(२) जी नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति हों। जहां तक पड़त भूमि के नीलाम का प्रश्न है उसमें कोई भी भूमिहीन अथवा

Page No 12

(श्री रामप्रसाद लडढ़ा)

मिधारी बोली लगा सकता है, लेकिन सर्वोच्च बोली के नाम नीलाम स्वीकृत किया जाता है। नीलाम में भाग लेने से पहले प्रत्येक व्यक्ति से निर्धारित सीमा को दृष्टि गत रखते हुए केवल कृषि करने का एक शपथ-पत्र भरवा लिया जाता है।

(३) इस विषय में मन्त्रिमण्डल की कोटा में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था तथा आदेश राजस्व विभाग के पत्र संख्या एफ ३ (५५) रेवेन्यू बी. ६० दिनांक १-४-६० (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा जारी किये गये। यह निर्णय अत्यधिक अतिक्रमण को ध्यान में रखकर ही लिया गया था।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या यह सही है कि जिसके अधिकार पर जो अतिक्रमण किया जिसकी एन्ट्री पटवारी के रेकार्ड में होती है, उसी के आधार पर अतिक्रमण माना जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अतिक्रमण का मतलब यह है कि जिस भूमि पर अनधिकृत रूप से जिसने कब्जा कर लिया है और जिसका पटवारी के रेकार्ड से भी पता लगाया जा सकता है उसे अतिक्रमण कहा गया है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि जिसका कब्ज़ा तो है पर पटवारी के रेकार्ड से वह साबित नहीं होता तो उसको क्या उस पर अधिकार नहीं मिलेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शहादत के द्वारा भी सबूत लिया जा सकता है।

श्री विजयसिंह झाला : तो फिर किस आधार पर निर्णय किया जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वास्तविक कब्जे के आधार पर और वह कब्जा अगर पटवारी के रेकॉर्ड से साबित होता है तो ठीक, नहीं तो शहादत आधार पर भी माना जा सकता है, प्राथमिकता पटवारी के रेकार्ड को देंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : जिन्होंने ट्रेस्पास कर रखा है उनको आप पटवारी के रेकार्ड से खातेदारी राइट दे देंगे, पर नया सर्क्यूलर चम्बल एरिया के बनने के बाद से है तो क्या जितने भी भूमिहीन ट्रेसपासर्स थे उनको उसी प्रकार के खातेदारी राइट दिये जायगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी १-२-६२ को एक सर्क्यलर निकला वह चम्बल के अतिक्रमण करने वालों पर लागू नहीं होता। उसका सर्क्यूलर पहले ही निकल चुका है और उसी से वे गाइड होते हैं और इसके अन्दर १-४-६० को कॅबिनेट ने निर्णय लिया जिसके अनुसार १५-२-५३ से पहले वालों को रिजर्व प्राइस में से ३३ परसेन्ट कम करके रिजर्व प्राइस वसूल की जाकर कब्जा रेगुलराइज किया जावेगा। इसके बाद में १५-१०-५५ तक वालों से रिजर्व प्राइस ली जावेगी और इसके बाद के लिये रिजर्व प्राइस और १५ प्रतिशत अधिक लेकर रेगुलराइज किया जावेगा। इस प्रकार की कुछ शर्तें हैं और कुछ सीमा भी निर्धारित की गई है ८ एकड़ तक। इसकी मंशा यही है कि भूमिहीनों को इसका लाभ मिल सके।

गोगामेड़ी की पूजा का हकदार

१०६. **श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गोगामेडी (गंगानगर) की पूजा का हकदार कौन है ?

Page No 13

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) क्या इस संबंध की जानकारी के लिये कि गोगाजी कौन थे व उनकी मौत कैसे हुई, सरकार ने किसी अधिकारी को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो किसको ?

(३) उक्त अधिकारी ने किस किस को कहां कहां बुलवा कर इस संबंध की जांच की ?

(४) उसकी जांच का अन्तिम फैसला क्या रहा ? उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय।

(५) जोधपुर के मन्डोर में जो गोगाजी की मूर्ति है उनके जन्म व मृत्यु के बारे में वहां क्या लिखा हुआ है ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) गोगामेड़ी की पूजा के हकदार चायल मुसलमान हैं।

(२) राज्य सरकार ने इस बारे की जानकारी के लिये कि गोगाजी कौन थे व उनकी मौत कैसे हुई, किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया। अलबत्ता यह जानने के लिये कि गोगाजी की पूजा के असली हकदार कौन हैं, जिलाधीश गंगानगर को जांच करने के लिये नियुक्त किया था।

(३) जिलाधीश गंगानगर ने श्री रतनसिंह चौहान एवं मुसलमान पुजारी गोगामेडी मन्दिर को हैड क्वार्टर गंगानगर पर बुलाकर जांच की।

(४) रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य सरकार रिपोर्ट में जो सिफारिश की है उससे सहमत है।

(५) इस विषय का कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास: मैं यह जानना चाहता हूं कि गोगाजी कौन थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गोगाजी चौहान राजपूत थे।

श्री मुरलीधर व्यास : तो इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई और किसने मारा ?

श्री अध्यक्ष : यह हिस्टोरिकल इश्यू है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो रिपोर्ट कलेक्टर ने की है उसमें पुजारी किसको माना है ?

श्री अध्यक्ष : आप रिपोर्ट देख लें।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : हिस्टोरिकल और कन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर बहस नहीं हो सकती है। कम से कम सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आपके इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न साफ है·····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि जांच की गई उसकी प्रतिलिपि आपके सामने है।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा प्रश्न है कि जिसके बारे में....

श्री अध्यक्ष:—Order Please !

Page No 14

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि गोगाजी मारे तो गये मुगलों के आक्रमण से.........

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य को निवेदन कर दिया है कि ऐतिहासिक तथ्य के बारे में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने पांचवें प्रश्न के बारे में पूछा है, इसके बारे में......

श्री अध्यक्ष : आपको रिफ्यूज किया जा चुका है कि आप इस तरह के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आप उसको दोहराये जा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं सप्लीमेण्ट्री पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेण्ट्री कौनसा कर रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं निवेदन कर रहा हूं इस बारे में.....

श्री अध्यक्ष : जब आपको मैं यह कह चुका हूं कि आपको रिफ्यूज किया गया है कि ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में नहीं पूछ सकते, फिर भी आप उसको दोहरा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने यह कैसे रिजेक्ट किया है कि ऐतिहासिक तथ्य नहीं पूछे जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह मुझे निर्णय करना है। Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : यह इतना बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए समय नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सप्लीमेंट्री ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता आपको।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसलिये कि आप ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐतिहासिक तथ्य नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो यही है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने मना कर दिया इसलिये दूसरा पूछ रहा हूं।

इसमें जो पांचवें में जवाब दिया है आपने, उसके बारे में पूछ रहा हूं कि ५ में उन्होंने कहा जोधपुर के अन्दर जो इस प्रकार का विभाग है जहां इसके संबंध में जानकारी रहती है, रिसर्च का विभाग है.....

श्री अध्यक्ष : आप बहस कर रहे हैं। आपने पूछा और सरकार ने उत्तर दे दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि उत्तर गलत दिया है, जांच करनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : This is not a valid supplementary. This is a reflection and comment.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न साफ है कि जोधपुर के अन्दर......

Page No 15

श्री अध्यक्ष : सरकार ने भी प्रश्न का साफ उत्तर दिया है कि उनके पास रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि रेकार्ड है।

श्री अध्यक्ष : आप यह नहीं कह सकते हैं। आप बहस कर रहे हैं; यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर रेकार्ड मिल गया तो मैं इसको प्रिविलेज मानूंगा कि जो यहां पर कहा गया है कि रेकार्ड · · ·

श्री अध्यक्ष : आप क्या मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे; उसका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता है।

(विराम)

श्री विजयसिंह झाला।

एस. डी. ओ. कार्यालय, वल्लभनगर के विचाराधीन मामले

११०. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वल्लभनगर के एस. डी. ओ. कार्यालय में कुल मिलाकर कितने केस पेंडिंग हैं ?

(२) उनमें सबसे पुराना केस कौन सा और किस साल का है ?

(३) तीन साल पुराने केस कितने हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) वल्लभनगर एस. डी. ओ. कार्यालय में सन् १९६२ में कुल रेवेन्यू मुकदमों की संख्या ६५१ थी जिनमें से ४२३ मुकदमात फैसल होकर सन् ६३ में २२८ मुकदमात शेष रहे।

(२) सबसे पुराना मुकदमा सन् १९५४ का है। दर्मियानी कार्यवाही में यह केस दो बार अपील में गया है।

(३) तीन साल पुराने केस ५३ हैं ; किन्तु इनमें १७ केस दर्मियानी आदेश की अपील में।

डूंगर कालेज, बीकानेर

१११. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) (क) क्या डूंगर कालेज, बीकानेर में विज्ञान के छात्रों के लिये रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री) की प्रयोगशाला की कोई व्यवस्था है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) (क) क्या डूंगर कालेज, बीकानेर के नये भवन में हाल, कामन रूम, उद्यान (लान), साइकिल रखने की, खेल के मैदान की, स्टाफ रूम की व यूनियन रूम की कोई व्यवस्था है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) (क) डूंगर कॉलेज के नये भवन में कितने कमरे है, उनकी औसत लम्बाई चौड़ाई क्या है ?

(ख) डूंगर कॉलेज के पुराने भवन में कितने कमरे थे और उनकी औसतन लम्बाई चौड़ाई क्या थी ?

Page No 16

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(४) (क) क्या डूंगर कालेज, बीकानेर के छात्रों से साइकिल स्टेण्ड फीस ली जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(ख) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा के किन किन कालेजों में साइकिल फीस ली जाती है और कितनी ?

(ग) इस फीस के लगाने का आधार क्या है ?

(५) (क) क्या डूंगर कालेज, बीकानेर के छात्रों से इस वर्ष खेल-कूद की फीस ली गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि डूंगर कालेज, बीकानेर के पास इस समय कोई खेल का मैदान नहीं है और विद्यार्थियों को खेल-कूद की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) (क) हाल के अतिरिक्त शेष सबकी व्यवस्था है। स्टाफ़ रूम तथा एक साइकिल शेड क्रमशः सत्रारम्भ एवं सितम्बर के आरम्भ में तैयार हो गये थे। निम्नलिखित खेल के मैदानों की व्यवस्था है :—

वालीबाल	३ मैदान
फुटबाल	१ मैदान
हाकी	१ मैदान
बेडमिन्टन	१ मैदान
बास्केटबाल	१ मैदान
कबड्डी	१ मैदान
जिमनाशियम	निल

(ख) शेष खेल के मैदान, कामन रूम, वनस्पति उद्यान तथा साइकिल शेड बन रहे हैं तथा सभा-भवन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(३) (क) और (ख) पुराने एवं नये भवन के कमरों आदि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) (क) जी हां, ली जाती है। ५० न. पै. प्रति माह (१० माह के लिये)।

(ख) व (ग) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के कालेजों में फीस निम्न प्रकार से और उनके आगे अंकित आधारों पर ली जाती है। इस विषय में राज्य सरकार के कोई आदेश नहीं हैं। साइकिल की सुरक्षा हेतु कालेजों के आचार्य अपनी परिस्थिति के अनुसार फीस लेते हैं।

१. महाराजा कॉलेज, जयपुर	३ रु. प्रति वर्ष। यह फीस लोकल फंड में जमा की जाती है। यह प्रिंसिपल महोदय के आदेश से ली जाती है।
२. कामर्स कालेज, जयपुर	३ रु० प्रति वर्ष। उपरोक्त आधार पर।
३. जसवन्त कालेज, जोधपुर	०.७५ न. पै. प्रति माह। ठेके के आधार पर।
४. एस. एम. के. कालेज, जोधपुर	कोई फीस नहीं ली जाती।
५. एम. बी. कालेज, उदयपुर	०.५० न. पै. प्रति माह। ठेके के आधार पर तथा धनराशि ठेकेदार को दे दी जाती है।

Page No 17

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

६. गवर्नमेंट कालेज, कोटा। इस नाम से कोई फीस नहीं ली जाती है।

(५) (क) जी हां, फीस ली गई है।

(ख) जी नहीं, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्रश्न (२) के उत्तर में वर्णित सभी खेल के मैदान कालेज में उपलब्ध हैं और उनका सही उपयोग भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त छात्र खाली घंटों में भी वाली बाल खेलते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जो आपने कमरों की लम्बाई-चौड़ाई का स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रखा है और आपने यह कहा है कि हॉल के अलावा सब कमरे वहां पर मौजूद हैं, लेकिन स्टेटमेन्ट में ओल्ड बिल्डिंग में कॉमनरूम दिखाया है लेकिन न्यू बिल्डिंग में कॉमनरूम नहीं दिखाया है इसके बावजूद भी आप यह कहते हैं कि कामनरूम है यह कान्टाडिक्टरी स्टेटमेन्ट कैसे है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि खेल के मैदान व साइकिल शेड आदि बन रहे हैं; तो बन रहे हैं उसमें बने हों या नहीं बने हों ये दोनों ही आ जाते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो आप यह कह रहे हैं कि बन रहे हैं, यही बिल्कुल गलत है। वहां पर कोई कन्सट्रक्शन-वर्क चालू नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने चलते हुए देखा होगा। अगर नींव भी खुदी है तो वह बनने में शुमार है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं, वहां पर कुछ नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं I shall get it examined.

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप वहां पर नींव भी लगा देते तो मैं मान लेता कि वहां पर बनाने की नीयत आपकी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने यह जो प्रश्न किया है प्रयोगशाला के लिये तो वहां पर प्रयोगशाला है। इस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि बन रहे हैं तो बनने की स्टेज तो नक्शे बनने से अन्त तक की बनने की स्टेज हो जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत मुगालता दे रहे हैं कि नक्शे की स्टेज भी वह बनने की स्टेज है।

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय, यह साइकिल फीस—साइकिल फीस आठ आने प्रति माह के हिसाब से १० महीनों के लिये लेते हैं एक लड़के से तो ५) रु० प्रति वर्ष एक लड़के से लेते हैं और वहां पर १००० लड़के हैं तो ५०००) रु० प्रति वर्ष कालेज आथोरिटीज लडकों से वसूल करती हैं। दूसरे कालेजेज़ में भी आठ या बारह आने वसूल किये जाते हैं। तो जिस तरह से कोटा कालेज में फीस नहीं है, उसी तरह से आप यहां भी आदेश क्यों नहीं देते हैं कि फीस समाप्त कर दी जाय और वहां पर कालेज के किसी चपरासी की ड्यूटी लगादी जाय, या इस प्रकार से लड़कों को हिदायत कर दी जाय कि वे ताला लगाकर जायें?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चपरासी और मुकर्रर करना . . . .

श्री अध्यक्ष : This is a suggestion for action which please note. This is not a question.

Next.

अनाज के मूल्यों पर नियंत्रण

११२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय नीति के अनुसार अनाज की प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजों पर मूल्य का नियंत्रण रह सके, ऐसी कोई योजना बनाई है ?

(२) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई आदेश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति की जानकारी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

(३) लड़ाई की वजह से जो भाव बढने की संभावना है उसकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी हां।

(२) केन्द्रीय सरकार की ओर से आदेश प्राप्त हुए हैं कि सरकार के अनाज के भण्डारों में काफी मात्रा में अनाज मौजूद है और भावों को अधिक बढने से रोकने के लिये जितना संभव हो अधिक से अधिक तथा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जानी चाहिये।

(३) लड़ाई के शुरू होने से राजस्थान में अनाज के भावों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अनाज के भाव गिरते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जिलाधीशों को यह आदेश भेजे हैं कि वे अपने जिलों में जितना अधिक हो सके सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवाने की व्यवस्था करें। राज्य में कहीं कहीं मिट्टी के तेल के भावों के बढने की शिकायतें विभिन्न जिलों से प्राप्त हुई थीं। मिट्टी के तेल के भावों को बढने से रोकने के लिये राज्य सरकार ने राजस्थान-केरोसिन डिस्ट्रिब्यूशन, सेल एंड प्राइसेज कन्ट्रोल ऑर्डर, १९६३ जारी किया है जिसके अन्तर्गत जिलाधीशों को अपने अपने जिलों में मिट्टी के तेल का भाव निर्धारित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई पहुंचाने के अधिकार दिये गये हैं। राज्य सरकार ने एग्जीबीशन आफ प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स ऑर्डर भी जारी किया है जिसके तहत व्यापारीगण कई वस्तुओं के मूल्यों की सूची अपनी दूकानों पर टांकेंगे। राज्य सरकार उपभोक्ता सहकारी भण्डार भी विभिन्न स्थानों पर खाद्यान्न आदि सामग्रियों के भावों को बढने से रोकने के लिये खोल रही है। प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर प्राइस विजिलेन्स कमेटियों का निर्माण कर दिया गया है जो समय समय पर कीमतों के रुख का अध्ययन करके उनको बढने से रोकने के सुझाव तैयार करेगी और अपने प्रभाव से मुनाफाखोरी की प्रवृत्तियों को रोकेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : केन्द्रीय सरकार द्वारा जो निर्धारित मूल्य है उसकी सूची क्या निर्देशानुसार दूकानों पर टांगी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, टांगी जाती है। आजकल धान के भाव गिर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या राज्य सरकार ने इस बात की जांच कभी की है कि सूची टांगी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, इन्स-पेक्टर्स ऐसी सूचियें देख रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की सूचियें कहीं पर टंगी हुई नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप यह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूं।

जैसा कि आपने कहा कि धान के भाव गिर रहे हैं तो क्या सरकार ऐसा कदम उठाना चाहती है कि ग्रेन के भाव निश्चित कर दिये जायें ताकि धान बेचते हैं उन पर असर नहीं पडे और किसानों पर भी उल्टा असर नहीं पडे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : धान के भाव गिर रहे हैं, यह ठीक बात है। केन्द्रीय सरकार के मसला विचाराधीन है। राज्य सरकार को और कुछ कहने की आवश्यकता होगी तो कहा जायगा ।

हाई स्कूल, निम्बाहेडा

११३. **श्री अब्दुलज्बार** (निम्बाहेडा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या निम्बाहेडा हाई स्कूल में सैकन्डरी या हायर सैकन्डरी प्रणालियों में से कोई एक प्रणाली चालू की जा रही है ? यदि हां, तो कौनसी और क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य): राजकीय सदाअत उच्च विद्यालय, निम्बाहेडा में सैकन्डरी एवं हायर प्रणालियों में से कोई भी प्रणाली करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : क्यों नहीं है, यह भी पूछा है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्योंकि इकोनोमिक कट है ।

तहसील लूणकरणसर में सर्वे एवं सेटलमेन्ट

११४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर में सर्वे एवं सेटलमेन्ट हो चुका है ? अगर हां, तो उक्त तहसील को कितने असेसमेन्ट सर्किल्स में बांटा गया है तथा उसकी क्या दरें निर्धारित की गई हैं व मौजूदा दरें क्या है ?

(२) उक्त दरों के संबंध में आपत्तियां कब मांगी गई तथा मौके पर लोगों को कब व किस प्रकार सूचना दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त दरों की जनता को अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है ?

(४) क्या केवल गजट में विज्ञप्ति का प्रकाशन पर्याप्त है, जब कि उस तहसील में गजट की एक भी प्रति नहीं जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्डा (उप-मंत्री, राजस्व): (१) जी हां। तहसील लूणकरणसर में खालसा ग्रामों में मौजूदा सेटलमेन्ट संवत् १९८२ से लागू है । तहसील के खालसा ग्रामों को तीन निर्धारण क्षेत्र (असेसमेन्ट

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
सर्किल्स में बांटा गया है तथा उनमें निम्न भू-कर दरें प्रचलित हैं :

कर निर्धारण क्षेत्र	किस्म जमीन कृषि योग्य	बंजर
बडान	०.२१ न. पै.	०.११ न. पै.
घोरा प्रथम	०.२१ न. पै.	०.११ न. पै.
घोरा द्वितीय	०.२१ न. पै.	०.११ न. पै.

भूतपूर्व जागीर ग्रामों में सेटलमेन्ट संवत् २००८ से लागू है तथा तीन कर निर्धारण क्षेत्रों में बांटा गया है तथा इन ग्रामों में निम्न क्षेत्रवार किस्म भू-कर दरें प्रचलित हैं :

कर निर्धारण क्षेत्र	किस्म जमीन पाला	बिना पाला	बंजड
बडान	०.२७	०.२४	०.०९
घोरा प्रथम	०.३१	०.२८	०.१२
घोरा द्वितीय	०.२५	०.२१	०.०९

(२) सेटलमेन्ट भूतपूर्व रियासत बीकानेर के समय हुआ, अतः रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(३) बीकानेर स्टेट के समय सेटलमेन्ट हुआ इसलिये इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न अभी सेटलमेंट हुआ उसके बारे में था लेकिन आपने जवाब पुराने का दे दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, रिवीजन हुआ है।

श्री भीमसेन : रिवीजन सेटलमेन्ट का ही किया जायगा, काश्तकारों के नये सर्किल्स बनाये हैं, नयी रेट्स मुकर्रर करना चाहते हैं, लेकिन काश्तकारों से ऑब्जेक्शन्स नहीं मांगे हैं, बिना ऑब्जेक्शन मांगे ही किया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दरअसल में रेन्ट रेट रेकॉर्ड्स की दुरुस्ती की सूचना ओपन होनी चाहिये। वह तहसीलदार कार्यालय और सेटलमेन्ट दफ्तर के सामने भी नहीं हुआ इसलिये किये जाने और ऑब्जेक्शन्स सुनने के ऑर्डर्स दिये हैं उसके बाद ही फाइनल होगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : रेन्ट रिवीजन की आवश्यकता क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

शिक्षा निरीक्षक, अलवर की सिफारिशों पर निर्णय

११५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा निरीक्षक, अलवर ने अपने पत्र नं० आई० एस० एच० (प्रोम) ५२७० दिनांक ८-९-६१ द्वारा ५२ ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापकों के तथा पत्र नं० आई० एस० ए० एल० डब्ल्यू० एच० एस० ७५६१ तारीख १३-१२-६१ द्वारा ४३ ग्रेजुएट अध्यापकों को अनट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में

Page No 21

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
तरक्की देने और पत्र नं० आई० एस० एच० (प्रोम) नं० ८१३० दिनांक ३०-१-६२ द्वारा ४५ ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेजुएट अध्यापकों के ग्रेड में तरक्की देने के लिये डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, जयपुर को सिफारिश की थी ?

(२) क्या इन सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय लिया है ? अगर हां, तो क्या निर्णय लिया गया और कब ? अगर नहीं, तो इतनी देरी तक मामले को क्यों स्थगित किया जा रहा है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, यह सत्य है ।

(२) इस पर निर्णय ले लिया गया है और अध्यापकों को प्रमोशन दे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन

गांव रावला के खातेदार एवं खुदकाश्त होल्डर

११६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) गांव रावला, आनन्दगढ, तहसील अनूपगढ, जिला गंगानगर में पिछली बन्दोबस्त में किन किन व्यक्तियों को खातेदार अथवा खुदकाश्त होल्डर दर्ज किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने सरकारी आराजी हजारों बीघा राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपनी खातेदारी अथवा खुदकाश्त दर्ज करवाकर इन्तकाल करवा लिया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त तथा कथित खातेदारी भूमि को उस व्यक्ति ने कानून से अनभिज्ञ लोगों को बेचकर लाखों रुपयों का मुनाफा लिया ?

(४) क्या यह सही है कि तत्कालीन डाइरेक्टर, राजस्थान नहर के नोटिस में आने पर जनहित का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार से उक्त जमीन खारिज करवा दी ?

(५) क्या यह सही है कि अब भी जागीर कमिश्नर अथवा रेवेन्यू बोर्ड से उक्त जमीन को पुनः अपने नाम करवाने के प्रयत्न चल रहे हैं ?

(६) क्या यह सही है कि हाल ही में उक्त जमीन के संबंध में जागीर कमिश्नर से उक्त व्यक्ति के नाम से कोई गीदड परवाना जारी हुवा है ? अगर हां, तो उक्त आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे ।

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) इसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(२) जागीरदार सत्तासर श्री बलदेवसिंह ने चार हजार बीघा भूमि जागीर रिजम्पशन से पहले उनके व उनकी पत्नियों की निजी सम्पति में होना बतलाया, अतएव बाद जांच एडीशनल जागीर कमिश्नर द्वारा उनके निजी सम्पति में मानली जाने का निर्णय हुवा, किन्तु सरकार की ओर से राजस्व मंडल में अपील होने एडीशनल जागीर कमिश्नर द्वारा दिये निर्णय को खंडित कर दिया और अग्रिम जांच के लिये जागीर कमिश्नर ने जिलाधीश चूरू को जांच अधिकारी नियुक्त किया है ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) उपरोक्त खातेदारी भूमि में से राव बलदेवसिंह ने मौजा आनंदगढ की १,४१२।।) बीघा भूमि मुबलिग ५२,९५० रु० में बजरिया रजिस्ट्री क्रय की व मौजा रावला की ८५०) बीघा भूमि मुबलिग १५,४००)रु० में बजरिया रजिस्ट्री क्रय की।

(४) जी हां।

(५) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(६) राजस्व मंडल से एडीशनल जागीर कमिश्नर का निर्णय खंडित होकर मामला रिमांड होने पर जागीर कमिश्नर ने जिलाधीश चूरू को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भीमसेन: जिलाधीश, चूरू को जांच अधिकारी कब नियुक्त किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सन् ६० में।

श्री भीमसेन : अब तक क्या कार्यवाही सरकार की ओर से इसमें हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी कार्यवाही समाप्त नहीं हुई।

श्री रामकिशन बैर : वे आरंभ की पूछ रहे हैं। आरंभ की हुई या नहीं।

श्री अध्यक्ष, नेक्स्ट।

जयपुर में स्टेडियम

११७. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर में खेलकूद के लिए स्थाई वृहत स्टेडियम बनाने की योजना के संबंध में क्या हो रहा है ? क्या यह सही है कि रामबाग होटल के आगे खुले मैदान पर एक बड़ा साइन बोर्ड कई वर्षों से लग रहा है? यदि हां, तो उसके निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : स्टेडियम की योजना तैयार है। किन्तु आर्थिक एवं बाद में देश में संकटकालीन स्थिति के कारण यह स्थगित कर दी गई है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : मेरे ध्यान से अगर इस स्थान को कब्जे में करलें किसी न किसी रूप में तो सुरक्षित रहेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्थान कब्जे में है, स्पोर्ट्स कौंसिल का बोर्ड लगा हुवा है स्टेडियम के लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या केवल बोर्ड लगने से ही आप मान लेते हैं कि आपका कब्जा हो गया। एक बार तो बोर्ड जयपुर महाराजा ने फिकवा दिया था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डॉक्युमेन्ट्स लीगली होने से हमारे समझ में पजेशन है ही।

भूमि आबंटन, तहसील नीमकाथाना

११८. **श्री छोटूराम** (नीमकाथाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील नीमकाथाना में कुल सिवाय चक भूमि कितनी है और इसमें से काश्त योग्य भूमि कितनी है ?

(श्री छोटूराम)

(२) तहसील नीम का थाना में भूमि आबंटन की कितनी दरख्वास्तें और किन किन गांवों व कितने समय से विचाराधीन है ?

(३) कौन २ से गांवों में पिछले दो सालों में भूमि आबंटन की गई है ?

(४) क्या जिलाधीश, सीकर ने ग्राम रायपुर तहसील नीम का थाना में बन रहे सिचाई बांध में डूबनेवाली जमीन के स्थान पर शीघ्र आबंटन का कोई कदम उठाया है ?

(५) यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) तहसील नीम का थाना में कुल सिवाय चक भूमि २,०२,८१४ बीघा है जिसमें से काश्त योग्य भूमि २६,३१६ बीघा १६ बिस्वा है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सन् १९६१ में ग्राम डोकन, मदोली, कोला का नागल, मंडोली, चक धारावास पाटन में और सन् १९६२ में ग्राम गुहारा में भूमि आबंटन की गई।

(४) जी हां।

(५) इन काश्तकारों को निकट भविष्य में अलॉटमेन्ट की कार्यवाही होने पर भूमि आवंटित की जायेगी।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री छोटूराम : बाकी भूमि पड़ी है वह एलॉट नहीं हुई है, वह कब एलाट होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एलोटमेन्ट की कार्यवाही जल्दी करने के ऑर्डर्स दे दिये गये हैं।

श्री छोटूराम : एलॉटमेन्ट की कार्यवाही अधूरी हुई है; बाकी पड़ी है वह कब तक हो जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जल्दी करने का आदेश दे दिया गया है।

हायर सैकन्डरी तथा माध्यमिक शालाओं की मांग, कुशलगढ

११९. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जिला बांसवाडा की तहसील कुशलगढ की पंचायत समितियों ने हायर सैकन्डरी तथा माध्यमिक पाठशालायें खुलवाने की कोई मांग की थी ? यदि हां, तो कब और कितनी पाठशालाओं के लिये एवं किन किन स्थानों के लिये ?

(२) क्या उक्त मांग पर राज्य सरकार ने या विभाग ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) क्या आयन्दा उक्त मांग के अनुसार पाठशालायें खुलवाने का सरकार का इरादा है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) १९६१-६२ में पंचायत समिति कुशलगढ से प्राथमिक शाला, बड़ावास व सेरवा को माध्यमिक शालाओं में तथा राजकीय उच्च शाला (लड़कों), कुशलगढ को माध्यमिक में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

१९६२–६३ में जिला परिषद् से प्राथमिक शाला बड़ी सेरवा को माध्यमिक शाला में तथा चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड कुशलगढ से माध्यमिक शाला, कुशलगढ को कनिष्ट उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

१९६३–६४ में जिला परिषद् से प्राथमिक शाला बड़ी सेरवा को माध्यमिक शाला तथा विकास अधिकारी से प्राथमिक शाला बड़ी सेरवा, रामगढ और छोटी सेरवा को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

१९६३–६४ में अभी तक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(२) जी हां। १९६१-६२ व १९६२-६३ के प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। दूसरी ऐसी शालाओं के साथ विचार करने के पश्चात मैरिट के हिसाब से १९६१–६२ में प्राथमिक शाला बड़ावास को माध्यमिक शाला में परिवर्तित कर दिया गया। उच्च शालाओं से उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने पर यह निर्णय लिया गया कि पहले डिवीजनल हैड क्वार्टर्स पर बड़ी बड़ी शालाओं को परिवर्तित किया जावे; अतः उच्च शाला कुशलगढ को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं किया जा सका। १९६२–६३ में इकोनोमी कट के अनुसार कोई भी प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में·····

श्री रामकिशन (वैर) : आपने रफ्तार काफी तेज करदी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लम्बा बहुत है। बहुत लम्बा सवाल है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जवाब बहुत लम्बा लिख कर लाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये प्रस्तावों के प्रश्न थे, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना यह महत्वपूर्ण है जो अब बता रहा हूं।

(जारी) परिवर्तित नहीं की गई। अतः बड़ी सेरवा शाला पर भी विचार न हो सका। उच्चशाला, कुशलगढ को कनिष्ठ उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का प्रस्ताव काफी बाद में प्राप्त हुआ था, अतः विचार न हो सका। दूसरे इकोनोमी कट के अनुसार इस वर्ष कोई भी शाला माध्यमिक से कनिष्ठ उच्चतर माध्यमिक शाला व उच्चशाला से उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं की गई।

(३) १९६३–६४ में जिन जिन शालाओं को उच्च शालाओं में परिवर्तित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन पर ऐसी दूसरी शालाओं के साथ साथ, यदि ये भी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते होंगे तो, यथा समय विचार किया जावेगा, यदि बजट में प्रावधान रहा तो।

श्री हीराभाई बडी सेरवा····: और भी कोई रह गया है क्या? बड़ी और छोटी सेरवा का आपने अभी बताया है कि बड़ी सेरवा में खोल दिया गया है। यह नहीं खुला है तो क्या उसके बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया और लिया गया तो कब से?

श्री निरंजननाथ आचार्य : खोल दिया गया है, ऐसा तो आपने नहीं कहा है। वैसे यह देख कर बाद में अपन बात कर लेंगे।

श्री रामकिशन : किसी एक के लिये आपने कहा था।

कृषि मंत्री (**श्री नाथूराम मिर्धा**) : गलत समझ लिया आपने।

श्री हीराभाई : आपने कहा था कि बडावास की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित कर दिया गया है, यह कहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : किसी भी माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने का प्रस्ताव पास नहीं हुआ है।

श्री रामकिशन : प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने के लिए आपने कहा है।

श्री हीराभाई : बड़ावास के लिये...

श्री निरंजननाथ आचार्य : १९६१–६२ में बडावास को परिवर्तित कर दिया गया है, या बदल दिया गया है।

श्री हीराभाई : कर दिया गया है तो क्या वह पाठशाला चालू करदी गई है या केवल परिवर्तन का नाम कागजों में है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : "परिवर्तन" का मतलब यह है कि एक क्लास आगे बढा दी गई है।

श्री हीराभाई : एक क्लास कोई नहीं खोली गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं देख लूंगा। अगर नहीं खोली गई है तो उचित कार्यवाही की जायगी और जल्दी खुलवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष...

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, साफ नहीं हुई स्थिति।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि जैसा आप कह रहे हैं, अगर नहीं खुली है तो उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री हीराभाई : दूसरी पाठशालाओं के लिये कहा है, उसके लिये सरकार अभी विचार करेगी। लेकिन इसमें एक क्लास खोली गई है, यह कागजों में खोली गई है, वास्तव में नहीं खोली गई है। वहां पर तीस तीस मील की दूरी पर प्राथमिक शाला है। अब आप आनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे तो आपको क्या उम्मीद है कि लोगों की सहायता नहीं होगी तो फिर भी वे लोग पाठशाला खोलेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत लम्बा होता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जवाब लम्बा दे दिया, लेकिन तथ्य कुछ नहीं निकला।

बीकानेर शहर में हाउस लोन के लिये दी गई रकम

१२०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या मुख्य (गृह निर्माण) मंत्री यह बताने

Page No 26

(श्री मुरलीधर व्यास)
की कृपा करेंगे:—

बीकानेर शहर में हाउस लोन के लिय गत दस वर्षों में कुल कितनी कितनी रकम दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय। जिन लोगों को रकमें दी गई उनमें से ऐसे कितने हैं कि जो कि अपने मकान में न रह कर उनसे किराया वसूल करते हैं ? ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जिन्होंने किश्तें नहीं चुकाई हैं ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : अल्प आय गृह निर्माण व माध्यमिक आय गृह निर्माण योजना में दिसम्बर १९६२ तक क्रमशः २१,७६,११० व ४,७१,७४० की धनराशि दी गई।

(२) २९ कर्जदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने मकानों को किराये पर दे दिया है।

(३) १८५ कर्जदारों ने किश्तें समय पर नहीं चुकाई हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : २९ कर्जदारों की लिस्ट नहीं दी गई है। क्या सरकारी कानून के अन्दर यह कहा गया है कि कोई भी लोन लेता है मकान बनाने के लिये, वह किराये से मकान नहीं दे सकता है, उसक बावजूद भी २९ आदमियों ने किराये से मकान दिये हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर ने शो कॉज़ नोटिस दे दिये हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : किस बात के ? किराये पर मकान नहीं दें, इस बात के लिये शो कॉज नोटिस दिये ह ?

श्री परसराम मदेरणा : किराये पर मकान नहीं दे। उसके अलावा जो उनके साथ एग्रीमैन्ट हुआ है, जो मोर्टगेज डीड है, उसमें यह है कि गवर्नमैन्ट की बिना परमिशन के किराये पर मकान नहीं दिया जायेगा। उसके बावजूद भी दिया है, इसलिये उनके खिलाफ नोटिस दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या कुछ मकान राज्य सरकार ने किराये पर लिये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जानकारी कर लीजिये। राज्य सरकार ने कुछ मकान किराये पर लिये हैं।

श्री अध्यक्ष : किराये पर लेना गैर कानूनी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : देना गैर कानूनी है, तो ले भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार भी किराये पर नहीं ले सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये शो-कॉज नोटिस कब दिये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कम्प्लीटली किराये पर नहीं ले सकते। उसमें यह है कि पार्शियल अकोमोडेशन रेंट पर दे सकते हैं और अगर ट्रान्सफर हो जाय तो पूरा मकान पर्मिशन से किराये पर दे सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उन्होंने सारा मकान सरकार को किराये पर दे रखा है

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
और डेढ़ सौ रुपये माहवार किराये पर सरकार ने ले रखा है।

श्री रामकिशन (वैर) : और ट्रान्सफर भी नहीं हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने जरूरत हो जाने पर लिया होगा, वैसे गवर्नमेन्ट एक्वायर भी कर सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, दो बातें आप कह रहे हैं–एक तो यह कि राज्य सरकार ने जरूरत हो जाने पर ले लिया होगा, दूसरे सरकार एक्वायर भी कर सकती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वह किराये पर दे नहीं सकता इसलिये शो कॉज नोटिस जारी कर दिये गये हैं। तो सरकार का स्टैंड कौनसा है? सरकार शो कॉज नोटिस जारी करना ठीक समझती है या किराये पर ले लेना ठीक समझती है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

श्री परसराम मदेरणा: शो कॉज़ नोटिस दिये हैं...

श्री अध्यक्ष : Order please !

जिन शर्तों पर ऋण दिये गये हैं उनकी पूर्ति होती है या नहीं, यह देखते हैं। अगर नहीं होती है तो उसके बारे में शो कॉज़ नोटिस दिये जाते हैं। यह आपने प्रश्न पूछा उसके जवाब में कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गवर्नमेन्ट यह मानती है कि किराये पर लिया है....

श्री अध्यक्ष : यह आपने जो सूचना दी है उसको सरकार स्वीकार कहां करती है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : शो कॉज नोटिस नहीं दिया है सरकार ने ? क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि इस प्रकार मकान देना गैर कानूनी नहीं है ? आप गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं गलत जवाब नहीं दे रहा हूं; आप कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। कलेक्टर ने इन्फोर्मेशन दी है, उसमें डेट्स तक दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह कार्यवाही कब हुई ?

श्री परसराम मदेरणा : फरवरी में नोटिस दिये गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फरवरी में, इस प्रश्न के पहुंचने के बाद ?

श्री परसराम मदेरणा : कई डेट्स हैं, जैसे १९ फरवरी को दिया है....

प्रश्न संख्या १२१

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

(अनुपस्थित)

श्री मगराज ।

Page No 28

काश्त शुदा कब्जे वाले काश्तकारों को पट्टे

१२२. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाडा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने यह तय कर दिया है कि सम्वत् २०१२ से जिन काश्तकारों का जिस भूमि पर काश्त शुदा कब्जा है उन्हें पट्टे वितरित कर दिये जायें।

(२) यदि हां, तो जालोर व बाड़मेर जिलों में इस मुतल्लिक कितनी दरख्वास्तें काश्तकारों की तरफ से अभी तक पेश हुई और उनमें से कितने काश्तकारों को पट्टे दिये गये ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील भीनमाल व पचपदरा के काश्तकारों की ऐसी दरख्वास्तें सैंकड़ों की संख्या में पेश हो चुकी हैं, लेकिन आज दिन तक उन्हें पट्टे नहीं दिए गए ?

(४) यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब शीघ्र ही ऐसे काश्तकारों को पट्टे दिलवाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट १९५५ की धारा १५ के तहत १५ अक्टूबर १९५५ के काबिजों को उक्त धारा के तहत अन्य प्रावधानों के होते हुए खातेदारी के अधिकार प्रदान किये हुए हैं।

(२) इसके लिए प्रचलित नियमों के अनुसार किसी प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं है; अस्तु उनके निर्णय का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(३) इसका उत्तर प्रश्न के खंड (२) में दिया जा चुका है।

(४) जिन काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नियमानुसार अब तक नहीं दिये गये हैं और वे पाने के अधिकारी हैं तो उनको खातेदारी के अधिकार नियमानुसार दिये जाने की व्यवस्था शीघ्र ही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

ग्राम कटकड़ में मिडल स्कूल

१२३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने ग्राम कटकड़ तहसील हिन्डौन में कोई मिडल स्कूल खोलने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना कब आरम्भ होगी और उसके पूर्ण होने में कितना समय लग जावेगा ?

(२) जिस स्थान पर मिडल स्कूल खोला जा रहा है उसके आस पास अन्य कितने छोटे स्कूल हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि यहां की जनता श्रमदान करने के लिए भी तैयार है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं।

(२) अभी मिडल स्कूल खोले जाने का प्रश्न सरकार के सम्मुख नहीं है। कटकड़ के आसपास ६ मील के क्षेत्र में प्राथमिक शाला राडोली, गढी मादवा कुतकपुरा व सनेट हैं

Page No 29

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और ६ मील के क्षेत्र में माध्यमिक शाला कांकरोली चल रही है।

(३) ऐसी कोई सूचना यहां उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ८ देखियें)

राज्यपाल महोदय को दिये गये धन्यवाद पर उनका सन्देश

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय से धन्यवाद–प्रस्ताव के उत्तर में जो संदेश प्राप्त हुआ है, वह इस प्रकार है:—

"प्रिय अध्यक्ष,

दिनांक २५ फरवरी, १९६३ को विधान सभा में दिये गये अभिभाषण के प्रति विधान सभा के सदस्यों ने आभार प्रदर्शित किया है, उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त संतोष हुआ है।

भवदीय,
सम्पूर्णानन्द
राज्यपाल, राजस्थान"

(विराम)

राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

निर्धारित समय के पश्चात् सदन की कार्यवाही होने सम्बन्धी आपत्ति ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर): On a point of order, Sir. Sir I raise this point of order under the Proviso of Sub-Clause (2) of Rule 294, my submission before the House is that the day before yesterday the proceedings commenced in the House, when practically the time of the House was over. The sitting of the House is governed under the Rule 12 of the Rules of Procedure. Rule 12 has got its own significance and/ because any point which has got some bearing, some significance......

श्री रामकिशन (वैर): आप हिन्दी में बोलें, हम समझ जावेंगे। हमारे समझ में नहीं आता है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार: मैंने इसलिये अंग्रेजी में बोलना शुरू किया कि रूल्स अंग्रेजी में थे। इसको तो पढ़ना पड़ेगा। उसको तो अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, मैं उनको अंग्रेजी में पढ़ दूंगा।

एक माननीय सदस्य: You may speak ....

श्री दुर्गालाल बाड़दार: मैं हिन्दी में बोलूंगा। मैं अंग्रेजी में बोलने में अपनी कोई बडाई नहीं समझता हूं। मैं अंग्रेजी को छोडना चाहता हूं। हिन्दी में बोलना मेरा धर्म है।

यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मैंने इसलिये रेज किया कि परसों यह समस्या सामने उपस्थित हुई कि पांच बजे के बाद कार्यक्रम होता रहा। उसके बाद कुछ प्रस्ताव और बिल पेश हुए जिस पर हाउस अब विचार करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि रूल १२ की तहत ५ बजे तक हाउस का समय है और रूल १३ अध्यक्ष को शक्ति प्रदान करता है कि अगर वे चाहें तो हाउस का समय बढ़ा सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने पांच बजने के समय इस प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की कि समय बढ़ाया जावे और फिर कार्यवाही की जावे। मगर समय बढ़ाने के लिये

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कोई स्टेप नहीं लिया गया और कार्यवाही हो रही। अतः इस पर विचार करना है। यह हाउस कानून बनाता है और वे कानून सब पर लागू होते हैं, इसलिये जो कानून आपने बनाये और जिन नियमों के अन्तर्गत यहां पर हाउस की कार्यवाही होती है उन नियमों का स्वयं पालन करते हैं या नहीं ? यह देखना है। अगर उन नियमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो वह अवैध कार्यवाही होती है।

रूल १२ में आपके सामने पढ़ता हूं। वह स्पष्ट रूप से कहता है:

"(1) The House shall sit on such days as the Speaker having regard to the State of business of the House, may from time to time direct.

(2) Sittings of the House shall, subject to the direction of the Speaker, ordinarily commence at 11.00 a. m. and conclude at 5.00 p. m."

रूल १२ स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक स्पीकर ऐसी स्पष्ट रूप से हिदायत न करे तो सदन की कार्यवाही ५ बजे तक चलती रहेगी। ५ बजे बाद अध्यक्ष की तरफ से यदि कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया जाता है या हाउस का टाइम नहीं बढ़ाया जाता है और उसके बाद में कोई कार्यवाही होती है तो वह कार्यवाही वेलिडली कोन्स्टी-ट्यूटेड है या नहीं और जब वह वेलिडली नहीं मानी जाती है तो उस समय में रखे गये बिल या प्रस्ताव कानूनी तरीकों से या वैधानिक तरीकों से, सही तरीकों से प्रस्तुत किये हुए माने जावेंगे या नहीं। अगर सही तरीके से प्रस्तुत किये हुए नहीं माने जावेंगे तो उन पर विचार करना है या और किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है। यह एक ध्यान देने योग्य बात उत्पन्न हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन करना यही है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर कई बार ऐसे अवसर आ सकते हैं, इसलिये इस पर स्पष्टी-करण अवश्य होना चाहिये जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आवे। इसलिये यह मेरा पोइन्ट ऑफ आडर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आचार्यजी कुछ कह रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा): I wanted to say about the Speaker's powers...............

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: Under rule 12 the Hon. Speaker has got powers to extend the time....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री बाढ़-दार ने पोइन्ट ऑफ ओर्डर के द्वारा यह आपत्ति उठाई कि जो सदन की कार्यवाही शनिवार को ५ बजे के बाद चली वह नियम के विरुद्ध थी इसलिये बजे के बाद जो कार्यवाही सदन के सामने हुई वह अवैधानिक है, इसलिये उस कार्यवाही को रद्द कर दिया जावे क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। माननीय सदस्य ने हमारे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२, १३ और २९४ का उल्लेख किया।

(श्री अध्यक्ष)

सबसे पहली आपत्ति यह है कि यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर बहुत देरी से उठाया गया है। जैसा कि नियम २९४ (२) में दर्ज है।

"A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment:"

सबसे पहले, उसी वक्त माननीय सदस्य को आपत्ति उठानी चाहिये थी। सदन के एक माननीय सदस्य श्री मोतीलाल इस संबन्ध में उल्लेख भी कर चुके थे। इसलिये कोई भी पोइन्ट ऑफ ऑर्डर जो उसी समय नहीं उठाकर इस समय उठाया है वह मानने योग्य नहीं है। फिर भी इसको स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि ऐसी कई संभावनाऐं भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि नियम १२ (२) के अनुसार जैसा कि उन्होंने पढ़ कर सुनाया :

"Sittings of the House shall, subject to the direction of the Speaker, ordinarily commence at 11.00 a. m. and conclude at 5.00 p. m."

पहले शब्द उसमें "subject to the direction of the Speaker" है यह रूल में कहीं नहीं लिखा है कि निश्चित तौर से बिना किसी हेर-फेर के इतने समय तक होगी।

इस प्रकार की डाइरेक्शन अध्यक्ष की ओर से नहीं दिया। मेरा यह कहना है कि एक माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई और उस समय उसका निर्णय लिया गया और उस समय माननीय सदस्य जो सदन में बैठे थे उन्होंने उस समय किसी पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के द्वारा कोई जानकारी नहीं रखी थी। इस लिये यह माना जाना चाहिये कि सदन इस बात से सहमत था। इसके अलावा सिटिंग्ज़ के छोटे मोटे मामले जो होते हैं ये कोई सिविल कोड या सी.आर.पी.सी की तरह से नहीं होते हैं हाउस सर्वोपरि है, वह नियम बनाता है और समय में छोटे मोटे हेर-फेर कर सकता है। अगर कोई छोटी-मोटी त्रुटि रह जाती है और सदन आपत्ति नहीं करता है तो बाद में ऐसी आपत्ति उठाना न्यायसंगत नहीं है। ऐसी हालत में जो आपत्ति उठाई गई है उसे निरस्त करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पोइन्ट ओफ आर्डर हो तो बतावें। ध्यान नहीं दिलावें।

श्री मुरलीधर व्यास: कोई डाइरेक्टिव स्पीकर का होना चाहिये कि क्या सदन की इच्छा है कि ५ मिनट का समय बढ़ाया जावे और फिर हाउस ५ मिनट का समय बढ़ता है। जिस तरह से यह होना चाहिये वह नहीं हुआ। जिसकी वजह से···

श्री अध्यक्ष : इस संबन्ध में मैंने अपना स्पष्ट निर्णय दे दिया है और माननीय सदस्य ने जिन्होंने आपत्ति उठाई है उनकी आपत्ति का निराकरण हो गया है। इस समय कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है चाहे स्पष्ट रूप से पूछा गया हो या नहीं।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

Page No 32

राजस्थान नगर-सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): (१२.९ म.प.) राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९६२ इस, विधेयक सम्बन्धी संकल्प की प्रस्तुति एवं खण्डशः विचार विमर्श ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौनसे रूल्स के अनुसार पोइन्ट ऑफ ऑडर रेज कर रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: इसके ओब्जेक्ट्स अभी तक नहीं दिये गये हैं। यह इसमें भी नहीं है और इस वक्त तक भी संबन्धित मंत्री महोदय ने नहीं दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी आपत्ति कुछ समझ में नहीं आई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके ओब्जेक्ट्स के बारे में उल्लेख नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेंट ओफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स ̇ ̇ ।

श्री अध्यक्ष : किस रूल का उल्लंघन किया गया है, स्पष्टतया बता दें। आसपास किसी से पूछ लें।

श्री मुरलीधर व्यास: ऐसी आम तौर से धारणा रही है कि स्टेटमेन्ट ऑफ ओबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स साथ में होते हैं मेरे पास है नहीं।

श्री अध्यक्ष : और पूछ लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (सैकन्ड अमेन्डमेन्ट) आर्डिनेन्स, १९६२ (आर्डिनेन्स नं० ५ आफ १९६२) जो राज्यपाल महोदय ने १३ दिसम्बर, १९६२ को प्रसारित किया और जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया था, उस अध्यादेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया है, वह संकल्प इस प्रकार है :—

"This House disapproves the Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment) Ordinance, 1962 (Ordinance No. 5 of 1962) promulgated on 13-12-1962."

अध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद २१३ के अन्दर जारी किया है, उसको निरस्त करने का जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसके पीछे भावना यह है कि जिस प्रकार सदन में कई बार यह मांग की गई कि राज्य सरकार इस प्रकार के अध्यादेश जारी करने का कम से कम सहारा ले। जब तक कि परिस्थितियां इतनी विकट नहीं हों, जिनके कारण राज्य सरकार समझे कि इन विकट परिस्थितियों में बिना अध्यादेश के कार्य चलाना असंभव है, बिना अध्यादेश के राज्य सरकार को काम चलाने में दिक्कत है तभी इस धारा का सहारा ले, अन्यथा संविधान की इस धारा का इस प्रकार से सहारा लेना न्याय-संगत नहीं है । इस सदन में मैंने एक बार ही नहीं, अनेकों बार इस प्रकार की राय जाहिर की है, राज्य सरकार से मांग की है कि इस प्रकार अध्यादेशों का सहारा लेने में बड़ी सावचेती बरतनी चाहिये पर इसके बावजूद भी मन्त्री-मण्डल, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी भी उसके सदस्य हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

समझ में नहीं आता कि सरकार इस प्रकार की परम्परा को क्यों तोड़ रही है ? नगर सुधार प्रन्यास के सम्बन्ध में यह अध्यादेश जारी किया इसको मैंने अच्छी तरह से समझा है। यह गत सदन में पेश किया गया, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने जो विधेयक रखा उसको भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है पर इस सब के पढ़ने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं हैं जिनके कारण कहा जा सके कि राज्य सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया वह न्याय-संगत था। अध्यादेश की मुख्य २ धाराओं का यदि आप अवलोकन करें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो तीन बातें राज्य सरकार ने विशेष रूप से चाही हैं। १३ दिसम्बर, १९६२ को यह अध्यादेश जारी किया गया, फरवरी में विधान सभा का अधिवेशन होने वाला था, दो महीने बाद यहां विधेयक लाया जा सकता था। अध्यादेश जारी करने के बाद में इस दो महीने के अर्से में राज्य सरकार ने कौन कौन सी कार्यवाहियां इस अध्यादेश के तहत की हैं, इस चीज को देखने से ही आपको इस अध्यादेश को जारी करने की उपयोगिता का पता चल सकता है। इसमें व्यवस्था की गई है कि जिन बड़े बड़े नगरों में जहां इस प्रकार के नगर-सुधार प्रन्यासों का बनाया जाना आवश्यक है वहां यदि ९ की संख्या नहीं रख सकते तो ९ से कम की सदस्य संख्या के ट्रस्ट मुकर्रर किये जा सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था इस आर्डिनेन्स में की गई है। मैं मन्त्री महोदय से और सरकार से जानना चाहूंगा कि आर्डिनेन्स जारी करने के बाद इन दो महीनों में कितने ऐसे प्रन्यासों की स्थापना की है जिनकी सदस्य संख्या ९ से कम है। यदि किसी की नहीं की तो मैं समझूंगा कि इस प्रकार के प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इसके अतिरिक्त इस अध्यादेश में यह व्यवस्था की गई है कि इन प्रन्यासों के चेयरमैन और सदस्यों को अलाउन्स दिये जायं; यह भत्ता देने की बात दो महीने बाद भी तय हो सकती थी। तो इस प्रकार के जो क्लॉजेज इसमें दिये हैं उनके आधार पर इस प्रकार के अध्यादेश का जारी किया जाना कोई न्याय-संगत नहीं है।

एक क्लॉज है उसमें यह प्रोविजन रखा गया है कि इस प्रकार के नगर सुधार प्रन्यास जो स्कीम्स बनायें, उनको सब्मिट करने, नोटिफाई करने के उन्हें अधिकार होंगे। तो जो कानून ऑलरेडी है उसमें इस प्रकार की आपत्तियां मांगने का प्रावधान था तो फिर कौनसी प्रशासनिक कठिनाई आ रही थी जिसके कारण इस अध्यादेश को जारी किया गया ?

धारा ७ के अन्दर राज्य सरकार ने सारे सुधार प्रन्यासों के द्वारा बनाई गई सारी स्कीम्स को जो उनके अधिकार-क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र के लिये स्कीम्स बनाई हैं उन स्कीम्स को भी स्वीकार करने के बारे में प्रावधान रखा है, उन स्कीम्स को वैलिडेट करने, जो इस प्रकार के ट्रस्ट ने अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र के लिये स्कीम्स बनाई हैं, जिस इलाके का, जिस क्षेत्र का हमने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को अधिकार दिया कि इस क्षेत्र की स्कीम्स बनाओ, उस क्षेत्र के अलावा जो क्षेत्र उनके अधिकार से बाहर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की भी स्कीम्स बना दी प्लॉट्स बना दिये; उन सबको स्वीकार करने

Page No 34

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का प्रावधान इसमें रखा गया है। इस प्रकार अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर दूसरे क्षेत्र की स्कीम्स बना कर प्लोट्स बना दिये, लोगों को मनमाने तौर पर अलाट कर दिये और सारी गलत कार्यवाहियां कीं। उन गलत कार्यवाहियों को वैलिडेट करने में सरकार क्या मन्शा रखती है, यह मैं सरकार से पूछना चाहूंगा।

कानून की मंशा के खिलाफ यदि कोई ट्रस्ट गलत कार्यवाही करता है, कानून को तोड़ता है, जिन ट्रस्ट्स ने इस प्रकार गलत स्कीम्स अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र की बनाई हैं, उन ट्रस्टों के खिलाफ, उन ट्रस्टों के अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये जिन्होंने कानून को तोड़ा है उनके खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है। पर इस राज्य में तो ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, कि जो कानून तोड़ते हैं वे आनन्द करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं उनके लिये उनकी गलत कार्यवाहियों का राज्य सरकार द्वारा वेलिडेशन करा लिया जाता है। जिन लोगों ने ज़मीनों पर अनआथोराइज्ड ओक्यूपेशन कर लिया है, राज्य सरकार ने इस प्रकार के अनआथोराइज्ड कब्जों को बहाल कर दिया है।

तो आज राजस्थान में कानून का, नियमों का राज्य नहीं है, कानून के अनुसार काम करने वाले संस्थान, इन्स्टीट्यूशन्स, संस्थाओं के द्वारा कानून के अन्तर्गत काम कराया जाय, ऐसी राजस्थान सरकार की मंशा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मन्त्री महोदय की, राज्य सरकार की क्या मन्शा है? यदि आपकी यही नीति रही तो म्युनिसिपैलिटीज़ और इन इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट्स में आपस में झगड़े होंगे। कोई इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर स्कीम बना लेगा, अपने अपने लोगों को प्लट्स का अलोटमेन्ट कर देगा और राज्य सरकार कह देगी कि संविधान की धारा २१३ है ही, राज्यपाल महोदय के नाम से अभी अध्यादेश जारी करा लेते हैं। पिछली विधान सभा में राज्यपाल महोदय से एक अध्यादेश जारी कराया गया। तो मन्त्रि-मण्डल इसे अपना एक अधिकार समझता है कि जब चाहे, जिस बारे में चाहे अध्यादेश जारी करवा ले। मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यदि सरकार की यही नीति रही, यदि इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट्स की नाजाइज़ स्कीम्स के ऊपर मोहर लगाने की कार्यवाही सरकार ने की तो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स और म्युनिसिपैलिटीज में बड़े संघर्ष खड़े हो जायेंगे, इम्प्रूमैन्टट्रस्ट म्युनिसिपल बोर्ड की ज़मीन का अलाटमेंट कर देगा, दोनों में झगड़े होंगे और दोनों अदालतों में जायेंगे और इस तरह जनता के विकास का ज़रिया पीछे रह जायगा और दोनों आपस में ही लड़ने लग जायेंगे।

मैं सरकार से और मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्लॉज़ ७ के अन्दर जो प्रोविजन रखा है तो कितने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने अधिकार-क्षेत्र के बहार स्कीम्स बनाई और अलॉटमेन्ट किये, जो लोगों को अलोटमेन्ट किये गये उनमें इम्प्रूवमैन्ट ने कितनी धांधली की, यह सब सदन के सामने रखें।

उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर के कितने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट राज्य सरकार ने बनाये और इन्होंने कानून को

Page No 35

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बालाए-ताक़ रख कर नाजाइज कार्य किये हैं, इसके बारे में पिछले सदन में रखा गया था, माननीय मन्त्री महोदय को अच्छी तरह याद है। जब सारी बातें सदन में आयीं और जयपुर इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के विषय में आरोप लगाये गये तो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया था और राज्य सरकार पर आरोप लगाये गये थे कि राज्य सरकार किस प्रकार इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की ओर से स्कीम्स भेजी जाती हैं उनको राज्य सरकार पास नहीं करती है, स्कीम्स को दाब कर बैठ जाती है, स्कीमों को बस्ते खामोशी में दबा कर बैठ जाती है और इन्तजार करती है कि जिनकी स्कीम हैं वे हमारे पास आयें, हमारी खुशामद करें और उससे काम न चले तो दूसरे तरीके हो सकते हैं, कई बातें हो सकती हैं जिनको करने की कोशिश की जाती हैं। आज के मन्त्री महोदय के लिये नहीं कहता लेकिन पिछले मन्त्री महोदय के बारे में कहता हूं कि बीसियों ऐसी स्कीमें थीं जो बस्ते में धरी पड़ी रहीं। यदि नहीं पड़ी रहीं तो उन स्कीमों को कब कब पास करके भेज दिया, एक स्टेटमेन्ट राज्य सरकार सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख यह स्थिति पेश करना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर कई प्रकार की स्कीमें हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेग्मेन्टेशन की इजाजत देना चाहिये। आपके पास चोमूं हाउस की स्कीम कब से पड़ी हुई है, आपके पास सामोद हाउस की स्कीम कब से पड़ी हुई है, आपके पास कानौता हाउस की स्कीम कब से पड़ी हुई है और आपके पास रामबाबू अहाते की स्कीम कब से पड़ी हुई है? और अन्यान्य स्कीमें हैं जो कब से आपके पास पड़ी हुई हैं? राज्य सरकार के पास इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा भेज दी गई। आप निर्णय क्यों नहीं करते? चोमूं हाउस के अन्दर मकान बन चुके, सामोद हाउस के अन्दर मकाम बन चुके, कानौता हाउस के अन्दर मकान बन चुके, रामबाबू अहाते के अन्दर मकान बन रहे हैं। आप मकान बनाने से रोक नहीं सकते। आप मकान बनाने की इजाजत नहीं देते, मकान बिना इजाजत के बन रहे हैं। क्या करें? स्कीम आप पास नहीं करते। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है अध्यक्ष महोदय, लोकल सेल्फ़ डिपार्टमेन्ट के मन्त्री मेरे बड़े मित्र हैं, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्वायत्त शासन विभाग इस प्रकार का विभाग हो गया है कि जहां पर कोई काम ही नहीं होता। यह हो सकता है कि मन्त्री महोदय को कम समय मिलता हो, पिछली बार से अब अधिक व्यस्त हों, घरेलू काम के कारण समय कम मिलता हो लेकिन घर गृहस्थी में इतने तल्लीन न हो जायं कि सरकारी काम है उनको ही भूल जायं।

श्री रामकिशन (वैर) : शाक सब्जियां लाने का कार्य बढ़ गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : काम तो बढ़ेगा आगे भी और मैं समझता हूं कि काम आगे बढ़े, मुझे इसमें आपत्ति नहीं।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सबके बावजूद भी आज परिस्थिति किस प्रकार की है। यह जो सब कुछ हो रहा है, लोग-बाग बड़े परेशान हैं उससे आज आबादी बढ़ रही है। लोग मकान बनाना चाहते हैं और बनायेंगे। आप प्लाट नहीं देंगे तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
प्राइवेट तरीके से बनावेंगे। स्कीम पास नहीं करेंगे तो बिना स्कीम के बनावेंगे। छोटे छोटे मकानों को तुड़वाने के लिये राज्य के कर्मचारी पहुंच जाते हैं। सामोद हाउस में मकान बनाया किसी ने, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने उसको तोड़ने की इजाजत दे दी। आदमी यहां नहीं था। उसके मकान को तोड़ दिया। इसका बडा झगड़ा बढ़ा। पहले एक एक्ज़ाम्पल और इलस्ट्रेशन आपके सामने रखा था और राज्य सरकार को निवेदन किया था कि अनआँथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको यदि रोकना चाहते हैं तो आपको शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। एक उदाहरण रखा था कि राज्य से किस प्रकार ६ लाख की जमीन २५ हजार रुपये में ली गई। उस इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की जमीन में मकान बना लिया, कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए बिना इजाजत मकान खड़ा कर लिया, उसको तोड़ने की कार्यवाही की गई। उसका अदालत में मुकदमा चला। वहां पर यह कह कर उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया कि आदमी मर गया है। जब उस मकान को तोड़ने की बात आयीं तो उस आदमी का तार आया। फिर बताया गया कि वह आदमी मर गया था, लेकिन फिर जिन्दा हो गया है। यह बात मैंने सदन के सम्मुख पिछली बार रखी थी। मैंने यह समझा था कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी बड़ी भारी कार्यवाही करेंगे। मुझे सख्त अफ़सोस है अध्यक्ष महोदय, इस बात का कि आज राज्य में कानून तोड़ना, नियमों की अवहेलना करना मामूली बात है। कानून तोड़ने नियमों की अवहेलना कीजिये, विधान सभा में प्रश्न खड़ा कीजिये और उस पर आश्वासन भी दे देगी सरकार लेकिन आश्वासन के बावजूद भी कितनी बड़ी चीज़ हुई है क्योंकि सरकार के हाथ बड़े लम्बे हैं, उसकी जेब भी बड़ी लम्बी है, मामला अदालत में चला और वहां दाखिल दफ्तर हो गया यह बता कर कि आदमी मर गया है लेकिन उस आदमी ने तार दिया और वह वापिस जिन्दा हो गया जब मकान तोड़ने का प्रश्न आया। ऐसे मामलों में तो मकान नहीं टूटेंगे और गरीबों के मकान तुड़वायेंगे। छोटे छोटे मकान बनाये ....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): वेग मत कहिये, स्पष्ट कहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): पहले ही स्पष्ट किया हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को मालूम है और वे चाहते थे कि इस प्रकार की इलस्ट्रियस एग्ज़ाम्पल दी जाय तो उस समय भी एग्ज़ाम्पल दी गई और आज भी आपको फिर बताता हूं कि स्टेशन से आते समय खासा कोठी के चौराहे के पास अशोका होटल है। दस लाख की बिल्डिंग है। रेज़िडेन्शियल पर्पज़ के लिये था, कॉमर्शियल पर्पज़ेज़ के लिये नहीं। इजाजत म्यूनिसिपैलिटी और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से नहीं ली। अदालत में प्रोसिक्यूशन किया गया और फिर फाइल में कहा गया कि आदमी मर गया है, लेकिन जब मकान तोड़ने का सवाल आया तो आदमी फिर जिन्दा हो गया। आदमी ज़िन्दा था। लेकिन मामले को, आदमी मर गया है, यह कह कर दाखिल दफ्तर करा दिया गया। वह आदमी जिन्दा जयपुर में बैठा हुआ था, दुबारा मकान तोड़ने की बात चली तो उस आदमी ने तार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
दिया। कांग्रेस के बड़े चोटी के नेता ने पांच हजार रुपया लेकर पैरवी की और अदालत में वह म्यूनिसिपैलिटी में जाकर मुकदमा किसी प्रकार हुश अप करा दिया गया, उस मुकदमे को दाखिल दफ्तर करवा दिया गया। डिमोलिशन की कार्यवाही समाप्त हो गई।

श्री मोतीलाल चौधरी : Point of order, Sir, I object. He mentions that 'कांग्रेसी नेता ने पैरवी की'। He should give names of persons.

कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रस्ताव इस प्रकार का पास नहीं किया कि इस प्रकार की कार्यवाही में सहयोग दिया जाय। पार्टी के लिये कहना वेग होगा। नाम लीजिये। कौन कौन व्यक्ति हैं? आप नाम क्यों नहीं लेते हैं? नाम लीजिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे से क्यों नाम लेवाते हैं। मैं कांग्रेसियों के नाम लेना नहीं चाहता। आप जांच करवा लीजिये, आपको मालूम हो जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री): आपका शायद यह कहना है कि कोई कांग्रेस वाला वकील रहा है और म्युनिसिपैलिटी में मामला जाकर खत्म हो गया। इससे कन्फ्यूजन हो गया, इसको स्पष्ट कीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम्पाउन्ड हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कब?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछले साल हो गया। मैंने जब मामला उठाया तो कम्पाउन्ड हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : क्या है और क्या नहीं, कौन मर गया? आप कहते हैं कि आदमी जिन्दा था और केस खत्म हो गया, The matters can be enquired into. The Minister will enquire.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसकी जांच करा लीजिये। आप जो चाहेंगे मेरे पास जितना है मैं दे दूंगा। फर्द अहकाम की सर्टिफ़ाइड कापी मेरे पास है। उसमें लिखा है, चूंकि जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है वह मर गया है। बल्कि वह जिन्दा था। इसमें कौन कौन इन्वोल्व्ड हैं, यह मैं नहीं कहना चाहता। वकील की पैरवी के लिए मैंने कहा है, उन्होंने पैरवी की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं लेकिन नियमों के पालन की चिन्ता नहीं करते। कानून और नियमों का इसलिये पालन नहीं हो सकता कि हमने यहां पर कानून बनाया कि बिना म्युनिसिपैलिटी से नक्शा पास कराये, बिना इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से नक्शा पास कराये, कोई मकान नहीं बना सकता। साल साल भर लोग म्युनिसिपैलिटी से नक्शा पास कराने आते रहते हैं लेकिन वह नक्शा पास होता नहीं। तो लोगों ने इसका नया तरीका निकाला है कि वे एक महीने का नोटिस दे देते हैं. उसका जवाब नहीं मिलता है तो फिर पन्द्रह दिन का नोटिस देते हैं और म्युनिसिपल इन्जीनियर से मिल कर व्यवस्था कर लेते हैं। उसके बाद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी कोई जवाब नहीं आता है तो इजाजत दी हुई समझी जाती है और इस बिना पर मकान खड़े हो जाते हैं। उसके तीन महीने बाद फोर्मेलिटी पूरी करने के लिये म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी कहते हैं कि तुमने किसकी इजाजत से मकान बनाया, क्यों न इसको तोड़ दिया जाय। इस तरह से मकान मालिक १००) रुपया खर्च करके इन्जक्शन का दावा करते हैं तो कानून के तहत वह इजाजत दी हुई मान ली जाती है क्योंकि वह दो दफा नोटिस देकर फिर काम शुरू करता है। यह जो व्यवस्था केवल जयपुर नगरपालिका एक्ट में ही हो, यह नहीं; सारे राजस्थान के म्युनिसिपल एक्ट में प्रावधान रखा है। इस तरह से दो दफा नोटिस देकर कोई भी व्यक्ति मकान बनवा लेता है वह गैर कानूनी ढंग से नहीं माना जा सकता। यह सबसे अच्छा रास्ता है गैर कानूनी ढंग से मकान बनवाने का। इस अध्यादेश में एक व्यवस्था की है और वह यह कि जो बडे बडे प्लॉट्स हैं उनका फ्रेग्मेन्टेशन किया जा सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या केवल इसलिये ऑर्डिनेन्स निकाला है जिससे जिनके बड़े बड़े प्लाट्स हैं उनका विभाजन किया जा सके। इसके लिये किसने मांग की थी? आखिर राज्य सरकार ने या एम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने जिन जिन को भी प्लाट्स और बड़े प्लाट्स दिये हैं वे कुछ शर्तों के साथ दिये। उन पर कुछ शर्तें लगाकर डेवलपमेन्ट की इजाजत दी है। इतनी जल्दी इस ऑर्डिनेन्स की क्या जरूरत पड़ी? दो महीने बाद सेशन आने ही वाला था, उसमें विधेयक के रूप में रख सकते थे। किसी को अपने प्लॉट का फ्रेग्मेन्टेशन करना होगा; जिसने दो रुपये गज के हिसाब से लिया उसको बीस रुपया गज बेचना होगा। ऐसी क्या एमर्जेन्सी थी ऐसा किसका इन्सिस्टेन्स था, किसका प्रेशर था जिसके कारण आपको इतना जल्दी आर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता हुई? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस आर्डिनेन्स के जरिये आपने किन किन को फ्रेग्मेन्टेशन करने का अधिकार इस कानून के तहत दिया है?

हम इस अध्यादेश के क्लॉज ९ को देखते हैं तो हमें स्पष्ट मालूम नहीं होता। उसमें जो बातें लिखी हैं वे साफ नहीं हैं। इसमें लिखा है:

"Any person who intends to sub-divide or re-constitute his plot lying in the area of a Trust established under Section 8 shall submit a layout plan together with prescribed particulars to the Trust for sanction"

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने जिस आदमी को दो हजार गज या चार हजार गज का प्लॉट अलॉट किया है, उसने सारे प्लॉट में मकान नहीं बनाया और बना भी नहीं सकते। एक हजार गज में मकान बन लिया और बाकी की जगह को बीस रुपया गज, तीस रुपया गज के हिसाब से बेचना चाहते हैं। क्या आपने जो प्लाट उनको दिये हैं क्या इस प्रकार की व्यवस्था वे कर सकते हैं कि प्लॉट्स उसमें से छोटे २ काट कर बेचना चाहें तो कौनसी पाबन्दी है जो वे नहीं बेच सकते।

"Any person who intends to sub-divide or re-constitute his plot"

जो प्लॉट ट्रस्ट द्वारा अलॉट कर दिये गये उसका उनके पास पट्टा है, बैनामा है उस

Page No 39

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हिसाव से वे चाहे जैसा उस प्लॉट को वेच सकते हैं या खुद वना सकते हैं। आप सी-स्कीम में चले जाइये, वडे वडे लोगों ने चार चार हजार गज के प्लॉट खरीद लिये, उसमें एक हजार गज में अपना मकान वना लिया और वाकी २० रुपये गज और तीस रुपये गज में वेच दिये। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जैसे सी-स्कीम में हैं वे अपने प्लॉटस तीस और पैंतीस रुपया गज के हिसाव से वेचना चाहते हैं वे इसी ऑर्डिनेन्स की इन्तजार कर रहे थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे कितने लोगों को इजाजत दी है, वे सदन के सामने रखेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ट्रस्ट द्वारा प्लॉट अलोट हुए हैं? क्या उनको इस प्रकार वेचने की इजाजत होगी? अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह वडे वडे प्लाट्स काटना वन्द कर दें क्योंकि हरिजन और गरीव जो लोग हैं उनको भी प्लॉट मिल सकें। राज्य सरकार की यह नीति है कि हरिजन और गन्दी वस्ती में रहने वालों को एक रुपया नोमीनल गज के हिसाव से कीमत लेकर उनको प्लाट दे दिये जायं। इसके विना राज्य सरकार इन गन्दी वस्तियों को समाप्त नहीं कर सकती। राज्य सरकार के लिये राजस्थान की राजधानी में इस प्रकार की गन्दी वस्तियों का रखना यह राज्य सरकार के लिये एक कलंक है। आप एक तरफ कहते हैं अपनी पैदावार वढ़ाइये, विकास करिये लेकिन जव तक आप इन गन्दी वस्तियों में निवास करने वालों को झोपड़ियों में रहने वालों को प्लाट नहीं देते, उनके रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं करते तव तक विकास नहीं हो सकता। आप उन लोगों को इन्सान की जिन्दगी वसर करने के लिये जमीन मुहैया नहीं करते तो यह राज्य सरकार के लिये वहुत वडी वात है। गवनर द्वारा निकाला हुआ नोटिफिकेशन है जिसमें आदेश है कि हरिजनों को नोमानल कीमत पर प्लॉट दिये जायं। माननीय मन्त्री महोदय के पास नोटिफिकेशन नहीं हो तो वह मेरे पास है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हरिजनों को एक रुपया गज के हिसाव से जमीन मिलेगी। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है जयपुर में किसी को प्लाट नहीं दिये गये व आज उसी प्रकार गन्दी वस्ती में ही निवास कर रहे हैं। इसके लिये मेरे साथी जो जयपुर से आये हैं उन्होंने इस वारे में प्रस्ताव रखा है व जयपुर को कच्ची वस्तियों के संवन्ध में आंकडे सदन में प्रस्तुत करेंगे। अध्यादेश में जो व्यवस्थायें हैं उन सवको मैंने देखा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और मेरी निश्चित मान्यता है कि कोई कारण ऐसा नहीं दिखता जिससे अध्यादेश की आवश्यकता हो। माननीय मन्त्री महोदय वे आंकडे देंगे कि इस अध्यादेश के जारी न होने से क्या गजब ढा जाता, ये सारी परिस्थितियां सदन के सामने रक्खें। राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेदों का दुरुपयोग न हो इसलिये मेरा निवेदन है कि मैंने जो संकल्प रखा है उसे स्वीकार करें। अध्यादेश जिन परिस्थितियों में जारी किया गया वे कोई माकूल परिस्थितियां नहीं हैं जिनके कारण ऐसा अध्यादेश जारी किया जाता। इन शब्दों के साथ में अपने संकल्प को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि

(श्री अध्यक्ष)
सदन द्वारा यह तय हो चुका है कि इस विधेयक को आज ही पारित किया जाय, इसलिये इस पर ध्यान रखना उचित होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल इतने बिल नहीं हैं जिन पर ज्यादा डिस्कशन हो। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की राय थी कि आज और कल में यह बिजनेस खत्म हो। कल यह खत्म हो जायगा और दूसरा काम भी कल समाप्त हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : कल और आज में यह सब विधेयक पास कर दिये जायेंगे, इस आशा के साथ यह बिल कल भी चल सकता है और उत्तर कल हो सकता है, लेकिन सब कार्य कल समाप्त करना होगा।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ गरमी के साथ कई बातें सदन के सामने रखीं। सदन में और सदन के बाहर भी जो भी बातें उनसे होती हैं वे तमाम बातें मैं गौर से सुनता हूं और उसके अनुसार अपने आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं। अब जहां तक मेरी निजी जिम्मेदारियों का सवाल है, दो महीने हुए जो जिम्मेवारियां आयी हैं वे जिम्मेवारियां और भी बढ़ेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये जिम्मेदारियां आप ही बढ़ाने के जिम्मेदार हैं, हम नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां : आप हो भी नहीं सकते और आपको सौंप भी नहीं सकता। म्युनिसिपैलटी के बारे में बातें कहीं गईं, जो सवालात उस बारे में पेश किये गये उनका।

पहला जवाब तो यह है और यह मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि अब तक एक भी प्लॉट सब-डिवाइड नहीं किया गया और न किसी को जयपुर में या जोधपुर में सब-डिवाइड करने की इजाजत दी गई, पर यह जरूर समझा गया कि कुछ कानून बने और इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सब-डिविजन जो होता है वह रोका जाव।

श्री भैरोंसिंह : आप एक क्लैरिफिकेशन कर दें कि प्लाट से आपका मतलब जो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के द्वारा अलॉट किये गये उससे है या प्राइवेट पार्टी द्वारा दिये गये उससे भी है, यह कन्फ्यूजन है; इसे स्पष्ट कर दें।

श्री बरकतुल्ला खां : प्लाट से मतलब जो सब-डिविजन में दिया गया है।

इसके बाद बताया गया कि म्युनिसिपैलिटियों में नक्शे भेज दिये जाते हैं, महीनों तक उनके जवाब नहीं आते। १५ दिन में जवाब नहीं आता है तो इसके बाद अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कर लिये जाते हैं तो इसके लिये ऑलरैडी सरकार ने हिदायतें कर दी हैं कि जो इसके लिये रेस्पोन्सिबल होगा, चाहे सेक्रेटरी हो या कोई हो, १५ दिन में नक्शा पास करे या ऑब्जेक्शन कर दे, ऐसा नहीं करेगा तो उस अफसर के खिलाफ उसकी सर्विस रोल में एन्ट्री की जावेगी और उसके खिलाफ वाजिब एक्शन लिया जावेगा।

(श्री बरकतुल्लाखां)

सबसे बड़ी दिक्कत की बात इसमें यह है कि म्युनिसिपैलिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट सरकार के डिपार्टमेन्ट्स नहीं हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं। अब इनके वर्क को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी सरकार पर आती है, वह सरकार करती है। पर यह समझ लेना कि उनके डे-टू-डे काम में इन्टरफियर किया जावे, यह सरकार की मन्शा कतई नहीं है और न यह पोसिबल ही है।

जो इनकी एक्टीविटीज हैं उनको को-ऑर्डिनेट किया जावे और इस तरह से काम करें कि उसमें डिले न हो। जब जब स्कीमें आई हैं टाउन प्लॉनिंग की स्कीम को स्क्रुटिनाइज करना पड़ता है। अब तक जैसा रहा उसके हिसाब से अगर टाउन प्लानिंग का काम यही रह जावे कि नीचे से स्कीमें आई तो धोबी मार्क लगाकर उनकी मन्जूरी दे दी जावे; तो फिर टाउन प्लानिंग की सही जरूरत नहीं रहेगी। इसका काम यह है कि नीचे की बनी स्कीमों को देखा जावे और जरूरत पड़े तो उसको चेन्ज करे और इसके बारे में सरकार को राय दे और तब वापिस ट्रस्ट को दी जावे ताकि ट्रस्ट उन अमेन्डमेन्ट्स को अपनी प्लान में इनकोर्पोरेट कर सके और इस तरह से तालमेल बैठाकर काम को आगे ले जाया जावे।

जैसे कहा गया कि ऑर्डिनेन्स निकालने की क्या जल्दी थी। मैं बताऊं कि जल्दी तो यह थी कि कहीं कहीं पर कुछ ऐसे बोर्ड भी हैं जिनको इलाके मिलने वाले थे उससे पहले ही उन्होंने उन इलाकों में जाकर काम शुरू किया, जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि यह काम शुरू कुछ नहीं किया, सिर्फ प्लॉट बांट दिये या ले लिये या नीलाम कर दिये। यह नहीं है। बल्कि काम उन्होंने यह किया कि जिस स्कीम में नक्शे बनाने पड़ते हैं, नक्शे बना लिये, एप्लीकेशनें इन्वाइट कर लीं, ओब्जेक्शन मांग लिये। जब उन्होंने इतना कर लिया तो मेरा काम यह था कि मैं उनकी मदद करूं। तो अब मेरे सामने रास्ता यह था कि या तो मैं उनका हौसला बढ़ाता और उनको जल्दी से अपनी प्लॉन पूरी करने में मदद देता या यह कहता कि ठहरो, अभी इन्तजार करो, कानून बनवावेंगे तब करना। इसमें चार-पांच महीने लग जाते। तो मेरी मंशा यह थी कि जिस बोर्ड ने अच्छा काम किया उसकी हिम्मत पस्त न करूं, बल्कि उसे बढ़ाऊं; वर्ना मेरे दोस्त यह कहते कि स्वायत्त शासन मन्त्री और उनका विभाग तो सोता रहता है। तो इसलिये मैंने यह कदम उठाया। अब जागता हूं तो ऐतराज हो जाता है, और सोता हूं तो आपको ऐतराज है सोता रहता है। तो करना क्या चाहिये। अगर कोई काम जल्दी करना चाहते हैं तो वजह नाराजगी हो जाती है, डिले करते हैं तो सजा मैं पाता हूं। पर आखिर कोई न कोई रास्ता तो...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सोते तो रहें, पर जागते हुए उबासी न लें।

श्री बरकतुल्लाखां : मजबूर तो किया जा रहा हूं कि उबासी नहीं लूं, सो जाऊं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मजबूरी सदन में नहीं है, कहीं बाहर होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपको नींद नई आनी शुरू हुई है?

श्री बरकतुल्लाखां : नींद तो पहले बहुत आती थी, अब तो उडने लग गई है।

तो इन जरूरतों को सामने रखते हुए हमने इस ऑर्डिनेन्स का सहारा लिया है। इसका मतलब यह नहीं कि बात यहीं खतम कर देंगे। बाकायदा असेम्बली में बिल आवेगा। इसके साथ जो माननीय सदस्य इस पर अपनी राय रखेंगे उनको सुनूंगा और यह सदन के जिम्मे होगा कि किसी को वह माने या रिजेक्ट कर दे। यह मेरा कतई मतलब नहीं था कि दो महीने के लिये यह ऑर्डिनेन्स बनाकर काम ले लें और बाद में ड्राप कर दें, बिल के फार्म में नहीं लाया जावे। मेरी मंशा इमानदाराना यह थी कि जिन लोगों ने उत्साह से काम किया उनकी हिम्मत बढाई जावे। इसलिये ऑर्डिनेन्स लाया गया। अब असेम्बली के सामने बिल आया है। फर्क इतना पडा कि दो महीने के पहले जरूर कार्यवाही की। इसके अलावा और कोई मंशा नहीं थी कि असेम्बली से बचाकर, छिपा कर, उसे धोखा देकर कोई चीज ऐसी कर लें कि दो महीने का फायदा उठा लें। मेरी ऐसी मंशा कतई न थी, न आज भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने इससे कोई फायदा नहीं उठाया, सिर्फ एमर्जेन्सी से फायदा उठाया।

श्री बरकतुल्लाखां : इलेक्शन्स हों, मैं तो खुद चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्लॉटों का डिविजन होने की जो बात है, तो जो प्लॉट्स ट्रस्ट द्वारा एलॉट किये गये हैं उनका भी हो सकता है। अब ट्रस्ट जो अलॉट करता है वह तो सैंक्शन्ड स्कीम के मातहत, उसके मुताबिक करता है और उस स्कीम को आपने सैंक्शन दी है। मतलब बडे प्लॉट बडी रोड पर रक्खे हैं तो आप उनको क्यों इजाजत देना चाहते हैं कि उसे फिर छोटा कर दें?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह रूल बना दिया गया है कि प्लॉटों की अलग अलग जगह मुकर्रर कर दी है और अब कोई प्लॉट १२००-१३०० वर्ग गज से ऊपर के नहीं होंगे। फिर इसके बीच कोई फिगर तय हो जावेगी तो उसके ऊपर के प्लॉट की मन्जूरी नहीं दी जावेगी ताकि आइन्दा सब डिविजन का सवाल खडा हो। मौजूदा लिमिट मुकर्रर कर रहे हैं, उससे बडा प्लॉट होगा तो वह सब-डिवाइड किया जा सकता है। अब कोई प्लॉट अलॉट नहीं होता। अब तो अगर अलॉट होता है तो केवल हरिजनों को या उन लोगों को जिनकी तनख्वाह ४०० तक है। उनको लो कोस्ट पर देते हैं और ४००) रु० से ऊपर आमदनी वालों को २५ परसेन्ट ऊपर लेकर दिया जाता है। तो न तो अब हम ऐसे किसी सेठ-साहूकार या बडे अफसर को अलॉट कर रहे हैं, न किसी बडे सर्विसमैन को। बडे बडे प्लॉट तो अब हम नीलाम कर रहे हैं। इसलिये यह फियर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: जो अब तक अलॉटेड प्लॉट्स हैं तो उनको क्यों सब-डिवाइड कर रहे हैं? अगर जरूरत है तो उनको एक्वायर कर लें।

श्री बरकतुल्लाखां : बदकिस्मती है कि अमेन्डमेन्ट मूव करने वाले हैं इस पर। आप मजबूर कर रहे हैं, पर इस स्टेज पर कुछ कहना मुश्किल है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) उस समय कह दीजिये

श्री अध्यक्ष: आप अपना मोशन मूव कर दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह,: On a Point of Order Sir, मेरे पास कॉन्स्टीट्यूशन की किताब तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि किसी एमर्जेन्सी के बिना पर ही ऑर्डिनेन्स जारी करने की व्यवस्था उसमें है । पर जो भाषण मन्त्री महोदय ने इस पर दिया उससे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार के पास इस प्रकार की कोई एमर्जेन्सी नहीं थी, पर फिर भी इस पर ऑर्डिनेन्स जारी कर दिया । उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अभी तक किसी प्लॉट का डिविजन नहीं किया, किसी स्कीम के बारे में ओब्जेक्शन नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष: एमर्जेन्सी तो उस प्रोवीजन के लिये बताई है जिसके द्वारा ट्रस्ट या ट्रस्टों ने अपनी अपनी जमीनों में ही नहीं बल्कि ऐसी जमीनों में भी जो उनके पास आई नहीं उससे ज्यादा की स्कीमें बना लीं । जहां तक मैं समझता हूं यही है ।

श्री भैरोंसिंह: यह तो सब कागजी स्कीमें थीं । वह स्कीम तो बता दें जिसके लिये एमर्जेन्सी हो गई और उन गलतियों को वेलिडेट किया है या नहीं, यह बता दें और कहां कहां ऐमर्जेन्सी थी, यह भी बता दें ? कम से कम यह बता दें कि कहां वेलिडेट करना जरूरी था और कहां एमर्जेन्सी पैदा हो गई ताकि इसकी तो जानकारी हो जावेगी । अब इस पर मतदान होगा, बहस होगी, फिर उत्तर मिले तो यह अधिक अच्छा होगा कि इसका उत्तर पहले मिल जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल २१३ का यह एब्यूज है । कोई सर्कम्स्टान्सेज ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं होते इसके लिये । There was no reason for the satisfaction of the State Government or the Governor to issue Ordinance. Let him choose any clause and give facts कि दो महीने में यह किया है । मैं तो यहां तक कहता हूं कि एमजेन्सी को बता दें ।

You choose any clause; 5, 6, 7, 8 or 9, इस क्लाज में सरकार ने यह किया और यह करना है और अगर यह नहीं करती तो यह हो जाता ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): पहले बता तो दिया था ।

श्री बरकतुल्लाखां : इसमें मैंने जैसा अर्ज किया माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने जो इलाका उनको मिलने वाला था, जो कि उनके लिए एग्री हो गया था उसके बारे में स्कीम बना ली और लोगों के ऑब्जेक्शन्स इनवाइट कर लिए और अपना वहां पर काम शुरू कर दिया और उसकी वजह से अगर यह ऑर्डिनेन्स नहीं निकलता तो सारा काम आठ-दस महीने के लिए रुक जाता और उसमें देरी हो जाती और उसके लिए फिर शिकायतें आतीं कि जो काम हो रहा था वह रुक गया । दूसरे मैंने कहा कि अन-ऑथोराइज्ड सब-डिविजन बहुत हो रहे थे उनको रोकने के लिए यह सब-डिविजन का क्लॉज को लाना पडा । यह ऐसी

(श्री बरकतुल्लाखां)

एमर्जेन्सी थी जिसके लिए रोज सुबह-शाम शिकायतें आती थीं।

श्री भैरोंसिंह : अभी तो आप बता रहे थे कि कोई सब-डिविजन नहीं हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सब डिविजन करने के लिए कोई दरख्वास्तें आईं ?

श्री बरकतुल्लाखां : क्योंकि गवर्नमेंन्ट की परमिशन कम्पलसरी है इसलिए ऐसा करना पडा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें तो आप ऑथोराइज करते हैं।

On the contrary you have authorised the Trust to recognise and regularise all those sub-divisions which were prevented by the previous Act. आप रुक कहां से गये ?

श्री बरकतुल्लाखां : Previously the divisions were made arbitrarily and without any regard for the development.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That was illegal and you had ample powers to check that, but you did not exercise your powers.

श्री बरकतुल्लाखां : We did, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then there was no necessity for this.

श्री बरकतुल्लाखां : There were so many cases that in order to give relief to the citizens that we had to make a law that one will have to develop his land, one will have to bring electric connections, etc. Unless you frame the rules that these are the things which you will have to do and then you are entitled, the people will divide the plots haphazardly. If you pass an order that you cannot sub-divide the people will sub-divide the plot, and then you go to a court of law for stay and there will be lengthy proceedings. So my purpose in recommending the ordinance to the Governor was that we shall have a regular way of doing things and stop those unauthorised fragmentations and make it clear that this is possible and this is not possible.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : As per your statement, your object was to provide relief. How many applications for sub-division you have decided ? And if there was no application pending, then there was no justification for the Governor to issue this ordinance.

श्री बरकतुल्लाखां : Sub-divisions were taking place without any reference to development. My friend has again and again referred to the case of Ram Babu-Ka-Ahata where the gentleman took the money without providing any roads or electric connections. I have taken up that case and I am trying to fight that out and am trying to see that similar cases do not happen again.

(श्री बरकतुल्लाखां)

Therefore, we will permit bigger plots to be divided on the condition that the development charges have either been paid to the Trust to effect those developments or they should effect those developments themselves and bring them in level with other colonies.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने रामबाबू के अहाते के ऊपर किया है तो क्या आपने उस केस को तय कर दिया और अगर नहीं किया तो यह कानून बनाने के बाद तय कर सकते थे। आपने ऑर्डिनेन्स जारी करने के बाद इस केस को तय कर दिया होता तो हम समझ लेते कि आपने रिलीफ दी है। इस मामले को तय नहीं किया था तो अब कर देते। उसके लिए ऑर्डिनेन्स की क्या जरूरत हुई ?

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव पेश कर दें।

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (सैकण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: Motion moved.

(विराम)

श्री मुकुटबिहारीलाल

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय..

श्री सतीशचन्द्रअग्रवाल : On a point of order, Sir.....

श्री अध्यक्ष : फिर कर देना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अच्छी बात है, साहब।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट (सेकिण्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ के संबंध में मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसको तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एकीकृत अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के संबंध में कानून सन् १९५९ में बना था। इस कानून से पहले राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और अलवर, इन स्थानों पर इस प्रकार के ट्रस्ट बने हुए थे। कुछ समय पश्चात् कोटा के अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को भंग किया गया और उसके स्थान पर मण्डी कमेटी की स्थापना कर दी। उस समय से लेकर अब तक हम यदि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों के कार्यों की ओर ध्यान दें तो हमें इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलेगा कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से नगर के जिस विकास की हम अपेक्षा करके चलते थे उसमें हमें कोई सफलता नहीं मिली। जयपुर नगर विकास मण्डल इस बात का एक जीता-जागता सुबूत है-मैं उसका कोई प्रमाण इस सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। पिछले दिनों में इस विकास ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष ने जब त्यागपत्र दिया था तो उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर और सरकार के विशेष तौर पर वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री के ऊपर आरोप लगाया था। वे आरोप असहयोग के थे। माननीय मंत्री महोदय ने भी, उस त्याग-पत्र के उत्तर में अपना स्पष्टीकरण देते हुए अध्यक्ष के ऊपर इस बात का आरोप लगाया था कि उन्होंने नगर विकास के संबंध में जितनी स्कीम्स बनानी चाहिए थी उतनी नहीं बनाई, उनका काम संतोषजनक नहीं रहा और कई प्रकार की इरगुलेरिटीज

(श्री भैरोंसिंह)
उन्होंने अपने स्पष्टीकरण के अन्दर बताई। यह इस बात का सुबूत है कि नगर विकास के अध्यक्ष जो कि पिछले चार-पांच वर्षों से नगर विकास मण्डल के अध्यक्ष थे उनके ऊपर हमारी सरकार ने जब अकर्मण्यता का आरोप लगाया तो उस आरोप से यह कम से कम सिद्ध होता है कि नगर विकास मण्डल से जितनी अपेक्षा नगर के विकास की कर पाते थे उतना विकास नहीं हुआ। इस प्रकार हम जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, इन नगर विकास ट्रस्टों की भी जानकारी करें तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता कि पिछले दिनों में जोधपुर नगर में हमारे इसी सदन के एक माननीय सदस्य के नेतृत्व में वहां की कच्ची बस्तियों के लोगों ने सरकार के सामने एक प्रदर्शन किया और उन्होंने इस बात की मांग की कि हमें बसाये जाने के संबंध में उचित व्यवस्था की जाये। कई वर्षों से लोग जो झोंपडियों में पडे हैं, कच्चे मकानों में पडे हैं वे सरकार से आशा करते थे कि वह सरकार हमें प्लॉट्स के अलॉटमेन्ट करेगी जिनके ऊपर हम अधिकृत रूप से अपने भवनों का निर्माण करेंगे लेकिन बदकिस्मती से जोधपुर के विकास ट्रस्ट ने उनकी मांग की अवहेलना की। आज भी जोधपुर नगर के अन्दर हजारों परिवार इस प्रकार के हैं कि जिनको आपने पक्के मकान बनवाने की इजाजत नहीं दी, खास तौर से उन लोगों को कि जो वहां से पीढ़ियों से रहते हुए आये हैं। जोधपुर के विकास के संबंध में इस ट्रस्ट ने कुछ नहीं किय।

पिछले दिनों मैं इसी मसले को लेकर बीकानेर गया था। बीकानेर के नगर विकास ट्रस्ट ने क्या क्या कार्यवाही की है, इस संबंध में जानकारी करने का अवसर मिला। मुझे जानकर बहुत अफसोस हुआ कि बीकानेर के नगर विकास ट्रस्ट ने अभी तक केवल एक स्कीम पारित की है, बाकी की स्कीमों के बारे में उसने कोई कार्य नहीं किया। जहां तक अलवर का सवाल आता है या अजमेर का सवाल आता है; मैं अजमेर के बारे में तो कुछ बातें अमेन्डमेन्ट के अवसर पर कहना चाहूंगा कि अजमेर में किस प्रकार का विकास हुआ है लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं कि नगर विकास मण्डलों से जितनी विकास की अपेक्षा रखते थे वह पूर्ण नहीं हो सकी। अब उसका कारण क्या है? उस कारण की यदि गहराई में जायें तो कारण स्पष्ट नजर आता है कि उन शहरों के अंदर एक ड्यूएल ऑथोरिटी क्रियेट की। एक तो नगर परिषद होती है, नगरपालिका होती है वह काम करती हैं, उसके ऊपर एक दूसरी बॉडी क्रियेट कर दी नगर विकास ट्रस्ट के नाम से और नगरपालिका और नगर विकास ट्रस्ट दोनों में एक प्रकार का संघर्ष चलता है। दोनों के फाइनेन्सेज इसमें इनवोल्वड हैं, दोनों की ऑथोरिटीज इनवोल्वड हैं। तो जहां ऐसा होता है वहां यह प्रश्न पैदा होता है कि हम इन झगडों को किस प्रकार से समाप्त कर पायेंगे। लेकिन होता क्या है कि वे झगडे समाप्त नहीं होते, दिन-ब-दिन बढते ही जा रहे हैं और उसका कारण यह है कि नगरपालिका के चुने हुए लोगों को इस बात की जानकारी है कि वह जनता का विश्वास प्राप्त करके इसके सदस्य हैं और इस नाते नगर का विकास करने का हमारा अधिकार है और उसके ऊपर ऐसे व्यक्तियों को थोप दिया जाये कि जो चुने हुए नहीं हैं बल्कि सरकार के मर्जीपात्र होते हैं; तो यह संघर्ष

Page No 47

(श्री भैरोंसिंह)
एक प्रकार से चुने हुए लोगों और दूसरे लोगों के बीच में चलता है ।

(१ म.प.)

और उस संघर्ष का परिणाम यह निकला है कि जो विकास हम करना चाहते थे वह विकास नहीं हो पाता । मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में नगरपालिका कानून के अन्तर्गत इसमें इस बात की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के आधार पर नगर परिषद् को नगर का अपनी इच्छा के अनुसार सरकार के नियमों के अन्तर्गत चलते हुए विकास करने का अधिकार है । अब उस विकास के अन्दर हम इस प्रकार के लोगों से बाधा उपस्थित कराना चाहते हैं । जो लोग जनता का विश्वास प्राप्त करके उसके प्रयोग करने के अधिकारी हैं उनको प्रयोग करने का अधिकार नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर एक प्रकार से ठेस पहुंचेगी । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जितने भी नगर विकास ट्रस्ट हैं, उनमें कहीं सरकारी अधिकारी चेयरमैन हैं । आज तो इस संबंध में एक भी स्थान नहीं रहा। जयपुर के अन्दर नगर विकास ट्रस्ट के अधिकारी थे, जो सभापति थे वे सभापति एक पार्टी के मेम्बर थे । आप यदि यह चाहते हैं, कि नगर परिषद् के चुने हुए लोगों में विश्वास नहीं है, नगर परिषद् के कानून में लोकतांत्रिक विधि में कोई आस्था नहीं है, इसलिये उस पर कन्ट्रोल रखने के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सभापति बनाते हैं, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति आज नगर परिषद् में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अन्दर या कलेक्टर के अन्दर या एस. डी. एम. के अन्दर काम करने को तैयार हो । यही कारण है कि नगर विकास मंडल में नगर के व्यक्ति नहीं हैं ।

जयपुर का रहने वाला व्यक्ति चाहे वह कितना ही भ्रष्ट हो, उस पर कितनी ही अनियमित कार्यवाही करने का आरोप लगाते हैं वह भी अपने दिल में एक धारणा रखता है कि इस बस्ती का मुझको विकास करना है, उसका स्थान किसी अधिकारी को देने की कोशिश करेंगे तो रूटीन का वर्क होता है और इनीशियेटिव की कमी होती है और रूटीन वर्क से स्कीमें बनाते रहते हैं, इस प्रकार से काम करते रहते हैं । इस बस्ती को बसाया जाना है, इस प्रकार का ध्यान उनका विशेष रूप से नहीं होता है । यही कारण है कि हम राजस्थान के अन्दर राजस्थान के नगरों का विकास नहीं कर पाये । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि या तो सरकार स्पष्ट बात कह दे कि नगरपालिकायें शहरों का विकास नहीं कर सकतीं या सरकार यह कहे कि कानून हमारे बनाये हुए नहीं हैं और अंग्रेजों के जमाने के बनाये हुए हैं उस समय जब कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को स्थापित किया था तो यह दृष्टिकोण था कि नगरपालिका में ऐसे आदमी पहुंच गये जिनसे हम किसी प्रकार का इस तरह का काम नहीं करवा सकते हैं कि कोई मजबूरी हो जायेगी, और उसके ऊपर अपना कन्ट्रोल करने के लिये अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट स्थापित किया था । आज भी उसी आधार पर हम अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को स्थापित करें तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि वह लोकतांन्त्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है , लेकिन फिर भी सरकार अगर चाहती है कि इसको बनाये रखे तो कम से कम इस बात का तो निर्णय ले कि आखिर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की क्या आवश्यकता है ।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, आज अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के कारण नगरपालिका की जो सम्पत्ति है उस सम्पत्ति पर एक प्रकार से एन्क्रोचमेन्ट है। नगर के अन्दर खाली भूमि पर अधिकार नगर परिषद् का होता है पर बदकिस्मती से यहां अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का हो गया है जिसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में १४२ नगरपालिकायें हैं उन नगरपालिकाओं में से कोई भी नगरपालिका ऐसी नहीं है जिसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो। वित्तीय स्थिति असंतोषजनक होने के कारण सरकार को ओब्लीगेटरी टैक्स लगाने के लिये परिपत्र निकालने पड़े। जनता की इच्छा के विपरीत उनको टैक्स लगाने के लिये मजबूर किया जा रहा है। नगर के सारे वित्तीय साधन सारे नगर विकास मंडल को दे दिये और फिर हम नगर परिषद् से उम्मीद करें कि नगर के अन्दर स्वास्थ्य की दृष्टि से, बाकी सेवाओं की दृष्टि से जनता की समस्याओं का समाधान करें! यह किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इस प्रकार की दलीलों के आधार पर यह चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी यह समझें कि इस संबंध में राजस्थान में किसी भी प्रकार के नगर विकास मंडल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिन शहरों में स्थापित किये गये हैं उन स्थानों पर इस कानून के बारे में जनता का जनमत प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नगर परिषद के पक्ष में मत देंगे और नगर विकास मंडल को जनता का मत किसी भी प्रकार से नहीं होगा। आखिर जब जनता विकास करना चाहती है, जनता अपना विकास करने के लिये स्वयं आगे तैयार होकर आती है तो वह एजेन्सी स्वीकार करनी चाहिये जिसमें जनता का वॉलण्टरी कॉन्ट्रीब्यूशन हो। इसमें कोई वॉलन्टरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब उस हालत में हम देखेंगे कि जयपुर की एक मिसाल लें, अजमेर की एक मिसाल लें कि नगर विकास मंडल ने कितना इम्प्रूवमेन्ट किया है। स्कीमों के बारे में मैं नहीं कहता लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने पिछले सदन में जो वहां के सभापति पर आरोप और प्रत्यारोप लगाये थे उससे स्वयं अन्दाजा लगा लीजिये कि कितना काम किया है। आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति क्यों चलती है? वह इसलिये चलती है कि इस प्रकार के ट्रस्ट बना दिये हैं, जिन ट्रस्टों में कुछ मेम्बर ऐसे हैं कि जो नगर परिषद् के अन्दर भी सदस्य हैं और वे ही वहां पर सदस्य हैं। उसके बावजूद भी कोई विश्वास नहीं है कि जितने प्लोट्स का एलॉटमैन्ट किया जाता हो वह ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं मुझको माननीय मंत्री महोदय ने पिछली बार भी कहा था और मुझे इस बात से खुशी हुई थी। तब माननीय मंत्रीजी ने इस बात का आश्वासन दिलाया था कि इस संबंध में आपके साथ बैठकर विचार करेंगे। उन्होंने प्रयास भी किया। एक चिट्ठी मुझे लिखी कि इस संबंध में सैक्रेटेरियेट में बैठकर विचार करेंगे कि जयपुर का विकास किस प्रकार से हो सकता है, प्लाट का वितरण किस प्रकार से हो सकता है गलत रूप में जो प्लाट एलाट किये गये हैं उनको किस प्रकार से वापिस लिया जा सकता है? रेट्स किस आधार पर फिक्स किये जा सकते हैं? उसके बाद में एक लैटर आया कि जो तारीख मीटिंग की निश्चित की गई है उस दिन मंत्री महोदयको कोई आवश्यक कार्य हो गया था

(श्री भैरों सिंह)

इसलिये जयपुर में नहीं आसके और मीटिंग पोस्टपोन की गई । दुबारा लेटर इश्यू हुआ लेकिन उस तारीख को भी मंत्री महोदय उपस्थित नहीं रहे । इस बात को हुए करीब आज आठ महीने हो गये, लेकिन मेरे पास उस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली । तो यह मान कर चला जाय कि सरकार की इच्छा नहीं है कि नगर विकास मंडल के द्वारा स्वयं नगर का विकास कराया जाए। अगर सरकार की इच्छा होती तो सदन के अन्दर जो नगर विकास मंडल पर आरोप लगाये गये थे, तो कम से कम उन आरोपों की जांच करने के लिये, जैसा कि मैंने उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा था कि सैक्रेटेरियेट में उनके चैम्बर में बैठकर इस चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन वह आज तक नहीं हुआ । मैं मंत्री महोदय पर यह आरोप तो नहीं लगाता, लेकिन यह कहना चाहूंगा कि आपने उन चीजों के दबाने की चेष्टा क्यों की ? आपका उसमें व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट नहीं हो सकता है यह मैं मानता हूं, प्लॉट के अलाटमैन्ट का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, यह भी मानता हूं क्योंकि आपको शहर में कहीं भी प्लाट मिल सकता है लेकिन जिन लोगों के साथ में अभी तक अन्याय हुआ है उन लोगों के लिये आपने क्या व्यवस्था की है ?

मैं, माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से एक बस्ती का जिक्र करना चाहूंगा कि कितना जबरदस्त अन्याय वहां के नागरिकों के साथ किया गया है । बस्सी सीतारामपुरा नाम की एक बस्ती है । उस बस्ती को सारी को लैंड एक्वीजिशन के अन्दर लिया गया । वहां के १५६ लोगों के नाम गजट में प्रकाशित किये गये । गजट में जिन लोगों के नाम प्रकाशित हुए, उनमें से केवल ४६ लोगों को छोड़कर कुल १०० लोगों को कच्चे प्लॉट दिये गये, यानी उनको उन पर पक्के मकान बनाने का अधिकार नहीं है । १५६ में से १०० आदमियों को कच्चे प्लॉट एलॉट किये गये और २५ आदमियों को प्लॉट एलॉट नहीं किये गये । उन २५ आदमियों को प्लाट एलॉट नहीं किये जाते हैं जिनके नाम लैंड एक्वीजेशन किया गया है तो गजट में नोटिफाइड हुए हैं, लेकिन जिन आदमियों के नाम उस नोटिफिकेशन में शामिल नहीं हैं ऐसे २२ व्यक्तियों को जयपुर शहर से उठाकर प्लॉट एलॉट किए गये हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह अन्याय क्यों उन लोगों के साथ में होता है ? जो बरसों से बस्सी सीतारामपुरा में बैठे हुए हैं उन लोगों का पट्टा नहीं मिलता है और जो जयपुर शहर में रहते हैं उनको बस्सी सीतारामपुरा की लैण्ड एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग खत्म नहीं होती है, लेकिन उनको प्लाट दे दिये हैं । उनको केवल इस लिए प्लाट मिले हैं कि वे किसी अधिकारी या मंत्री महोदय के कृपापात्र लोग हैं । उनके नाम यदि मंत्री महोदय पूछना चाहें तो उनकी कम्पलीट लिस्ट नामों की देने को तैयार हूं । उस हालत में कोई आज यह उम्मेद करके चले कि अर्बन इम्प्रूवमन्ट बोर्ड जनता के साथ न्याय करेगा ठीक नहीं है । माननीय मंत्रीजी नोट करलें कि बस्सी सीतारामपुरे का जो प्लान एप्रूव करने का किया गया था और जो एप्रूव करने का अधिकारी है उस अधिकारी ने जो प्लॉन एप्रूव किया है और गवर्नमेंन्ट ने जो प्लान एप्रूव किया था अर्बन इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट ने उस प्लॉन को बदल दिया है धीरे धीरे और ऐसे प्लॉट निकाले जो कि बीच बीच में गार्डेन्स

(श्री भैरों सिंह)

के लिये थे या दूसरे लोगों के लिये रिजर्व थे, वे भी ऐसे लोगों को दे दिये गये जिन्होंने चुनावों में सरकार की मदद की थी। यह किस प्रकार का न्याय है ? जिनके घर हैं और जो पीढ़ियों से उन घरों में रहते आये हैं उन घरवालों को प्लॉट नहीं मिलता है और जो घाट दरवाजे के रहने वाले हैं और किसी मंत्रीजी के कृपा-पात्र हैं तो प्लाट मिल जायगा। इस क्वालिफिकेशन के आधार पर गरीबों के साथ में अन्याय करेंगे तो वह एक प्रकार का जुर्म है जिसके लिये उनको सजा दी जा सकती है।

रामबाबू के अहाते का आपने बड़ी शान से जिक्र किया था। आप जो कानून बनाना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आप अर्बन इम्प्रूवमैन्ट बोर्ड एक्ट को देख लीजिये, ट्रस्ट एक्ट को देख लीजिये, यदि ट्रस्ट एप्रव करना चाहता तो पहले किया जा सकता था। जितने डेवलपमैन्ट चाजज होते हैं उन्हें देने का एग्रीमैन्ट लिखकर दिया है, बाकी का पैसा जमा कराने को वहां के लोग तैयार हैं। उन्होंने डेवलपमैन्ट स्कीम को एप्रूव कराया है, टैक्निकल एडवाइस ली है। अर्बन इम्प्रूवमैन्ट बोर्ड ने उसे स्वीकार किया है, गवर्नमैन्ट से सैन्क्शन ली है, फिर भी मंत्रीजी कहते हैं कि वहां पर गड़बड़ी होने वाली है इसलिये आपने उसको रोक दिया, उसका उपाय निकालना चाहते हैं। जो डेवलपमेन्ट स्वेच्छा से करना चाहते हैं मैं इस बात का हामी हूं कि उनको मौका मिलना चाहिये। आपके द्वारा डेवलपमैन्ट का काम समय पर नहीं होता, उसमें टाइम लगता है लेकिन जब लोग कहते हैं कि हम डेवलपमैन्ट करने को तैयार हैं, या सरकार करे तो खर्चा देने को तैयार हैं इसने तो सरकार को आसानी होती है प्राइवेट लोगों को डेवलपमेन्ट करने का अवसर दिया जाय। लेकिन रामबाबू के अहाते का मामला पिछले ८ वर्षों से हल नहीं हुआ। वहां के लोग लगातार चेष्टा कर रहे हैं, पिछले तीन वर्षों से इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट ने एप्रूव कर दिया है फिर भी उनकी उनको पर्मिशन नहीं देते। आप यह कह सकते हैं कि इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट को पर्मिशन देने का अधिकार नहीं था लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। पहले भी उनको पर्मिशन देने का अधिकार था और अब भी है।

पिछले दिनों में जितने प्लॉट एलॉट किये हैं खादी बोर्ड वालों को, बल्कि मुझे जानकारी मिली है कि उनके बारे में मंत्रीजी ने कुछ आर्डर्स किये, उसका असर यह हुआ कि बड़े बड़े नेताओं के प्लॉट्स तो बदस्तूर जारी रहे और छोटे छोटे और गरीब कर्मचारियों को प्लॉट्स पर भवन निर्माण नहीं करने दिये। आप क्या इस तरह से समाजवाद का निर्माण करने जा रहे हैं ....

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन, मंत्री) : इसमें कौनसा बच गया, जिसका कैंसिल नहीं हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : वे सब बच गये जिनके मकान बन गये। उनमें से किसी को तुड़वाया नहीं गया।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, जिन जिन ने मकान नहीं बनाये, खादी वाले चाहे छोटे थे या बड़े थे, सदन की मर्जी के मुताबिक उनको कैंसिल कर दिया।

Page No 51

श्री भैरोंसिंह : उस के लिये मैंने आपकी तारीफ कर दी, लेकिन जिनके मकान बन गये उनका क्या हुआ ?

श्री बरकतुल्ला खां : उनका क्या होता, लेकिन जिनके नहीं बने वे सब कैंसिल कर दिये गये ।

श्री भैरोंसिंह : जिनके पास पैसा था और जो खादी के बड़े बड़े नेता थे, जिनके आमदनी का जरिया था, जिनका पक्ष मजबूत था, उनके प्लोट्स कैंसिल नहीं किये गये या उनके मकान नही तुड़वाये गये । मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं । जिनके मकान बन गये हैं उन्होंने म्युनिसिपैलिटी से नक्शे पास नहीं करवाये । आपकी जगह यदि मैं होता तो एक दिन में म्युनिसिपैलिटी के जरिये उनके मकान तुड़वा देता । आप भी चाहें तो तुड़वा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वे खादी के नेता हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, खादी के नेता हैं इससे क्या मतलब है ? खादी तो दूसरे भी पहिनते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : खादी तो मैंने भी पहन रखी है, आप चिन्ता न करें ।

जयपुर में मुझे खुशी है इस बात की कि पिछली बहस के बाद मंत्रीजी ने कुछ एक्शन लिया जो तारीफ करने लायक है । अर्बन इम्प्रूवमेंन्ट बोर्ड ने जिनको प्लोट्स दिये थे उनसे बकाया वसूल करने का प्रयत्न किया और उन लोगों से वसूल किया जिनसे आसानी से वसूल कर सकते थे । लेकिन जिन लोगों से आसानी से वसूल नहीं कर सकते थे उनसे वसूल नहीं किया । कानून उन पर भी लागू हो सकता था, नोटिस उन पर भी शाया किया जा सकता था, डिमाण्ड स्लिप उनके नाम से भी हो सकती थी । लेकिन, इसके लिये भी केटेगरी बनाई गई और उसमें यह देखा गया कि इनको तंग करेंगे तो सिफारिश नहीं आयेगी और उनको करेंगे तो सिफारिश आयेगी । आप चाहें तो मैं आपको ऐसे लोगों को बता सकता हूं जिनसे आपने वसूल नहीं किया । मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से वसूली क्यों नहीं की गई ? उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया ? उनको डिमाण्ड स्लिप क्यों नहीं इश्यू हुई, और वसूली क्यों नहीं हुई, मंत्रीजी इसका जवाब दें । केवल मैं ही उन पर यह आरोप नहीं लगाता मैं यदि आरोप लगाता हूं तो मंत्रीजी नाराज होंगे, लेकिन देवीशंकरजी तिवारी, जिन्होंने अर्बन इम्प्रूवमेंन्ट बोर्ड के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया है उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार ऐसे अधिकारियों को प्रोत्साहन देना चाहती है जिनसे इम्प्रूवमेंन्ट बोर्ड को वसूली करनी है । एक विरोधी सदस्य होने के नाते आप मेरी बात को स्वीकार नहीं करते लेकिन अर्बन इम्प्रूवमेंन्ट बोर्ड के चेयरमैन ने दोष लगाया है । यह इस बात का संकेत है कि सरकार अधिकारियों के साथ रियायत करना चाहती है । यदि किसी अधिकारी में या दूसरे कर्मचारी में बकाया है तो सरकार का उनके लिये समान दृष्टिकोण होना चाहिये ।

अब तक इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट ने जयपुर में जितनी बस्तियां बसाई हैं, बस्सी सीतारामपुरा को देखिये, एक आनंदपुर नामकी

(श्री भैरोंसिंह)

बस्ती बसाई है उसको नजरिया देखें तो ऐसा लगता है कि सरकार का बनाया हुआ नर्क है। अब सरकार नर्क कैसे बनाती है, यह भी सुन लीजिये। चौतरफ से इस ऐरिया को डेवलप कर दिया बीच में से पानी रखने का साधन रख दिया। बीच में जो मिट्टी पडी थी वह मकान बनने में लग गई और उसके स्थान पर गड्ढे बन गये और उस सारे एरिया का पानी, सारी आनंद पुर बस्ती का पानी उस गड्ढे में भर जाता है और वह स्थान नर्क के समान लगता है। अभी मुख्य मंत्रीजी वहां गये थे और वहां पर उन्होंने ५,००० रु. देने का एलान कर दिया लेकिन ऐसा लगता है कि मितव्ययता के कारण वे पांच हजार रूपये भी गायब हो गये और वहां के लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। घोषणा तो करने को कर देते हैं लेकिन जब देने की बात होती है तो ऐसा लगता है कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब छुरी लेकर उस पर बैठ गये और उन्होंने वे ५,०००) रु. नहीं दिये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरह से क्यों अन्याय किया जा रहा है ?

आपने प्लाट एलॉट किये उनमें कितनी अनियमितता हुई उसकी जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। एक एक परिवार को तीन तीन प्लॉट मिल गये हैं और दूसरी तरफ एक एक परिवार में जहां १८ व्यक्ति रहते हैं उनको एक भी नहीं मिला, और जो वहां पर रहने वाले थे उनको नहीं मिला। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकार इस बात की जांच करे लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जो लोग वहां पर झोंपडे बनाकर बैठे हैं उनको पट्टा इश्यू नहीं किया और दूसरों को उनके प्लॉट इश्यू कर दिये। जिनको प्लॉट इश्यू कर दिये वे लोग तहसीलदार को और पुलिस को और हाकिमों को लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम मकान तुडवा देंगे लेकिन वे लोग मंत्रीजी के हुक्म को उनके आगे रख देते हैं। पिछले सदन में एक ऐतिहासिक घोषणा में उन्होंने कह दिया था कि कच्ची बस्तियों के लोगों को पट्टा देने में प्राथमिकता दी जायगी। उनके भाषण का अंश अखबारों में छपा था, लोकवाणी और राष्ट्रदूत में छपा था। लोग उसके कटिंग जेब में लिये घूमते हैं इस लिये जब तहसीलदार और पुलिस वाले उनके पास आते हैं तो वे ये कटिंग उनको बता देते हैं या मंत्रीजी की फोटो जिसमें छपी थी वह कटिंग उनके सामने कर देते हैं। मैंने भी उनसे कह दिया कि पुलिस वाले और तहसीलदार तुडवाने के लिये आवें तो हमारे पास आइये। हम आपको मंत्रीजी के पास ले जायेंगे, मंत्रीजी जबान से बदलने वाले नहीं हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि जहां जयपुर के २५,००० परिवार कच्चे मकानों में बसने वाले या रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिये कुछ तो व्यवस्था करिये। यह काम आपकी यू. आई. टी. से नहीं होने वाला है उनमें लोगों का विश्वास नहीं है। उसके एक मेम्बर ने एक अपने नाम प्लाट लिया, बाद में उसको अपने बेटे के नाम पर ट्रान्सफर करवाया और स्वयं ने सी. स्कीम में दूसरा बढिया प्लाट ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कोनसा कानून है ? इनको हटाने के लिये ऑर्डिनेन्स नहीं इश्यू किया जा सकता, उन पर कलम क्यों नहीं चल सकती ? कानून भी उनके लिये है और कलम भी उन पर चल सकती है लेकिन एक बात यह है कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं ......

Page No 53

श्री बरकतुल्लाखां : कौन हैं वे ?

श्री भैरोंसिंह : सीरूमलजी । मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मैं समझता था कि आपकी मेमोरी तेज होगी, लेकिन मुझे दुख है कि मैमोरी इतने दिनों में ही कमजोर हो गई• · · · ·

श्री बरकतुल्लाखां : मैं चाहता था कि एक आदमी पिन डाउन हो तो जाय ।

श्री भैरोंसिंह : मैं सिफारिश करूंगा कि आप ब्राह्मी का इस्तेमाल करें ।

श्री बरकतुल्लाखां: आप जिस दिन एजेन्सी ले लेंगे, मैं खरीदना शुरू कर दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह: ऐसी स्थिति में मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कम से कम ऐसी चीजों को वे हटावें और इस बोर्ड को जिस ढंग से बनाने की चेष्टा की है, उसे और इन फेक्टर्स को ध्यान में न रखकर लोकल वोइस को इगनोर करके बोर्ड को बनाया तो निश्चित रूप से उसमें बाधायें उपस्थित होंगी, निश्चित रूप से उसके काम में रुकावटें पैदा होंगी और जनता का इसे चलाने के लिये जो सहयोग चाहते है वह नहीं मिलेगा । आज जयपुर के अन्दर प्लाट्स का विक्रय होता है, अध्यक्ष महोदय। अगर मंत्री महोदय मेरे साथ चल कर सर्वे करने को तैयार हों तो वे चलें । आज जयपुर के अन्दर ७५ प्रतिशत प्लाट्स बिल्कुल अनधिकृत रूप से दिये गये है । मैं बिलकुल अधिकृत रूप से कहता हूं कि ७५ परसेन्ट प्लाट्स, जो यू. आई. बी. ने अलाट किये हैं, वे नियमों के विरुद्ध हैं और नियमों के विरुद्ध इस प्रकार से हैं कि किसी का मकान जयपुर में है, जोधपुर में है या उदयपुर में है लेकिन फिर भी यहां पर उसने प्लाट लिया है । किसी का प्लाट दूसरे रिश्तेदार के नाम है और उसने फिर जयपुर के अन्दर प्लाट लिया है । कई व्यक्तियों ने म्युनिसिपैलिटी से प्लान एप्रूव नहीं कराया है और हाउस का कन्ट्रक्शन करा लिया है और कई व्यक्तियों ने म्युनिसिपैलिटी के एप्रूव्ड नक्शे के विपरीत कन्ट्रक्शन करा लिया है । इस प्रकार के केसेज ७५ परसेन्ट प्लाट्स में मिलेंगे । कई प्लाट खाली पड़े हैं और जो प्लाट हाउस अकोमोडेशन के लिए थे, वे कार्मशियल बेसिस पर यूज किये जा रहे हैं । एक तो अधिकृत रूप से कर दिया । सरकार ने जयपुर में एक सिनेमा बनाने की इजाजत दे दी, लेकिन वह कार्मशियल पर्पज के लिए प्लाट नहीं था, वह रेजिडेंशियल प्लाट था । जयपुर की जनता और रेजीडेन्सी में रहने वाले व्यक्ति कहते हैं कि इस प्रकार सिनेमा वहां बना दिया गया तो आस-पास के हाउसेज के लिए एक अननेसेसरी न्यूसेंस क्रियेट हो जायगा । लेकिन हमारी सरकार ने पर्मीशन दे दी, और सिनेमा बनाने के लिये लोन दे दिया । उसके बाद सिनेमा की नींव लगा दी और उसका उद्घाटन कर दिया और फोटो खिचवा ली लेकिन सिनेमा अभी तक गायब है । सरकार कहेगी कि उसे कन्वर्ट कर दिया है । मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यह क्यों हुआ ? आखिर एक गरीब आदमी रेजिडेंशियल प्लाट को कार्मशियल प्लाट में कन्वर्ट करने की पर्मिशन ले तो उसको पर्मिशन नहीं मिलती है । सरकार कह देगी कि इसके अन्दर इस आधार पर कुछ कीमत बढा कर ले ली है । यह कोई तरीका नहीं है कि पैसे वाला व्यक्ति कन्सेशनल तरीके से रेजिडेंशियल प्लाट लेकर उसे कॉर्मशियल पर्पज के लिये कन्वर्ट कराना चाहता है तो ज्यादा पैसा देकर करा सकता है । लेकिन यह आपकी

(श्री भैरोंसिंह)

स्कीम में नहीं था, जो ओरीजिनल स्कीम बनाई थी मिर्जाइस्माइल ने, उसके अन्दर यह चीज नहीं थी, जिसको आप इन्ट्रोड्यूस करके लोगों के लिये न्यूसेन्स क्रियेट करना चाहते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जयपुर के बारे में सरकार एक कमेटी अपोइन्ट करे और ट्रस्ट के द्वारा प्लाट्स के अलोटमेंट में जो गडबडियां हुई हैं उन्हें देखें, जिन लोगों को प्लाट दिये गये हैं उसको देखे, जिन लोगों ने म्युनिसिपैलिटी के नक्शे के मुताबिक नहीं बनाया है उसको देखे और जो अनधिकृत रूप से मकान बना लिये गये है उनको देखे और फिर निर्णय करे कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इन चार वर्षों म कानून के अनुसार कितना काम किया है। तो पता लगेगा कि उनके सामने कोई कानून नहीं था और कानून नहीं था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स के अन्दर आज जनता का विश्वास नहीं है।

आप अजमेर में जायं। पिछले दिनों, अध्यक्ष महोदय, यह देव संयोग था कि अजमेर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर ही म्युनिसिपैलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर थे और वे ही यू. आई. बी. के चेअरमैन भी थे। एक आदमी के पास चार काम हो सकते हैं, लेकिन नगरपालिका के चेयरमैन के पास दो काम नहीं हो सकते। कलेक्टर के पास कई काम हो सकते है, किसी प्रकार का काम उससे लिया जा सकता है लेकिन श्री श्यामबिहारीलाल के लिए कह दिया जाय कि उन्हें नगर विकास मंडल का चेयरमैन बनाया जाय तो सरकार कहेगी कि उन्हें फुर्सत नहीं मिलती लेकिन कलेक्टर को फुर्सत है, वह यू. आई. बी. का चेयरमैन है, म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर है और डेवलपमट कमेटी का चेयरमैन है, एन. डी. एफ. का चेयरमैन है। अध्यक्ष महोदय, पहले राजा-महाराजाओं के दरबार होते थे तो उन दरबारों में रियासतें (जागीरें) दी जाती थी, पदवियां देने की घोषणा की जाती थीं। उसी तरह जब इन कलेक्टर महोदय का वहां से ट्रान्सफर हुअ तो बाकायदा दरबार लगाया गया। किसी ने कहा, इतनी जमीन चाहिए तो फौरन कह दिया कि इतनी लो। किसी ने कहा, मकान का पट्टा चाहिये तो हुक्म दे दिया कि पट्टा लो। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार को इन्क्वायरी करा कर यह करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः सब प्रस्ताव एक साथ उपस्थित किये जायेंगे, फिर एक साथ उत्तर होगा और फिर मतदान होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवालः अगर आप बोलना चाहते हैं तो पहले अपनी सीट पर आकर बैठें और फिर बोलें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसी का समर्थन अपने प्रस्ताव के जरिये करता हूं। मेरा प्रस्ताव इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का था लेकिन चूंकि इसके ऊपर जनमत के लिए प्रसारित करने के लिये प्रस्ताव था, इसलिये मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अन्दर बहुत से ऐसे दोष हैं जिन दोषों के बारे में

(श्री विजयसिंह झाला)

इसको जनमत के लिये प्रसारित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे इसमें क्लाज़ २ में सिविक सर्वे का उद्देश्य है, उसके अनुसार गवर्नमेंट एक ओफिसर अपोइन्ट करेगी और वह आफिसर सिविक सर्वे करके अपना मास्टर प्लान पेश करेगा। मैं समझता हूं, जिस म्युनिसिपैलिटी एरिया का मास्टर प्लान बनता है, उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि म्युनिसिपल बोर्ड को उसमें किसी प्रकार कन्सल्ट करे और उससे मास्टर प्लान एप्रूव कराये। लेकिन इस प्रकार का कोई अधिकार म्यूनिसिपल बोर्ड को, जिसका मास्टर प्लान बनाया जायगा, नहीं दिया गया है और न ही यह हक ट्रस्ट को दिया गया है कि ट्रस्ट किसी प्रकार का इन्टरफिरेंन्स मास्टर प्लान में कर सकता है या नहीं। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि जहां पर ट्रस्ट बने हुए हैं या जहां पर म्युनीसिपल बोर्ड बने हुए हैं तो उस म्युनीसिपैलिटी या ट्रस्ट को, जो गवर्नमेंट आफिसर मास्टर प्लान बनाये, उसमें किसी प्रकार कन्सल्ट किया जाय और उसमें कोई हेर फेर म्युनीसिपैलिटी चाहती है या नहीं, यह जानकारी हासिल करने को प्रोवीजन इसमें होना चाहिये।

साथ ही क्लाज चार में जो एक ट्रस्ट कमेटी बनेगी उसमें किस प्रकार के मेम्बर होंगे, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की यह धारणा रही है कि जो इस प्रकार के ट्रस्ट बनें, या इस प्रकार के बोर्ड बनें उनमें ज्यादा से ज्यादा आदमी सरकार के हों या मिनिस्टर साहब के रिलेटिव्ज हों। और चेयरमैन, कौनसा चेयरमैन ? क्या खुदा नियुक्त करेगा ? क्या उसकी क्वालिफिकेशन्स होंगी ? किस आधार पर उसकी नियुक्ति होगी, कम से कम इस बात का तो स्पष्टीकरण होना चाहिये कि क्या वह इलेक्टेड होगा, और अगर इलेक्टेड होगा तो उसको इलेक्ट कौन करेगा ? क्या सरकार नियुक्त करेगी ? अगर करेगी तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी ? क्या आधार होगा ? इस प्रकार की बात नहीं बताई गई है। इसके बाद (बी) में बताया गया है, One member of the municipal Board if any having authority in the urban area"

लेकिन वह मेम्बर नियुक्त किया जायगा, या इलेक्ट किया जायगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या मिनिस्टर के जान-पहचान का आदमी होगा और उसको कौन नियुक्त करेगा और उसके क्या आधार होंगे इन बातों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

क्लॉज (सी) में है, "not more than two other members" इसके लिये भी कोई बात यहां नहीं लिखी है कि दो मेम्बर्स किस प्रकार के होंगे। अध्यक्ष महोदय, यह धारणा डेमोक्रेसी के लिये बहुत ही घातक है। कम से कम कोई मिनिस्टर किसी बोर्ड में या किसी ट्रस्ट में अपना रिप्रेजेन्टेशन रखना चाहे तो वह उसके लिये मांग करले कि इतना उनका रिप्रेजेन्टेशन होगा और बाकी बचे हुए में दूसरों का नम्बर होगा। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मिनिस्टर जितने भी बोर्ड और ट्रस्ट बनाते हैं उसमें अपना रिप्रेजेन्टेशन रखना चाहते हैं। जब कभी इस प्रकार के बोर्ड और ट्रस्ट का निर्माण हुआ है उसमें जिन जिन को रखा है उनका उदाहरण जयपुर के माननीय सदस्य ने अभी रखा है और उनको दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। मैं उदयपुर का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि कितने प्लॉट्स एलॉट हुए और जितने हुए वे सब सहकारी समिति के आधार

(श्री विजयसिंह झाला)

परं हुए। वह समिति खादीधारियों की बनी हुई है। जब प्लॉटों का वितरण किया जाता है, उस सहकारी समिति के पास सूचना दे दी जाती है और वह समिति उन प्लॉटों को ले लेती है।

गुलाबबाग के पास अग्रवालों की समिति बनी हुई है। वहां पर प्लॉट बने वे सारे उन्हीं लोगों को मिले हैं जिनके पास प्लॉट हैं। उन लोगों ने अपना बिज़नेस बना लिया कि वे प्लॉट खरीदें और उन पर मकान बनावें और उन मकानों को किराये पर दे दें। इस प्रकार एक एक आदमी ने तीन तीन प्लॉट्स खरीद लिये हैं और बंगले बना कर लोगों को किराये पर दे दिये हैं। स्टेशन के पास में मास्टर प्लान उदयपुर में बनने जा रहा है। वहां पंचायतों की जमीन आती है वह सारी की सारी-प्लॉटों में सरकारी कर्मचारियों ने ले ली। इसके क्या नक्शे आदि होंगे, इस प्रकार का कोई प्लॉन उदयपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास नहीं है।

मैं समझता हूं कि आप किन किन नगरपालिकाओं में छोटे छोटे ट्रस्ट रखेंगे, उनका क्या आधार होगा, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जहां पर नगरपालिकाएं काम कर रही हैं, मास्टर प्लान बना रही हैं तो फिर नये कर्मचारियों को मुकर्रर करने में आपका क्या मकसद है।

नाथद्वारा नगरपालिका ने मीरानगर या आदर्शनगर का प्लान सरकार के पास भेजा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह ७ महीनों से सरकार के पास पड़ा हुआ है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैंने इस सम्बन्ध में पहले प्रश्न भी पूछा था कि मीरानगर या आदर्शनगर से कोई प्लान सरकार के पास पेश हुआ है, तो माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि मीरानगर या आदर्श नगर का कोई प्लान नहीं आया है। मगर मैं यह कहूंगा कि वह प्लान तीन साल से सरकार के पास पड़ा था। वह अभी एस. डी. ओ. उदयपुर के सामने है। अगर माननीय मन्त्री महोदय ने गलत जवाब नहीं दिया है तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं कह रहा हूं वह सही है। अगर मेरा कहना झूठ हो तो मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूं और आपने झूठ कहा है तो आप इस्तीफ़ा दे दें। मैं इस बात को चेलेन्ज करता हूं कि····

श्री बरकतुल्लाखां: एस. डी. ओ. उदयपुर के पास पड़ा है; उसमें और सेक्रेटेरियेट में फ़र्क है।

श्री विजयसिंह झाला: दो बार यहां सेक्रेटेरियेट में आया है। यहां के रिमार्क्स हैं और वे रिमार्क्स आपको प्रश्न पूछा गया उससे पहले के हैं।

श्री बरकतुल्लाखां: अगर मैंने झूठी इन्फोर्मेशन दी है तो आप प्रिविलेज का प्रस्ताव लाएं। मैं उसको जिम्मेदारी से पेश करने को तैयार हूं। अगर मेरी ग़ल्ती होगी तो मैं माफ़ी मांग लूंगा और आपसे गलती होगी तो आपको माफ़ी मांगनी होगी।

श्री विजयसिंह झाला: मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि मैं अगर गलत कहता तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिये तैयार हूं। आप भी देने के लिये तैयार हैं या नहीं?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में बताया गया है कि जो चेयरमैन होगा उसके लिये

(श्री विजयसिंह झाला)
सेलेरी और एलाउन्स का प्रोविजन होगा। वह किस प्रकार का होगा, उसके लिये कोई स्पष्ट नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय को अस्पष्ट क़ानून पेश करने का शौक़ है, नहीं तो यह होना चाहिये था कि उसको २५०) रुपये या इससे ज्यादा दे दिये जावेंगे।

क्लॉज ७ के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफ़ी कह दिया है, इसलिये मैं इस पर कुछ न कह कर ७ (ए) पर आता हूं। कोई भी ज़मीन मास्टर प्लान बना कर बेचना चाहता है वह नक्शा बनावेगा और फिर बेच सकेगा। उदयपुर में आपको मालूम होगा कि लोगों ने आधे प्लॉटों में अपने बंगले बना लिये हैं और आधे प्लॉट बेचना चाहते हैं। इसलिये जितनी बंगलों के बनाने में उनकी क़ीमत लगी है वह उस आधे प्लॉट को बेच कर वसूल करलें। अगर कोई नक्शा बना कर उस जमीन को बेचना चाहता है और वह ट्रस्ट के पास भेजता है और ट्रस्ट उसको रोक कर बैठ जाता है तो उसको रोकने के लिये क्या रेमेडी होगी। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

उदयपुर में नोबल स्कूल वालों ने प्लान बना कर दिया था, उसमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कोई सहयोग नहीं दिया। इस तरह से अगर कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसी प्लान को लेकर बैठ जावे तो उसके लिये क्या प्रोवीजन होगा? इसके लिये कोई समय की अवधि तो निर्धारित की जाए कि एक साल तक वह नक्शे को रोक सकता है, उसके बाद तो उस पर निर्णय लेना ही होगा। अगर ऐसी बात हो तो वह मानी जा सकती है।

अगर किसी बात को मिसरिप्रेजेन्ट करते हैं या कोई गलती करेगा उसके लिये सजा का प्रावधान क्लाज १२ में दिया गया है। मैं यह कहूंगा कि अगर कहीं किसी को न्याय मिल सकता है तो वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मिल सकता है और इसके लिये आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अधिकार होना चाहिये। आज भी जुडिशियरी और एग्जिक्यूटिव के अलग होने पर भी एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वे आज भी वही काम करते हैं जो ऊपर के लोग कहते हैं। इसलिये क्लाज १२ में जो अधिकार दिये गये हैं इससे लोगों को यह शंका बनी रहेगी कि कोई गलती करेगा उसको दंड भी मिलेगा या नहीं, सही न्याय मिलेगा या नहीं, इसलिये अच्छा यही होता कि आप इस संबंध में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देते।

इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कई दोष हैं इसलिये इसको जनमत प्रसार के लिये भेजने के लिये जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किये जाने के लिए रखा है वह ज्यादा महत्व का है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

इसमें होता यह है कि एक साथ दो संस्थाएं दस्तन्दाजी करती हैं और जहां आपस में मतभेद होता है वहां तो जनता बड़ी परेशान होती है और अमूमन मतभेद हुआ ही करता है।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
मेरा अनुभव कोटा का है। वहां इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कायम करने के बाद मन्डी कमेटी का निर्माण किया गया। वहां पर नगरपालिका और मन्डी कमेटी में आपस में संघर्ष चल रहा है। कौनसी जमीन को कितने में बेचे और वे प्लाट आया बोली लगाकर बेचे जावें या किसी और तरह से? इस तरह से आपस में नगरपालिका और उसके बीच में संघर्ष चल रहा है।

(१.३५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस संबंध में माननीय मन्त्री महोदय को बार बार ध्यान दिलाने पर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इतना ही नहीं, मैं यह कहूंगा कि वहां कलेक्टर कन्हैयालालजी बरना हैं, उन्होंने नगरपरिषद् की लाखों रुपयों की जमीन ६८ हजार में बेच दी। नगर-परिषद् ने और वहां की जनता ने उसका बहुत विरोध किया, मगर उनकी एक बात भी नहीं मानी गई। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जयपुर बैंक की ब्रांच की लाखों रुपयों की संपत्ति को बेच दिया गया।

एक तरफ यह हालत है कि मन्डी कमेटी अपने हल्के की जमीन को किराये दे रही ह तो दूसरी तरफ नगरपालिका द्वारा उनको हटाने की कोशिश की जाती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि जहां नगरपरिषद् है वहां इस प्रकार के ट्रस्ट नहीं होने चाहिये। आपसी टकरान के कारण पब्लिक को इससे बहुत हैरानी होती है। इसलिये मैं जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२ जो कि एक अध्यादेश के रूप में पेश किया गया है, जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि, उसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय, इसका मैं समर्थन करता हूं, वैसे मैंने इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया था।

ये ट्रस्ट्स क्या क्या अनियमितताएं करते हैं, यह तो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष रखीं। उम्मीद है उस पर मन्त्री महोदय निष्पक्षता से विचार करेंगे। पर जो ट्रस्ट का कानून है उसकी भावना को मैंने देखा है। उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि कानून बनाने वाले कुछ उन्हीं घिसी–पिटी बातों पर चलना चाहते हैं। शहरों में इम्प्रूवमेन्ट हुआ है, पर जो शहरों के मूल निवासी हैं, पुराने रहने वाले हैं, वे तो ख़राब और बड़े बड़े मौहल्लों में ही रहे हैं, जहां मकानों की तंगी है, उनके लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो मेरा एक तो यह निवेदन है कि हरिजन, शूद्र वगैरह जो शहरों के पुराने रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, जो एक एक घर में बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस आदमी की तादाद में रहते हैं, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में,

(श्री रामकिशन)

उन्हें तो जमीन मिलना भी असंभव है। इसलिये सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो लोग तंग मौहल्लों में रहते हैं उन्हें बाहर बसाने में प्राथमिकता दी जावे।

दूसरी बात यह है कि आज शहरों में पश्चिमी सभ्यता के कारण सिविलाइज्ड कोलोनीज़ की नई लहर चली हुई है; तो एक तरफ़ तो वे लोग हैं जो अपने आपको सिविलाइज्ड मानते हैं वे अलग बसते जा रहे हैं और दूसरी तरफ़ जो पुराने रहने वाले लोग हैं, शहरों के मूल निवासी हैं, हरिजन और शूद्र हैं वे ख़राब बस्तियों में, तंग जगहों में ही रहते आ रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार के समक्ष दूसरा सुझाव यह रखूंगा कि जहां बड़े बड़े आदमियों को बसाया जाता है वहां दो-चार शूद्रों को, हरिजनों को भी जरूर बसाया जाय। इससे दो फायदे होंगे; एक तो राष्ट्रीय एक बढ़ेगी और दूसरे जो चुनावों की वजह से जातीयता पनपती है, वह परम्परा भी टूटेगी। तो मेरा यह सुझाव है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में यह होना चाहिये कि जहां बड़ी जातियों के लोगों को जमीनें दी जाती हैं वहां इन छोटे लोगों को भी ज़मीनें दी जायं, इससे शुद्धता, एकता, स्वच्छता बढ़ेगी, छोटों में हिम्मत बढ़ेगी और जो बड़े लोग हैं उनका अभिमान घटेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि शहरों में बड़े बड़े प्लॉट दिये जा रहे हैं, जो सामन्ती व्यवस्था के प्रतीक हैं, उसका नतीजा यह होता है कि सम्पन्न लोग बड़ी बड़ी ज़मीनें घेर लेते हैं, और बाग-बगीचे लगाते हैं। मैं बाग-बगीचों का विरोधी नहीं हूं, इनसे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पर इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये कि यदि किसी परिवार में ५ आदमी हैं तो उनके लिये जितनी भी संख्या सरकार उचित समझे नियत कर सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इससे ज्यादा जमीन नहीं दी जायगी। इससे छोटे लोगों को भी जमीनें मिलने लग जायंगी अगर एक तरफ अमीरों के महल और बंगले बनें तो दूसरी तरफ गरीबों की झोंपड़ियां भी हों तो यह व्यवस्था भी होनी चाहिये कि एक निश्चित सीमा से इतना बड़ा इन भवनों को नहीं बनाया जाय। सामाजिक सरकार है तो उसकी वित्तीय नीति, सामाजिक नीति, संचरण सभी उसी दिशा में होने चाहिये। पर यहां यह है कि हर मन्त्री अपने भाषण में बार बार समाजवाद का नाम लेता है, पर उसका अनुकरण नहीं किया जाता। तो मेरा सुझाव है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के कानून में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि बड़े बड़े सामन्ती भवनों का बनना बन्द हो जाय और ग़रीबों को ज़मीनें मिलने लगें।

जहां ६ आदमियों का बोर्ड बनाना सम्भव नहीं है वहां छोटे बोर्ड बनायें उसका प्रावधान इसमें रखा है; इसके सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि ये बोर्ड जितनी कम संख्या के मुकर्रर होंगे उतना ही उनमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोगों का अप्रोच ज्यादा होगा। इसलिये कम से कम ६ आदमियों की संख्या रखनी चाहिये। अधिक संख्या जितनी होगी लोगों का अप्रोच नहीं हो सकेगा और इससे भ्रष्टाचार के बढ़ने की आशंका नहीं रहेगी।

Page No 60

(श्री रामकिशन)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें यह व्यवस्था नहीं है कि इसका चेअरमैन कौन होगा, सदस्य कौन होंगे; तो मेरा सुझाव है कि ट्रेड यूनियन का, मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि इस प्रकार के ट्रस्ट में होना चाहिये ताकि वह अपने वर्ग के लोगों के लिये ज़मीन की व्यवस्था करा सके। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो लोग तंग मोहल्लों में रहते हैं, उनकी एक संस्था बनाई जाय और उस संस्था का एक प्रतिनिधि इसमें रखा जाय। यह नहीं किया गया तो बड़े बड़े लोग अपनी पत्नी, पुत्र, भाई रिश्तेदारों के नाम से ज़मीनों को हड़पते रहेंगे और छोटे आदमियों की ज़िन्दगी मुश्किल हो जायगी।

जिनके पास शहर में एक से ज्यादा मकान हैं उनके लिये इस प्रकार ज़मीन अलॉट करना निषिद्ध किया जाय और यदि दिया भी जाय तो शर्तें लगा दी जाय कि मकान बनायें तो इस प्रकार के किरायेदारों को रखा जायगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यहां राजस्थान में भी बम्बई, कलकत्ता जैसी स्थिति आ जायगी और लोगों की ज़िन्दगी बहुत मुश्किल हो जायगी। अभी से हम इस प्रकार के बन्धन लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, वर्ना कुछ लोगों के लिये सुविधा और कुछ के लिये असुविधा हो जायगी।

अब मैं एक सैद्धान्तिक बात निवेदन करना चाहूंगा। कोई भी अध्यादेश या अमेन्डमेन्ट, या किसी प्रकार का कानून आये, चाहे वह बुरा हो या भला हो, लोगों को शंका क्यों होती है कि मन्त्रीजी के भाई या रिश्ते-दारों को लगाना होगा। इस प्रकार की शंका लोगों में हो जाती है, इसके लिये मैं दूसरे पक्ष को दोषी नहीं ठहराता और न सरकारी पक्ष को दोषी ठहराता हूं; पर सरकार के हर कार्य में लोगों को शंका बढ़ जाय तो यह लोकतन्त्र के लिये एक खतरनाक चीज है। जिस समय यूनिवर्सिटी बिल आया तो यहां लोगों को शंका हुई कि फलां मेहता साहब को रखना चाहते हैं इसलिये यह लाया गया है और आगे जाकर यह शंका सही निकली, उन मेहता साहब को ही रखा गया। मन्त्री महोदय पर यह शंका की जा रही है तो वे अपने आदमियों को रखना चाहते हैं, तो इस प्रकार की शंकाएं न हों इस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिये। मैं प्रतिपक्ष के लोगों को भी कहूंगा कि वे यदि इस प्रकार की शंका रखें तो उनके सम्बन्ध में पूर्ण और पक्के आधार रखें, वर्ना इस प्रकार की शंका बढती गई तो यह डैमोक्रेसी के लिये यह बात बडी खतरनाक साबित हो-सकती है। हो सकता है कि कल किसी दूसरी पार्टी को सरकार आये तो उसमें भी यही होगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के वकील थे और वे उस प्लॉट को किसी दूसरे के नाम करवाने में शामिल थे। अगर ऐसे आरोप लोकतन्त्र में लगाये जाते हैं तो एक प्रकार से मर्यादायें टूटेंगी। अगर आरोप सही है तो आपको बहादुरी के साथ उसकी जांच करनी चाहिये चाहे उसमें कोई सम्मिलित क्यों न हो; नहीं तो इससे लोकतन्त्र की मर्यादायें टूटेंगी। यदि आपका कोई नजदीकी है तो आपको दृढता के साथ कदम उठाना चाहिये, उससे लोकतन्त्र की मर्यादायें बढेंगी, निर्माण कार्यों में लोगों को आराम मिलेगा।

(श्री रामकिशन)

इसके अलावा एक बात और खास तौर से है और वह यह कि सरकार जो कानून बनाती है मन्त्रीजी उनके कारणों को स्पष्ट नहीं कर सकते। दो महीने में विधान सभा मिलने वाली थी, पिछली बार भी विधान सभा मिली थी। राज्यपाल को जो अधिकार दे रक्खे हैं वह कभी कभी प्रयोग करने के लिये अगर उसके प्रयोग की निरन्तर छूट मिलती रही तो विधान की जो मर्यादायें हैं, जो मन्शा है वह नष्ट हो जायगी। जो कारण बताये गये हैं वे कारण ऐसे नहीं थे जिसके कारण इस प्रकार का अध्यादेश लाने की आवश्यकता हो। मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि इस बारे में जो कुछ सुझाव मैंने दिये हैं, जैसे बड़े बड़े प्लाट नहीं होने चाहिये शहर के छोटे लोगों को ट्रेड यूनियन के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये नहीं तो बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों की हालत यहां भी न हो जाय। जयपुर, जोधपुर आदि शहरों में जहां औद्योगिक विकास की संभावना है वहां का विकास करने में एक योजना होनी चाहिये तभी जाकर नगर सुधार का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जायगा। जिस काम को म्युनिसिपैलिटी कर सकती है वहां सरकारी अधिकारियों को घुसा दिया जाता है। सरकारी अफसर बुरे हैं, मैं यह नहीं कहता, लेकिन जिलाधीशों के पास इतना काम है कि वे अपने काम को भी निपटा नहीं सकते, नीचे के अधिकारी इस तरह से चाहे दस्तखत करा ले जाते हैं। इन संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि लिये जायं, विविध वर्ग के लोग हों, शहर के दुखी दरिद्र लोग हों; इस प्रकार की इस विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन, मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के बारे में बहुत सी बातें कहीं। सबसे ज्यादा मुद्दे की बात जो कही वह यह कि जहां म्यूनिसिपैलिटीज हैं तो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की क्या जरूरत है? म्यूनिसिपैलिटिज अपनी जगह पर हैं और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में से जो बड़े बड़े शहर हैं वहां म्यूनिसिपैलिटियां भी होती हैं और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट भी होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का सब से बड़ा काम है शहर की सफाई रखने का, सड़कों की सफाई रखने का, शहर के अन्दर बीमारी न फैलने पावे इसका जिम्मा म्यूनिसिपैलिटीज का होता है।

जहां तक शहरों के ठीक ढंग से डेवलपमेन्ट का ताल्लुक है उसके लिये बड़ी रकम खर्च करने का सवाल है, उसके लिए सारे प्रदेशों में ये पॉवर्स इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दिये गये हैं, यह काम इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट करता है।

इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव की जो बात कही उसके लिये मेरा निवेदन है कि ट्रस्ट में म्यूनिसिपैलिटी से दो इलेक्टेड मेम्बर्स आते हैं। अगर कोई म्युनिसिपैलिटीज छः छः महीने तक फैसला नहीं कर पाती कि किसको भेजना चाहिये तब सरकार अपनी तरफ से म्युनिसपैलिटी के मेम्बरों को, दो को अपोइन्ट कर सकती है। अगर इसको गैर जिम्मेवाराना तरीके से चलाना होता तो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव रखना नामुनासिब होता। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि फंक्शन्स दोनों के डिवाइडेड हैं। अगर यह सारी जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी पर ही डाल दी जाय तो मैं समझता हूं कि जो म्यूनि-

(श्री बरकतुल्ला खां)

सिपैलिटी अपना काम कर रही है और उस पर यह एक्स्ट्रा बर्डन थोप दिया जाता है तो अपना काम वह पूरी तरह से नहीं कर पायगी।

प्लॉट के बारे में अर्ज करूं अब प्लाट्स ४०० गज से ऊपर के नहीं होंगे। ७० फीसदी ऐसे प्लॉट्स होंगे जो ४०० गज के होंगे और तीस परसेन्ट ऐसे प्लाट्स रखे गये हैं जो बडे हों। सरकार इस बारे में सोच रही है कि वे भी प्लाट इतने ज्यादा बडे न हों जो आज लोग ले जाय और कल उसका डिवीजन कर दें। प्लाट इतने बन रहे जो ज्यादा बडे न हों हम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर छोटे प्लॉट की कीमत कम रखना है तो कुछ बडे प्लाट्स बनाकर नीलाम करने होंगे। छोटे प्लाटों की कीमत को रेगुलराइज करने के लिये बडे प्लाट भी नीलाम के तौर पर बेचने होंगे।

जयपुर से जो माननीय सदस्य तशरीफ लाये हैं वे कांग्रेस वालों पर काफी महरबान हैं। पिछले सैशन में भी उन्होंने खादी वालों पर काफी महरबानी की। लास्ट टाइम जो आपने कहा था उसको मैंने सीरियसली ले लिया और सीरियसली लेने के बा॰ मैंने यह आदेश दिये कि जो भी प्लॉट खादी वालों को दिये गये हैं उनको कैंसिल कर दिया जाय। उस ऽर भी मेरे दोस्त को खुशी नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): इस बात के लिये मैं आपकी तारीफ करता हूं।

श्री बरकतुल्लाखां: अब उन्होंने गरीब और अमीर में फर्क डाला। हमने तया किया थ कि जिन लोगों को प्लॉट मिले वाकई वे उसके लिये एन्टाइटल्ड थे या नहीं, उनको कैंसिल कर दिया गया।

जिन लोगों को सरकार द्वारा प्लॉट अलॉट किये गये हैं वे किस तरीके से अलॉट हुए, मकान उन पर बना लिये गये, मेरे दोस्त यह चाहते हैं कि मकान उनके तुडवा दिये जायं। अजमेर के कलैक्टर के बारे में कहा करते हैं उन्होंने बादशाहों की तरह लोगों के घरों पर हल फिरवा दिये, लेकिन आज तो हमारे दोस्त यह चाहते हैं कि जिन लोगों ने वहां पर प्लाट बनवा लिये उन लोगों के मकानों पर हल फिरवा दिये जाय। मैं कह चुका हूं कि जिन लोगों ने मकान नहीं बनाये उन लोगों को सजा मिल गई और जिन्होंने मकान बना लिये हैं उनको डिमोलिश करवा कर आपको क्या खुशी होगी?

श्री भैरोंसिंह: कानून का पालन हो जायगा, खुशी नहीं।

श्री बरकतुल्लाखां: मेरे दोस्त ने यह भी कहा कि जहां कांग्रेस वालों को वोट मिले उन जगहों के लिये ज्यादा हमदर्दी दिखाई गई है। मेरे दोस्त बरा न मानें, नारी के नाके पर उनकी पार्टी को यादा वोट मिले लेकिन उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। वहां की स्कीम बनाने के लिये, वहां के लोगों को बसाने के लिये प्रयत्न किया गया। जब जब भी मैं वहां गया हूं मैंने देखा कि एक सडक के बीच में मन्दिर आता है तो मैंने तुरन्त आदेश दिया कि सडक का मोड बदल दिया जाय। क्या उस इलाके

(श्री बरकतुल्लाखां)
से भी कांग्रेस जीत कर आई है ? हमारा कभी यह ध्येय नहीं रहता कि जहां कांग्रेस को वोट नहीं मिले उस जगह के साथ बुरा बर्ताव किया जाना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह: माननीय मंत्री महोदय माफ करेंगे । मैंने नारी के नाके का कोई जिक्र नहीं किया था । बस्सी सीतारामपुरा में जिस समय प्लॉट्स काटे गये थे प्लॉट इलेवशन के बाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने बांटे हैं । नारी के नाके स्कीम कब पूरी होगी, उसके लिये हम धन्यवाद देंगे ।

श्री बरकतुल्लाखां: धन्यवाद देने का वादा किया उसके लिये मैं आभारी हूं । जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूं अपनी तरफ से यह कोशिश कर रहा हूं कि इन सब चीजों को एक ढांचे में ढाल दिया जाय ।

यह भी कहा गया कि कुछ जमीन एक्वायर कर ली जाती है और वहां के लोगों को डिस्टर्ब किया जाता है । कहीं तो वापिस डी-रिक्वीजीशन कर देते हैं और जिसको चाहे उसको रख लेते हैं । मैं इस बारे में निवेदन, करूंगा कि हमने सैक्रेटरी, डिप्टी-सैक्रेटरी टाउन-प्लानिंग, चेयरमैन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट जयपुर, चीफ टाउन प्लानर की एक कमेटी बना दी है । जो जितने भी केसेज लैंड एक्वीजीशन के हैं उन सब की कमेटी एक जगह बैठकर तय करे कि कौनसी जमीन की जरूरत है उसको रखे और जिसकी जरूरत नहीं वह वापिस करदे। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमैन्ट फैसला करेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं कि इस बिल को जनमत के लिये भेजा जाय और न इस बात की जरूरत है कि इसको कमेटी के सुपुर्द किया जाय । मैं जो अमेन्डमैन्ट्स रखे गये हैं उनका विरोध करता हूं ।

(२. म. प.)

श्री भैरोंसिंह: बस्सी सीतारामपुरा के लिए आपने आशवासन नहीं दिया था कि जो वहां पहले अबाद नहीं थे उनको तो प्लाट्स मिल गये और जो आबाद थे उनको नहीं मिले उनके लिए देखूंगा ।

श्री बरकतुल्ला खां: जहां तक मुझसे बन पडा हम हमदर्दी के साथ देखेंगे इस वक्त और अधिक नहीं कह सकता ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): कोटा के सम्बन्ध में आपने कोई जवाब नहीं दिया ।

(विराम)

टाइम नहीं है या जवाब नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री अग्रवाल ने रखा है....

श्री भैरोंसिंह: उनका कोई संकल्प नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: आपका संकल्प है ।

श्री भैरोंसिंह: उन्होंने कन्सीडरेशन को अपोज किया था, लेकिन कन्सीडरेशन में ले लिया है तो उनका प्रोपोजल नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ तो अब लिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह: उन्होंने मूव किया है ।

श्री उपाध्यक्ष: Would you like to withdraw your resolution.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): विद्ड्रा करने का सवाल नहीं है । र्कमस्टान्सेज नहीं बताये ।

Page No 64

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह जी ने प्रस्तुत विधेयक पर रखा है · · ·
Would you like to withdraw ?

श्री भैरोंसिंह : No, sir.

श्री उपाध्यक्ष : जो संशोधन प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष, जीता ।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : The voices are very apparent.

श्री भैरोंसिंह : पहले आप घंटी बजाइये, फिर पता लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : I put the question again.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत विधेयक पर श्री भैरोंसिहजी ने रखा है उसको स्वीकृत किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता

श्री उपाध्यक्ष : It is very apparent . .

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : 'हां पक्ष जीता' की आवाज ही बहुत धीमी थी ।

श्री भैरोंसिंह : आवाज तो इसीलिये धीमी थी कि हम सभ्यता से बोलते हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय सदस्यों से पूछ लीजिये जिन्होंने 'ना' कहा है । पता लग जायगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पूछने की स्थिति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : जो 'हां' पक्ष में हों उन्हें खड़े होने के लिए निवेदन करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप पहले घंटी लगाइयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Are you sure, 'Ayes' have it ?

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir, I am sure.

श्री उपाध्यक्ष : So you want division.

(मतविभाजन घंटी)

मैं फिर से प्रश्न रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री भैरोंसिहजी ने रखा है नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर, उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Page No 65

श्री रामकिशन: अब जीत गये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: अब प्रश्न यह है कि नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लाज २, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज २ में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं: "In lines four and five of sub-section (1) ought to be substituted for sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the words 'by such officer or authority as the State Government may appoint for the purpose' substitute the words "by the trust",

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): "हिन्दी में हो", वे (श्री रामकिशन) चले गये।

श्री भैरोंसिंह: हिन्दी में अनुवाद होकर नहीं आया है।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, वित्त): आ गया है।

श्री भैरोंसिंह: वह अंग्रेजी में हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस क्लॉज में यह है: "For the words 'by such officer or authority as the State Government may appoint for the purpose', the words 'by the trust' be substituted."

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रस्ट का जी कान्स्टीट्यूशन है उसके अन्दर टाउन प्लानर को मेम्बर बनाने की व्यवस्था की है जैसी इसमें आती है। बाकी की टैक्निकल एडवाइस लेने को ट्रस्ट है। किसी भी आफिसर को नियुक्त करके मास्टर प्लान बनाने में और उसकी ओपीनियन सीक करना चाहे तो कर सकता है, किसी से एडवाइस लेना चाहे तो ले सकता है और जितने भी मास्टर लान बनते हैं या सर्वे होती है वह सब ट्रस्ट के सुपरविजन में टैक्निकल अफसर करता है, जिसको ट्रस्ट अपोइन्ट करता है। अब इसमें यह समझ में नहीं आया कि मास्टर प्लान या सर्वे करने का काम है तो ट्रस्ट का और इसके सम्बन्ध में सरकार हस्तक्षेप करना चाहे और सरकार यह समझे कि काम के लिये हम जिस अधिकारी को नियुक्त करें वह प्लान बनावेगा, तो इन दोनों बातों में आपस में खींचतान होगी। यह मेरी समझ में नहीं आता, इसलिये कि जब ट्रस्ट को आप ओटोनोमस बोडी मान कर चलते हैं तो उस समय उसके काम में हस्तक्षेप करने की सरकार को आवश्यकता, क्यों आ पड़ी? आखिर हम ट्रस्ट पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी क विश्वास करके चलते हैं और सारे शहर के विकास के काम वह कर सकता है तो वह किस प्रकार से, किस मौके पर, किस अधिकारी से, किस प्रकार के मास्टर प्लान के बारे में अपनी रिकमन्डेशन देगा? इसमें ज्यादा अच्छा यह होता कि सरकार के अपोइन्टेड पर्सन के द्वारा नहीं, पर ट्रस्ट जिन आदमियों को ने हालांकि वे आवेंगे सरकार के आदमियों में से ही, वे ट्रस्ट के सुपरविजन में काम करें; पर यदि सरकार के अ कार में वे काम करेंगे तो

(श्री भैरोंसिंह)
यह ड्युएल आॅथोरिटी हो जावेगी तीन तरह के लोगों के हस्तक्षेप का मामला बन जावेगा, एक तो नगर परिषद् का, दूसरा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का और तीसरा वह अधिकारी जिसको सरकार ने अपोइन्ट किया। फिर यह स्थिति हो सकती है अध्यक्ष महोदय, कि एक किसी प्रकार का सर्वे करना चाहे और सरकार किसी और प्रकार के अधिकारी को आदेश दे दे तो उनके बीच में मन-मुटाव पैदा हो सकता है और इसमें जो ट्रस्ट के द्वारा शहर के डेवलपमेन्ट के सम्बन्ध में विचार किया जाता है तो उसमें रुकावट होगी। अगर सरकार अपने अधिकारी से कराना चाहे तो उसमें यह कर दे: "by such authority as appointed by the Trust" इसमें कोई फर्क नहीं पडता। पर इस ट्रस्ट के अपोइन्टमेन्ट के अधिकार को न लें। इन्टरफियेरेन्स को इस तरह से रोकने के लिये मैं चाहता हूं कि यह अधिकार ट्रस्ट को होना चाहिये, सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी को नहीं।

इसलिये मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तावित किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्दजी अग्रवाल।

श्री भैरोंसिह: मैं दुबारा रिपोर्ट करूं?

श्री नाथूराम: नहीं, सुन लिया।

श्री मथुरादास माथुर : जवाब एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज २ के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मूल अधिनियम के क्लाज ३ को सब्स्टीट्यूट करने के लिये बनाया गया है। इसके सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है और वह इस प्रकार है:

Substitute the following for new sub-section (1) sought to be substituted in section 33:—

"(1) The State Government shall direct every trust first to make a civil survey and prepare a Master Plan for their respective areas in regard to all development schemes that the Trust proposes to undertake within a period of ten years."

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपने विचार व्यक्त किये उसके साथ में मैं इतना और चाहता हूं कि जो भी ट्रस्ट मास्टर प्लान बनावे, जो डेवलपमेन्ट की स्कीमें बनावे वह कम से कम दस साल की होनी चाहिये। होता क्या है, हम स्कीमें बनाते हैं और उनके तहत प्लाट काटते हैं, उनको अलाट करते हैं और इसके बाद अपने मकान वहां पर बनाते हैं। इसके बाद सरकारी लोगों या ट्रस्ट के मन में आता है कि स्कीम को आल्टर करना चाहिये या दूसरे डेवलपमेन्ट के प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो उन प्लाटों को या मकानों को एक्वायर करने की स्थिति पैदा होती है। इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो, पुराना जितना डेवलपमेन्ट हुआ है उसमें अभी जैसा हो रहा है उसके कारण बहुत सी ऐसी बिल्डिगों को, बने हुये मकानों को और दुकानों को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एक्वायर करने की स्थिति पैदा हुई है और उनको नोटिस जारी किये गये है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार के विकासशील आज के युग में जो योजनाएं बननी चाहिये वे लम्बी होनी चाहिये, कम से कम योजनाएं निश्चित होनी चाहिये। ट्रस्ट इस प्रकार के विकास की जो योजनाएं बनाना चाहे वे किस प्रकार की हों? उदाहरण के लिये, जयपुर के लिये मास्टर प्लान बनाना है और विकास की योजनाएं बनानी हैं तो ये सब इस दृष्टि से बनानी चाहिये कि आगामी दस साल में इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े। १० साल तक जिस डेवलपमेन्ट या प्रोजेक्ट के रखने से, प्लान को अलाट करना चाहते हैं तो वह तो होगा, नहीं तो अल्पकालीन योजना बनावेंगे, वहां किसी ने मकान बना लिया, तरमीम की, बाद में सरकार ने अपनी प्लान में और पांच साल बाद डेवलपमेन्ट की नई स्कीम बनाई तो क्या होगा कि वहां फिर एक्वीजीशन की स्थिति खडी हो जावेगी, उस मकान वाले को नोटिस मिलेंगे। तो होगा यह कि लोग हैरान होंगे, अदालतों का दरवाजा खटखटावेंगे। एक्वीजीशन के आर्डर्स में कई खामियां रह जाती हैं, दूसरी टैक्निकल खामियां रह जाती हैं और एक्वीजीशन का नोटिस अदालत से खारिज कर दिया जाता है। तो मेरा अमेन्डमेन्ट मान लेने से सरकार की मंशा भी पूरी हो जावेगी और एक्वीजीशन की झंझट भी पैदा नहीं होगी। मुझे उम्मीद है, मेरे इस संशोधन को मन्त्रीजी भी स्वीकार करेंगे।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ कर दूं। पहली आथोरिटी की गलतफहमी की बात कही गई। आथोरिटी का मतलब यह नहीं है कि हम ट्रस्ट तक उसे लिमिट करना चाहते हैं। अगर प्लान बनानी हो, मास्टर प्लान बनानी हो तो चीफ टाउन प्लानर को भी इसके लिये कहा जा सकता है। किसी म्यूनिसिपल बोर्ड को भी कहा जा सकता है कि वह प्लान बनावें। अगर इस आथोरिटी को लिमिट करके ट्रस्ट तक सीमित कर देंगे तो काफी डिफिकल्टी आ जावेगी और टैक्निकल चीफ टाउन प्लानर जो अपना इनीशियेटिव लेकर कर सकता है, वह भी रुक जावेगा।

अब जहां तक दूसरे अमेन्डमेन्ट का सवाल है, जितनी प्लान बनाई जाती हैं पापूलेशन को और आगे बढनेवाली मिकदार को सामने रखकर बनाई जाती हैं और अन्दाज यह लगाया जाता है कि दस बीस साल में जो ग्रोथ होगी उसके लिये यह प्लान ठीक रहेगी और उसमें सैक्टरवाइज सैक्टर को आगे लिया जाता है। जिस जिस तरह से आबादी बढ गई उस हिसाब से रेजीडेन्शियल एरिया कमर्शियल एरिया और इन्डस्ट्रियल एरिया आदि का ख्याल रख कर बनाई जाती है।

मुझे अफसोस है कि दोनों में से एक भी संशोधन मैं नहीं मान सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या श्री भैरोंसिंह व श्री सतीशचन्द्र अपना संशोधन वापिस लेंगे?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): हमें अफसोस है कि हम वापिस नहीं ले सकते।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : हमें अफसोस है कि हम वापिस नहीं ले सकते।

श्री उपाध्यक्ष प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री भैरोंसिंहजी का क्लोज २ पर आया उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने क्लाज २ पर पेश किया उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

क्लॉज ३, श्री बरकतुल्ला खां ।

श्री बरकतुल्लाखां : [संशोधन इस इस प्रकार है :

"(a) for the letter 'clause (c) of' first occurring, substitute figure 'sub-section (i)'; and

(b) for 'proviso to' substitute 'proviso thereto'."]

यह मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है, कोई मैटीरियल नहीं है, केवल ड्राफ्टिंग के पोइन्ट आफ व्यू से रखा है। ड्राफ्टिंग के लिये इसे बैटर देखा, इसलिये रख दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ३ के (बी) प्रोवीजो के विषय में मेरा अमेन्डमेन्ट है, जो इस प्रकार है : "Omit Part (b) of the clause"

Part (*b*) reads as under:—

"(*b*) to sub-section (1), the following proviso shall be added, namely:

Provided that, where the State Government is of opinion that it is not expedient to establish a Trust consisting of six or more members for any urban area, it may by order direct that the Trust for such area shall consist of...... "

इस अमेन्डमेन्ट में इस प्रोवीजो को इन्क्लूड करने के अन्दर जो सरकार की ओर से इस बिल का आशय निकलता है वह ऐसा मालूम होता है कि जो प्रजातांत्रिक तरीके हैं उनके ऊपर एक तरह का फिर से कुठाराघात किया जाना है । जब अर्बन इम्प्रूवमेन्ट के अन्दर सेक्शन ९ में यह है कि उसमें ६ मेम्बर्स का एक ट्रस्ट बनेगा और उसके अन्दर टैक्निकल पर्सन्स भी होंगे । जिस तरह के टैक्निकल एडवाइजर हैं जिसमें गवर्नमेन्ट के इन्जीनियर्स वगैरह हैं उन सब का और दूसरे नगरपालिकाओं के सदस्य और नोमीनेटेड को मिला कर ६ मेम्बर्स का ट्रस्ट बनाये जाने का प्रोवीजो है तो इस प्रोवीजो को शामिल करके जो किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि आपको उन ६ मेम्बर्स का ट्रस्ट बनने के अन्दर भी आपत्ति है और उसको भी सीमित

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

करके सिर्फ ३-४ आदमियों का ही ट्रस्ट बनाना चाहते हैं और वह भी उस तरह का बनाना चाहते हैं कि वह गवर्नमेन्ट का ही नोमीनेटेड हो । मैं नहीं समझ सकता कि इसमें और मूलभूत एक्ट के सेक्शन में क्या अन्तर है और अन्तर है तो केवल वही अपने अधिकारों का प्रयोग करके और प्रजातांत्रिक तरीकों से जो पहले एक्ट पास किया गया है उसके ऊपर कुठाराघात करना चाहते हैं, वर्ना उसके तहत एक चेयरमैन और एक बोर्ड का मेम्बर और एक मेम्बर या दो मेम्बरर्स नोमीनेटेड हैं और उसी को ट्रस्ट बना कर उससे काम चालू किया जाये । यह ऐसा लगता है कि सरकार जो है वह अपने ही आदमियों के जरिये से ही संचालित करके उन ट्रस्टों को अपने पूर्ण अधिकार में करना चाहती है। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि यह जो प्रोवीजो जोडा जा रहा है इसकी आवश्यकता नहीं है और इसीलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि इस प्रोवीज़ो (बी) को डिलीट किया जाये और अगर इसको डिलीट कर दिया जाता है तो इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है । सरकार के सामने सैक्शन ९ ज्यों का त्यों मौजूद है ट्रस्ट को कान्स्टीट्यूट करने के लिए । उसको सीमित करके अपने अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है । यह सही नहीं है और अभी एक अमेन्डमेन्ट आया था उसमें मंत्री महोदय ने कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसको स्वीकार कर लेने से हमको आपत्ति उत्पन्न होती है । लेकिन इसमें क्या आपत्ति है ? उसमें तो ६ मेम्बर्स होंगे और ४ आदमी रखे तो दो आदमी जो कि टैक्निकल आदमी हैं, एक इन्जीनियर और एस. डी. ओ. या वहां का ओवरसियर, इन टैक्निकल आदमियों को अवोइड करने के लिये यह प्रोविजो एड कर रहे हैं, ऐसा लगता है वर्ना उसमें भी एक चेयरमैन है, एक म्युनिसिपल बोर्ड का रिप्रेजेन्टेटिव है और एक या दो मेम्बर्स सरकार के द्वारा नोमीनेटेड हैं तो ६ की जगह ४ करके ट्रस्ट को कान्स्टीट्यूट करना चाहते हैं । यह इसके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स से भी पता नहीं चलता है । और मैं समझता हूं कि यह प्रोवीजो आवश्यक नहीं है और इसको डिलीट किया जाना चाहिये । इसको डिलीट करने से एक्ट या एक्ट के कार्य करने में या ट्रस्ट को कान्स्टीट्यूट होने में कोई आपत्ति नहीं है । इस दलील के साथ में आशा करता हूं कि मेरा अमेण्डमेन्ट मंत्री महोदय मन्जूर करेंगे और मन्जूर करके यह बतलायेंगे कि आप प्रजातांत्रिक तरीकों को अपनाना चाहते हैं और केवल अपने ही तरीकों से अपने नोमीनेटेड आदमियों के जरिये से बोर्ड और ट्रस्ट को नहीं चलाना चाहते हैं, जैसा कि आपने म्युनिसिपल बोर्ड में भी कर रखा है । आज ऐसी संस्थाओं में होता क्या है कि एड-मिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त कर दिये जाते हैं और आज ऐसी म्युनिसिपैलिटीज आधी से ज्यादा हैं जिनमें कि एडमिनिस्ट्रेटर्स कार्य कर रहे हैं और अब यह ट्रस्ट भी आप इसी तरह का बनाना चाहते हैं ।

श्री बरकतुल्लाखां: मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में १४३ म्युनिसिपैलिटीज में से ६ के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: उसमें ३२ हैं कि जिनकी टर्म एक्सपायर हो गयी है और

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)
उन्हीं आदमियों के जरिये से काम करा रहे हैं। तो उस तरह से मैंने नम्बर ७३ का बताया था।

श्री बरकतुल्लाखां : वह म्युनिसिपैलिटी की टर्म एक्सटेन्ड की है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैंने तो मिसाल के तौर पर कहा है। ऐसे ही अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अन्दर भी आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके नोमीनेटेड के जरिये करना चाहते हैं और सिर्फ टैक्निकल आदमियों को अवोइड करना चाहते हैं। यह सही नहीं है, इसलिए यह प्रोवीजो डिलीट होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है।

In part (b) for clauses (a), (b) and (c) of the proviso sought to be added to sub-section (1) of section 9, substitute the following clauses:—

"(a) a Chairman elected by the Trust"

इसमें उपाध्यक्ष महोदय, या तो मेरी गलती रही है या कहीं आफिस से ऐसी भूल हो गयी कि ट्रस्ट की जगह बोर्ड लिखा हुआ है।

"(b) Chairman of the Municipal Board,

(c) not more than two other members,

(d) Members of the Rajasthan Legislative Assembly and the Lok Sabha of the Municipal area concerned shall be ex-officio members of the Trust."

यह मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है इस संशोधन के आधार पर ट्रस्ट का जो कान्स्टीट्यूशन है वह बदल जायगी। ट्रस्ट ओरीजिनल धारा ९ के अनुसार, जो भी इस प्रकार का ट्रस्ट बनता है उसमें एक चेयरमैन होता है, दो म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स होते हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी चुन कर भेजती है और दो आदमी सरकार के द्वारा नोमीनेट किये जाते हैं। एक चयरमैन को भी सरकार नोमीनेट करती है। इन सब का मिल कर यह ट्रस्ट बनता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी ऑथोरिटी को कॉन्स्टीट्यूट करें और वह आथोरिटी जनहित के काम करने के लिये नियुक्त की जाये तो हमारे सामने सबसे बडा प्रश्न यह आता है कि इसमें हम जो एक डेमोक्रेसी है उसके आधार के ऊपर उसको यदि कान्स्टीट्यूट कर लें तो वह ज्यादा अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने पहले ही कहा था कि जहां नगरपरिषद् हैं और इलेक्टेड नगरपरिषद् होती है वहां पर अलग से इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बना कर उनके ऊपर कोई ऑथोरिटी थोपने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए; लेकिन हमारी सरकार यह कहती है कि हिन्दुस्तान के सब बडे बडे प्रदेशों में और बडे बडे शहरों के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है और हमें भी उसी व्यवस्था के अनुसार चलना है; यह अर्बन इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट अलग से काम करेंगे। अब जब कि सरकार की ऐसी मन्शा ही है तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम भी चुन कर आये हैं, नगरपरिषदों में भी लोग चुन कर आते हैं और हम इलेक्टेड

(श्री भैरोंसिंह)
रिप्रेजेन्टेटिव्ज को ज्यादा महत्व देते हैं तो यदि सरकार को मैं यह पूछूं कि विधान सभा में चुन कर आने के बाद कोई व्यक्ति राजस्थान का मुख्य मंत्री हो सकता है, कोई स्वायत्त शासन मंत्री हो सकता है और कोई उप-वित्त मंत्री हो सकता है, उस समय केवल योग्यता चुनाव की होती है कि जनता ने इनको चुनकर भेजा है और उसी चुनाव के कारण वे ऐसे ऐसे बड़े पदों को सुशोभित करते हैं। अब यदि यह पूछा जाय कि यदि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अन्दर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चले गये तो उनके द्वारा सरकार का और जनता का क्या नुकसान होगा ? यदि नुकसान की बात ही आप देखें तो नुकसान तो उन चुने हुए व्यक्तियों से ज्यादा होता है जिनके हाथों में सरकार की बागडोर है। उस नुकसान की वह चिन्ता नहीं करते, बल्कि उस नुकसान को तो एन्करेज करते हैं। लेकिन यदि उनके नीचे कोई इलेक्टेड बोडी काम करने लग जाये और उस इलेक्टेड बोडी को काम करने का मौका मिले या नहीं, लेकिन पहले ही उसके लिए भय उत्पन्न कर दिया जाये कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ट्रस्ट रहा तो शहरों का नुकसान होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता.......

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री): This is no argument.

श्री भैरोंसिंह: यह आर्ग्यूमेन्ट आप जवाब में ले सकते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां: Don't put this sort of argument in my mouth.

श्री भैरोंसिंह: तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अब उस स्थिति के अन्दर हमें विचार करना पड़ेगा जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह आर्ग्यूमेन्ट नहीं है तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि चुने हुए रिप्रेजेन्टेटिव्ज में सरकार का पूर्ण विश्वास है।

श्री चन्दनमल बैद (उप मंत्री, वित्त): बिल्कुल।

श्री भैरोंसिंह: जब सरकार का चुने हुए रिप्रेजेन्टेटिव्ज में पूर्ण विश्वास है, उस हालत में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस शहर का विकास करना चाहते हैं उस शहर के प्रतिनिधियों की उसके अन्दर वोइस होनी चाहिए, जनता की भी उसमें वोइस होनी चाहिए। अब आप यह कहेंगे कि जनता की वोइस मंत्री मंडल में है और मंत्री मंडल ने ट्रस्ट बनाया है तो इन्डाइरेक्टली वोइस उसमें ऐसे ही घुस गई, लेकिन मैं समझता हूं कि यह वाजिब नहीं है। जो विकास का काम आम जनता के लिए कर रहे हैं तो जनता के प्रतिनिधि उसमें हों और जब जनता के प्रतिनिधि उसमें होंगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जितनी भी स्कीमें हैं, जितने भी प्लान्स हैं उन प्लान्स में वालन्टेरिली वहां के रहने वाले लोग कितना कान्ट्रीब्यूट करते हैं, उस स्कीम को किस प्रकार से जल्दी इम्प्लीमेन्ट कर सकते हैं, उन सब बातों में उनका सहयोग मिलेगा, और जो बाधाएं उपस्थित होती हैं उनको निरस्त कर दिया जायगा। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि हम चुने हुए व्यक्तियों को नहीं लेते हैं। किस लिए नहीं लेते हैं, उसका कारण तो माननीय मंत्रीजी बतायगे, लेकिन जो कारण हो सकते हैं उनमें यह भी होगा कि वे टैक्निशियन नहीं हैं, उनको उक्त चीजों की टैक्निकल

(श्री भैरोंसिंह)

नॉलेज नहीं है, किन्तु अर्बन इम्प्रवमेंट के बारे में यह क्वेश्चन पैदा नहीं हो सकता . . .

श्री बरकतुल्लाखां : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे आर्गुमेन्ट्स को पहले से ही प्रोपोज कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपने आर्ग्युमेन्ट्स दे रहा हूं। उस लाइट में विचार कर लें, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो टैक्निशियन्स नहीं होते हैं वे अर्बन इम्प्रवमेंट के बारे में कुछ नहीं समझते हैं, तो जितने भी आज तक आपने मेम्बर्स बनाये हैं वे कौन सी युनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त करके आये हैं, जिस काबलियत के आधार पर अर्बन इम्प्रवमेंट ट्रस्ट काम कर सकते हैं इस प्रकार का अधिकार प्राप्त किया है? कौन से नियम के अनुसार उनकी क्वालिफिकेशन इस प्रकार के ट्रस्ट में मनोनीत किये जाने के लिए उपयुक्त समझी जाती है? न कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की है और न कोई युनिवर्सिटी की डिग्री है; तो सबसे बडी बात यही है कि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी को यूनिवर्सिटी की डिग्री को काफी समझा जाता है तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप एक बिल पेश कर दें कि जो कांग्रेस का सदस्य होगा वह सब बातों का एक्सपर्ट होगा और वह किसी भी काम को करने में कोताई नहीं करेगा, चाहे बुरा हो या भला हो। भले काम करने में कोताई कर सकता है लेकिन बिना युनिवर्सिटी की डिग्री के बुरे काम करने में वह लाज नहीं आता है।

जयपुर में जो ट्रस्ट बनाया और उसके जो चेयरमैन बनाये हैं वे कौन सी क्वालिफिकेशन के हैं। यदि लॉ ग्रेजुएट को देखना चाहते हैं तो जयपुर में लॉ ग्रेजुएट्स की कमी नहीं है। वकालत करने की क्वालिफिकेशन है तो जयपुर में अच्छे अच्छे एमीनेन्ट लॉयर्स है उनका नाम लेना चाहिए जो रिप्रेजेन्टेशन करते हैं मजदूरों व कच्ची बस्तियों में रहने वालों का वह उनमें नाम मात्र भी नहीं है। यदि यह बात थी कि टैक्निकल क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए तो वह उनमें किसी प्रकार से नहीं है। तो आपने उनको नोमीनेट किस बात के लिए किया है; सिवाय इसके कि वे आपकी पार्टी के हैं और जिसको कहेंगे उसको ऑब्लाइज कर देंगे। ओब्लाइज करना तो यहां तक बढ़ गया है कि मंत्रीजी ने उसका जवाब ही नहीं दिया है। कोई छोटा सा मेम्बर यदि कोई गड़बड़ कर दे तो उसके लिए मंत्रीजी सस्पेन्शन का ऑर्डर कर देंगे, चाहे ६ महीने के बाद दबाव के कारण उसको वापिस लेना पडे और जुडीशियल ऑथोरिटी के पास में उसको नहीं भेजेंगे।

कानून के बारे में मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान एक धारा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा; वह है धारा १५ जिसके अन्दर लिखा है पार्ट (डी) में :

"(*d*) has knowingly acquired or continues to hold, without the permission in writing of the State Government, directly or indirectly, or be a partner in share or interest in any contract or employment with by or on behalf of the Trust."

अब मैं आपसे यदि यह पूछना चाहूं कि आपने डिसक्वालिफिकेशन का प्रावधान इसके अन्दर रखा है उसको इसके अन्दर क्यों लागू नहीं किया गया? क्या आपने कभी

(श्री भैरोंसिंह)

इस बात की जांच की है कि जिन लोगों को, कांग्रेस के मेम्बर्स को इसमें बनाया है और जिन लोगों के हाथों में जयपुर का भाग्य सौंपा है वे स्पष्टतः अपने भाग्य एवं अपने पक्ष में काम कर रहे हैं। मैंने एक बार उदाहरण दिया, पिछली विधान सभा में दिया और इस विधान सभा में पहले कागजात इस सदन में पेश किये गये; परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, कोई सरकार यह कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमारे इतना जानकारी देने के बाद भी एक व्यक्ति को रिमूव नहीं करे? कारण उसका केवल एक है और वह यह है कि वह कांग्रेस पार्टी का है। यदि वह एक दिन के बच्चे से लगा कर मरने वाले बूढ़ों के नाम से प्लॉट खरीद सकता है, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि पर एन्क्रोचमेन्ट कर सकता है, क्योंकि कानून कांग्रेसी····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): कांग्रेस के ही बुरे होते हैं, यह नहीं कि उनमें भी कई तरह के लोग गड़बड़ करते होंगे। आपके पास किसी ने एप्लीकेशन की है कि इस प्रकार के वे कांग्रेसी हैं। हर किसी को कांग्रेसी बता देना शुरू कर देते हैं···

श्री भैरोंसिंह: आप उपाध्यक्ष महोदय,

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप तो जनसंघी ही बना सकते हैं कांग्रेसी नहीं बना सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: भगवान बचाये ऐसे कांग्रेसियों से जनसंघ को।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को वेदना हुई है। मैं दाद देता हूं कि आखिर ईमानदार आदमी आप होंगे तो गुस्सा हो गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैंने कोई आपको दर्खवास्त नहीं दी है कि मुझे ईमानदार या बेईमान कहें। महरबानी करके कांग्रेस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें। मैं उसको ऑब्जैक्शनेबल समझता हूं।

श्री भैरोंसिंह: मैं बिल्कुल नहीं करूंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): साफ नाम क्यों नहीं लेते हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उसे कांग्रेसी मत कहिये। जो बेईमान है।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, फिर तो कांग्रेस की जमात ही खत्म हो जायगी। ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं लेकिन वे मंत्री महोदय से कहते कि उन लोगों को जो बेईमानी करते हैं, बेईमानी करनेवालों को प्रोटेक्शन क्यों देते हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: I take exception to this language in the House. We belong to different parties and in every party there are some good men and some bad men. If they are acting in some other way, the Government is there to look to that. But don't give this qualification to corrupt men that he is Congressi.

सिद्धांतः यह बात नहीं है कि कोई कहीं बेईमान नहीं है। हमारे अन्दर भी कई हैं और उनके अन्दर भी कई आ जाते हैं जो गड़बड़ियां करते हैं। यह तो यों ही है।

श्री भेरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि कांग्रेस का नाम लेने पर ही लोग चिड़ने लगे मैं तो यह समझता था कि कांग्रेस का जितना नाम लेंगे उतना ही राजी होंगे। अब कांग्रेस के नाम से नफरत हो गई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सबको बदनाम करना अच्छा नहीं लगेगा।

श्री भेरोंसिह : मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य से आपके द्वारा यह पूछना चाहूंगा कि कोई आदमी जो कि दो साल पहले कोई इस प्रकार का काम करे जो कि नियम के विरुद्ध हो और उस बात की जानकारी बराबर सरकार को दी जाय, फिर भी उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो मैं समझता हूं कि सरकार साइलेन्ट क्यों हुई ? इसका बैक ग्राउन्ड जानने के लिए हमें यह कहना पडता है कि वे किसी विशेष राजनैतिक संस्था के सदस्य हैं··

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कौन से मेम्बर होते हैं···

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री रघुनाथ बिश्नोई: आप कैसे कहते हैं कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं ?

श्री भेरोंसिह : म्युनिसिपैलिटी में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लडा है और कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं। म्युनिसिपल चुनाव में उनको कांग्रेस का टिकट मिला था। वे चुनाव में हार गये हैं। उनका नाम वीरूमलजी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बार बार आपस में बातें नहीं करें। आप अपने विषय पर रहें।

श्री भेरोंसिह : उनकी ईमानदारी के कारण उनको गुस्सा आता है, लेकिन ऐसे सदस्य बहुत कम हैं··

श्री चन्दनमल बैद (उप-मन्त्री वित्त) : आपस में बार बार प्रशंसा हो रही है। ये उनकी प्रशंसा करते हैं और वे उनकी करते हैं।

श्री भेरोंसिह : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसका स्पष्टीकरण देंगे कि अब तक सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया ?

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को हमारी सरकार ने चेयरमैन बनाया है वे पहले हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर और चेयरमैन थे। हमारे संविधान में यह दिया गया है कि किसी भी मेम्बर आफ पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो कि चेयरमैन रहा हो कोई भी रेम्युनरेशन देकर सरकार किसी पद पर नियुक्त नहीं कर सकती है। इस संबंध में ही नहीं कहता, लेकिन हिन्दुस्तान के जो सबसे बड़े वकील हैं-श्री सीतलवाड, उन्होंने इस प्रकार की ओपीनियन दी है, लेकिन हमारी सरकार ने उनको नियुक्त कर दिया। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आखिर उनमें ऐसी कौनसी टैक्निकेलिटी थी कि उनको संविधान का उल्लंघन करके आपने नियुक्त किया है ? उसका भी कोई कारण नहीं आता, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नजर नहीं आती, ऐसा कोई एक्सपीरियन्स नजर नहीं आता,

(श्री भैरोंसिंह)
केवल मात्र एक वही कारण था जो कि मैंने पहले वाले सदस्य के लिए बताया था ।

अब एक तीसरे सदस्य के लिए कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि उनके बारे में जांच की जाय तो उन्होंने अपने परिवार के ६ महीने के एक बच्चे से लेकर १०० वर्ष के बुढे, मरने वाले व्यक्ति के नाम पर भी प्लॉट इश्यू कराये हैं । मैं कांग्रेस का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन हैं वे उसी संस्था के ।

ऐसी स्थिति के अन्दर अब मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि हम अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं रहता कि सरकार से इस बात की मांग करूं कि आप यदि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें जन-प्रतिनिधि होना चाहिए । राजस्थान विधान सभा में जनता के प्रतिनिधि हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जनता के प्रतिनिधि हैं और केवल अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में सरकार अपने कृपा–पात्र रखना चाहती है तो कौन सी दलील हो सकती है ? कोई दलील नहीं है, कोई कारण नहीं है. सिवाय इसके कि यदि ये लोग बन जायेंगे तो जिस समय कहना चाहेंगे कि इसको प्लॉट दो, जिसके अगेन्स्ट में हैं उसकी लैण्ड एक्वायर करने के लिए कहें, जिसके लिए यह कहना चाहें कि एक्वीजीशन के बाद लैण्ड को रिलीज कर दो, जिसके अगेन्स्ट में हम चाहते हैं कि जिनके कच्चे झोंपडे हैं उनसे लैण्ड लेकर इनको दे दो तो वे हमारे हुक्म की तामील नहीं करेंगे । आपको जनता ने अधिकार दिया है कि सारे राजस्थान पर हुकुमत करो, मगर हम इतना कहना चाहते हैं कि आपके बनाये हुए कानूनों के अनुसार हुकूमत करो । हुकूमत करने में हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आपको जनता ने चुना है, लेकिन कानून को भंग करके हुकूमत मत करो । आप कानून को भंग करके हुकूमत करने की चेष्टा कर रहे हैं । इसलिए सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि इस प्रकार के ट्रस्ट के अन्दर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हों । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसी व्यवस्था है कि तीन उम्मीदवार कांग्रेस के विरुद्ध हैं, जयपुर के अन्दर जो लोक सभा के उम्मीदवार हैं इन चारों से पूछा तक नहीं गया कि हम जयपुर का विकास इस तरह से करना चाहते हैं ? उस विकास के काम को आज आपने उनको दिया है जिनकी नगर परिषद् के चुनावों में जमानत जब्त कराई थी ।

यह कोई न्याय है ? यह कोई जनता का प्रतिनिधित्व है ? यह कोई जनता की सेवा है ? जनता की सेवा नहीं राजनैतिक सेवा है . . . . .

श्री बरकतुल्लाखां : इलेक्शन से पहले ही नामजद हुये थे, यह थोडे ही मालूम था कि हार जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह: सरकार यदि सतर्क होती तो जमानत जब्त होने पर हटा देते । राजस्थान के २ करोड लोगों ने सरकार में विश्वास किया । उस क्षेत्र में जनता ने उनका विश्वास नहीं किया इसलिये वे हार गये । ऐसी सूरत में राजस्थान सरकार उनमें विश्वास करती है तो लगता है कि दाल में काला है, सही ढंग से काम नहीं करना चाहते ।

यदि सरकार यह कहे कि चुने हुये लोगों के हाथों में हम ट्रस्ट को नहीं सौंपना चाहते

(श्री भैरोंसिंह)

हैं तो मैं कहूंगा कि आपके नोमीनेटेड लोगों ने जयपुर का विकास नहीं, विनाश किया है। यदि चुने हुये लोग जायेंगे तो चुनने वाले वोटर्स से उनको डर लगेगा और उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनके साथ अन्याय नहीं करके न्याय करेंगे इसलिये कि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज को मेम्बरशिप दें।

इसके साथ साथ मैंने यह भी व्यवस्था संशोधन में रखी है कि सरकार जिनको नोमीनेट करना चाहे, २ व्यक्तियों को नोमीनेट करे। यदि सरकार चाहे कि विशेष अनुभव वाले लोगों को, विशेष ज्ञान व क्वालिफिकेशन वाले व्यक्तियों को नामजद करना है, मेम्बर बनाना है तो संशोधन में व्यवस्था उसके आधार पर, जिस किसी को नामजद करना चाहें, कर दें। दो की जगह तीन को नोमीनेट कर दें या तीन की जगह चार को कर दें। लेकिन आज यह नहीं हो सकता है कि डेमोक्रेसी में आप चुने हुये लोगों की अवहेलना करें। आप जिन लोगों को राजनैतिक स्वार्थ-सिद्धि के लिये नियुक्त करते हैं उनसे न्याय नहीं हो सकता; उन्होंने लोगों के साथ अन्याय किया है। जयपुर शहर में प्लॉट्स के वितरण को लेकर, मैं बार बार नहीं कहना चाहता आपने स्वयं ने अध्यक्ष पर चार्ज लगाया है कि उन्होंने विकास-कार्य नहीं किया लेकिन आपने चार्ज इसलिये लगाया कि उन्होंने आप पर चार्ज लगाया था। पहले दोनों चुप थे। वे आपके काम की तारीफ करते थे और आप उनके काम की तारीफ करते थे। लेकिन जब श्री सीतलवाड ने अपना 'निर्णय दिया तब उनको हटाने में मंत्रीजी ने कुछ उदारता बताई यह उनकी गल्ती थी। वे तुरन्त एक्शन लेना चाहते तो उनको बर्खास्त कर सकते थे, लेकिन मंत्री महोदय की उदारता के कारण उन्होंने देखा कि इस्तीफा देकर मंत्रीजी पर अल्जाम लगा सकते हैं, इसलिये उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने मजबूर होकर उन पर चार्ज लगा दिया। लेकिन एक बात है कि उनका काम संतोषजनक नहीं था।

अब आपने कलेक्टर को चेयरमैन बना दिया, अब ध्यान दीजिये · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५ मिनट और लूंगा। कलेक्टर की मल्टीफेरियस एक्टीविटीज होने के कारण उस पर इतना बोझ है कि वह नगर-विकास की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। पिछले दिनों तो उसके पास लडाई के कारण और भी अधिक काम हो गया था। कलेक्टर के पास डेवलपमेन्ट का काम है, पंचायत समितियों का काम है, वह और भी इतने काम हैं कि वह शहर के विकास की ओर ध्यान नहीं दे सकता। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों जयपुर की कितनी स्कीमें आपके सामने आईं, तिवारीजी के हटने के बाद कितनी स्कीमें आपके पास आई ? जैसे आपने नारी के नाके की स्कीम की बात कही, लेकिन नारी के नाके की स्कीम बहुत पहले हो चुकी थी। मुझे पूरा याद नहीं। लेकिन मेरे चुनाव के समय भूतपूर्व मंत्रीजी कहते थे कि नारी के नाके का विकास होने की योजना बन चुकी है, उनके वे भाषण अखबारों में मिले हैं। मैं इसका श्रेय आपको दूंगा, लेकिन उनको भी देना पडेगा · · ·

श्री बरकतुल्लाखां : मैं श्रेय नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा था कि काम हो रहा है

(श्रीबरकतुल्ला खां)
और आपने कहा कि नहीं हो रहा है। अब आपने एडमिट तो किया कि काम हुआ है।

श्री भैरोंसिंह: मैंने आपकी पहले ही बहुत तारीफ की है, जैसी मैंने मेरी उम्र में किसी की नहीं की। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर को चेयरमैन बनायेंगे तो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के जरिये विकास नहीं हो सकेगा और यदि आपने इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव को स्थान नहीं दिया तो लोगों में विरोध होगा। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि लाल कोठी एरिया में सब लैंड एक्वायर करने का नोटिस दिया। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर ४०० कच्चे घरवाले हैं। वे वहां पर कब उठे थे जब कि सांगानेर गेट के बाहर आबादी बसाने के लिये मिर्जा इस्माइल के टाइम में वहां से और आसपास से उन लोगों को हटाकर लालकोठी में बसाया था। आज से १५–२० साल पहले उनको वहां बसाया गया था। वहां पर उन्होंने खेत खरीद कर काश्त करना शुरू किया। अब गवर्नमेन्ट ने कह दिया कि हम वहां पर भी आबादी करना चाहते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप आबादी करना चाहते हैं; डेवलपमेन्ट करें, हमें एतराज नहीं, लेकिन १५ वर्ष पहले जिनको वहां आबाद किया था उनको बसाने के लिये क्या स्कीम है? लाल कोठी स्कीम बना दी, लोगों के मकान तुडवा देंगे लेकिन वे लोग कहां जाकर बसेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि उनकी आवाज उस बोर्ड में नहीं थी। यदि उनकी आवाज होती तो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और सरकार की हिम्मत नहीं होती कि लोगों को वहां से हटा देते। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि वह ऐसी स्कीम बनाती है जिससे लोगों के घर बर्बाद होते हैं तो सरकार अपनी ताकत लगा दे; एक भी घर नहीं फुडवाने दूंगा। उनके सामने वैसे ही समस्यायें बहुत हैं और आप उनके घर तुडवाने जा रहे हैं, इसीलिये कि कि बाबूजी को प्लॉट अलॉट कर दिया। लोग इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे, आपकी स्कीम पडी रहेगी, उनके प्रतिनिधियों को आपको लेना पडेगा। २५ हजार परिवारों का आप विकास नहीं विनाश करना चाहते हैं। उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं है इसलिये आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन आप करके तो देखिये। आप उनके झौंपडों पर अपना भवन बनाना चाहते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उस जमाने को भूल जाइये जब कुछ मकान फोडे थे और वहां बसने वाले परिवारों को हटवा दिया गया था, लेकिन आज जयपुर का एक एक व्यक्ति इसके लिये मरेगा और आपको उनके कच्चे झौंपडों पर प्लॉट नहीं बनाने देगा।

रोज पुलिस पहुंचती है मकान तोडने के लिये। परसों हशनपुरा में प्लाट बनाये और वहां के लोगों को हटाया। वे लोग कहते हैं कि हम अपना छप्पर कहां लगावें, भैंसें कहां बांधे, अनाज और सामान कहां ले जावें। आपके लोग कहते हैं सामान सडक पर रखें, लेकिन हमने प्लाट लिया उसका कब्जा दें। यों कब्जा नहीं मिलेगा। कितने ही कानून बनेंगे, पुलिस आयेगी लेकिन यदि इस प्रकार के कानून बनायेंगे तो विरोध किया जायगा। लेकिन आज बोले कौन? नहीं बोले, इसलिये कि जयपुर की बस्तियों को गायब कर दिया। अमानीशाह के नले पर जाकर पूछिये सिरकी वाले कौन हैं तो आपको जवाब मिलेगा कि वे वही हैं जिनका प्लाट आपने ले लिया और उनको कह दिया कि अमानीशाह के नले पर चले जाइये और वहां

(श्री भैरोंसिंह)

पर भी उनका पट्टा नहीं बनायेंगे, क्योंकि जयपुर का और आगे विकास होगा तब फिर इनको कहा जायगा कि तीन मील और आगे जाना पड़ेगा, यहां साहब लोग बसने वाले हैं। आप साहब लोगों के लिये गरीबों का खून चूसना चाहते हैं, पर अब यह नहीं चलेगा। इसलिये आपको स्कीम बनाकर प्लान ले आउट करना है ट्रस्ट के द्वारा तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक इस्टीट्यूशन होना चाहिये। इसमें यदि आप टैक्निकल आदमियों को लेना चाहें तो दो को ले सकते हैं, तीन को नामजद कर सकते हैं या चार को ले लीजिये। इसके लिये पूरी व्यवस्था है।

ट्रस्ट का चेयरमैन सरकार नोमीनेट करेगी। क्यों करेगी? कौनसा कानून है? कोई कार्पोरेशन या बोर्ड बतादे जहां का चेयरमैन नोमीनेटेड होता हो। अधिकांश इन्स्टीट्यूशन्स डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के आधार पर होती हैं, उनमें मेम्बर्स अपने चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। लेकिन आप यहां पर कहते हैं कि चेयरमैन हमारे द्वारा नोमीनेटेड होगा। क्यों होगा? कौनसा कानून और कौनसा न्याय है जिसके द्वारा कहते हैं कि चेयरमैन नोमीनेटेड होगा? यदि आप यह समझते हैं कि नोमीनेटेड नहीं होगा तो आपका आदमी नहीं आयेगा, लेकिन यदि आप में लोगों को विश्वास है तो आपका हो सकता है, दूसरों में विश्वास है तो दूसरों का हो सकता है। न कांग्रेस की ठेकेदारी है और न विरोधी पक्ष की ठेकेदारी है; जनता जिसको चाहेगी उसको लेगी। अब जनता जिसको चाहेगी उसको बनाने में आप क्यों बाधक बनते हैं?

लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि शहरों के मामले में हमारी सरकार का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है और भिन्न दृष्टिकोण होने के कारण सरकार नहीं चाहती कि शहरों का इस प्रकार विकास हो जाय कि जिस विकास के जरिये गरीबों का भला हो, गरीबों का भला हो, इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने कई बस्तियां बसाई। माननीय वित्त मंत्री जी जानते होंगे कि उनके पीछे बगडिया भवन के पीछे वाली बस्ती है, उस बस्ती से डेवलपमेन्ट चार्जेज का एक नया पैसा वसूल कर लिया लेकिन आज तक गटर लाइन नहीं डलवाई है। आप बनीपार्क में जाकर देखें, वहां आज तक गटर लाइन नहीं डलवाई है, बिजली के खम्भे नहीं लगवाये हैं और पानी के नल भी नहीं लगवाये हैं। फिर किस बात के लिये आपने डेवलपमेन्ट चार्जेज लिये हैं, किस बात के लिये एक नया पैसा वसूल कर लिया है, किस बात के लिए कुर्की भेजी है? लेकिन वह पैसा ले लिया और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने उसका सफाया कर दिया। होना यह चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो पैसा जिस क्षेत्र में से लिया गया है वह पैसा उसी क्षेत्र के लिए खर्च होना चाहिये, जिस क्षेत्र के लिए जो ग्रान्ट–इन–एड जिस काम के लिए सरकार ने दी है वह उसी में खर्च होनी चाहिये। लेकिन वह नहीं होता है और बनी पार्क और बगडिया भवन के पीछे जो मकान बने हैं वहां पर गटर लाइन नहीं डलवाई है, वहां पर बिजली के खम्भे नहीं हैं और पानी के नल नहीं हैं और इस कारण इतने मच्छर पैदा होते हैं कि उसकी कोई इन्तहा नहीं है। मैं सरकार से कहूँगा कि अगर पैसा ले तो वहां काम भी करे और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की चिन्ता भी करे।

Page No 79

(श्री भैरोंसिंह)

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के अन्दर सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराई है कि जयपुर शहर की आबादी कितनी है, जन-संख्या की सर्वे नहीं कराई, इसके साथ कितने आदमियों को प्लाट देने हैं, इसकी जांच नहीं कराई। आज सरकार यह नहीं बता सकती है कि हमारी पोजीशन क्या है, जयपुर शहर में कितने प्लाट्स की आवश्यकता है? इस प्रकार की सर्वे आज तक नहीं कराई है। अगर जयपुर की जनता की आवश्यकता पूरी करनी है तो कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, इसकी भी जांच नहीं कराई है और इस आवश्यकता पूर्ति के लिए जयपुर में कितनी प्राइवेट लैंड है, कितनी गवर्नमेन्ट लैंड है इसकी भी जांच नहीं कराई है। जिस समय भी आपकी इच्छा हो, किसी को भी नोटिस देकर एग्रीकल्चर लैंड को लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत एक्वायर कर सकते हैं। अगर नोटिस देकर एक्वायर कर सकते हैं तो मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने एक गरीब काश्तकार को तो नोटिस दे दिया लेकिन जो नेता हैं और सेठ लोग बैठे हैं और जो खेती करते हैं उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? दोनों के खेत बराबर बराबर हैं, दोनों की सीमा बराबर है; एक खेत के लिए जो गरीब काश्तकार का है, नोटिस आपने दे दिया लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत लेकिन दूसरा जो पैसे वाला है। उसको आप नहीं हटा सकते हैं। वह नहीं हटा सकते हैं क्योंकि वह पैसे वाला है, वह पैसा खर्च कर सकता है। गवर्नमेन्ट उसे नोटिस दे सकती है, जो गरीब काश्तकार है, जिसकी ज्यादा पैदावार है, जिसका ज्यादा प्रोडक्शन है, जिसके लिए उसको भारत सरकार के द्वारा इनाम मिलता है—ज्यादा प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार उसके खेतों की तारीफ करती है, ताईद करती है, उसके लिए उसे अवार्ड मिलता है, उसको आप कहते हैं कि तुम आदर्श किसान नहीं हो। जिसको भारत सरकार आदर्श किसान स्वीकार करती है। उसे राजस्थान सरकार कहती है कि आदर्श किसान नहीं है और उस आदर्श किसान को यह सजा मिलती है कि वह अपना खेत उठा कर ले जाये। तो उसका खेत उठेगा जो आदर्श किसान है लेकिन जो किसान नहीं है, पीढ़ियों से काश्तकार नहीं है, जिसके यहां बड़े साहब लोग आते-जाते हैं। उसको नहीं हटाया जायेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर खेती के मामले में आपकी क्या नीति है? कितनी जमीन को आप रिजर्व करना चाहते हैं। और जितनी रिजर्व करना चाहते हैं तो वह शहर में कितनी होनी चाहये और आसपास कितनी होनी चाहियें? यह करने के बाद आपको यह जांच करनी है कि एग्रीकल्चर लैंड कितने हैं। और किसानों से इस प्रकार एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करने के पहले जमीन को क्वालिफाइड करें कि जहां प्लाट्स कन्जेस्टेड होने की वजह से आबहवा खराब होती है। वहां कन्जेस्टेड प्लाट्स को दूर कर दें जिससे कि कन्जेस्टेडपना दूर हो जाय। लेकिन अगर ऐसी नीति हो कि कोई शहर के बीच खेती करता है वह रह जाय और अगर कोई दूर भी खेती करता है और उस पर आपकी नजरपड़ गई। तो उसको एक्वायर कर लिया, तो यह नीति ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत आपने जो नोटिस दे रखे हैं। उनको आप रीकन्सीडर करें और यह विचार करें कि जयपुर में

(श्री भैरोंसिंह)

इस प्रकार की लैंड कितनी है जिसको लोगों को आबाद करने की गर्ज से एक्वायर किया जाना चाहिए और एक्वीजीशिन की कार्यवाही से कितनों की पूर्ति हो जाती है और जिनके पास जमीन खेती के लिए है, उस खेती की जमीन को एक्वायर न करें तो क्या उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ मंत्री महोदय, चल सकते हैं, मैं उन्हें बताऊंगा कि लोगों ने प्राइवेट बस्तियों की बस्तियां आबाद की हैं। जयपुर में जहां जौहरी बाजार में एक मकान का किराया पच्चीस रुपया माहवार हो सकता है वहां उन बस्तियों में दस, बारह रुपया माहवार एक एक आदमी से किराया लेते हैं। लेकिन उस जमीन को आप एक्वायर नहीं करते हैं जब कि उसमें खेती नहीं होती है, उसका जो ओनर है वह उससे पैसे की खेती करता है लेकिन जो दूसरा है और खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाता है। उसको खत्म करने की चेष्टा की जा रही है। जयपुर शहर में जो भूमि है उसको एक्वायर करें without distinction of the personalities; तो आपको पर्याप्त मात्रा में जमीन मिल सकती है। एग्रीकल्चर लैंड के साथ छेड़छाड़ किये बिना आप लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह तब ही हो सकता है जब कि सरकार के मर्जीदान बोर्ड में नहीं पहुंचें, जयपुर की जनता के प्रतिनिधि उसमें पहुंचें। जयपुर की जनता के प्रतिनिधि बोर्ड में पहुंचेंगे तो जनता का विकास करेंगे। और अगर नहीं पहुंचेंगे तो जनता का विकास नहीं होगा, बल्कि विनाश होगा और जिस प्रकार ट्रस्ट से अपेक्षा करके चलते हैं उससे किसी भी शहर का विकास नहीं होगा और विकास नहीं होगा तो विनाश होगा। अगर विनाश कराने की आपकी इच्छा है तो जो व्यवस्था आपने की है उसे स्वीकार करिये और अगर विनाश नहीं करना है और विकास करना है तो जयपुर की महारानी साहिबा को इसका मेम्बर बनायें तो वे जयपुर के विकास के लिए चिन्ता करेंगी, जयपुर के हिज हाईनेस को उस ट्रस्ट का मेम्बर बनाते हैं तो वे जयपुर के विकास की चिन्ता करेंगे, जयपुर के इलेक्टेड मेम्बर्स को इसका मेम्बर बनायें तो वे इसके विकास की चिन्ता करेंगे और चुने हुए व्यक्ति इसमें नियुक्त होंगे, चुना हुआ चेयरमैन होगा तो वह विकास की चिन्ता करेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप भी तो उसमें थे।

श्री भैरोंसिंह : मैं होता तो उसमें गडबडी नहीं होती।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां तो आपके रहते हुए हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : कई बातें हैं। यहां कोई बुराई की जाय तो कहते हैं बुराई क्या, वह तो हम पीठ पर लेकर चलते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी तरह।

श्री भैरोंसिंह : मेरी तरह नहीं, आपकी तरह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आपके साथियों की यह पालिसी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था, यह कोई ठेके की बात नहीं है, जयपुर की

(श्री भैरोंसिंह)

महारानी, महाराजा जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के मेम्बर हों या जो मेम्बर हैं वे ही रहेंगे। वे आज हैं तो कल दूसरे कोई आ जायेंगे। ये तो बदलते रहते हैं, कभी आपके लोग, कभी हमारे लोग आते हैं, सब लोग आते हैं।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त): उम्मीद पर दुनिया जीती है।

श्री भैरोंसिंह: उम्मीद पर तो आप बैठे हैं उप-मंत्री से मंत्री बनने के लिए, लेकिन बनाये नहीं जायेंगे, क्योंकि लोगों की काबलियत देखते हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि उस सब को हमें विचार करके चलना पडेगा। साथ ही जनता के प्रतिनिधियों की अवहेलना न करें। इसलिए इलेक्टेड ट्रस्ट होना चाहिये और फिर भले ही अगर आप टैक्निकली क्वालिफाइड आदमी रखना चाहें तो रख लें। इस प्रकार का प्रावधान करके अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का कॉन्स्टीट्यूशन बनाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर का विकास हो पायेगा और विनाश करने वाला जो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट मौजूद है उससे मुक्ति हो सकती है। अब अगर आप सोचें कि उनको आप कोई धन्धा देना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को आप आर. ए. एस. ऑफिसर बनाना चाहें तो बना दें, हमें कोई हर्ज नहीं होगा और हम विरोध नहीं करेंगे। आप भले ही उन्हें आर. ए. एस. ऑफिसर बना दें, लेकिन जयपुर का विनाश न करायें। अगर आपकी इच्छा है तो जो दर्द है उसका इलाज हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विकास करने की इच्छा रखते हैं तो हम भी जयपुर का विकास करने की इच्छा रखते हैं; इसलिए आपके आदमी आयें और हमारे भी आदमी आयें, जनता के प्रतिनिधि बैठें और सारे व्यक्ति बैठ कर स्कीम बना कर लागू करने की चेष्टा करेंगे तो जो मतलब इस एक्ट से पूरा करने की इच्छा रखते हैं उसे हम पूरा कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय. . . .

श्री उपाध्यक्ष: श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): तशरीफ रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ३ के सम्बन्ध में मैंने भी एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है। [संशोधन इस प्रकार है:—

(*a*) After the words "or his nominee" occurring in new clause (b) sought to be inserted in sub-section (1) of section 9 of the principal Act add the words "not below the status of a Gazetted Officer."

(*b*) After the words "a chairman" appearing in part (*a*) of the proviso sought to be added to sub-section (1) of section 9 of the principal Act add the words "Who shall not be a retired Government Servant, retired member of Public Service Commis-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
sion, retired Judge and a person who has been defeated in the last General Elections."]

अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य, जो जयपुर से आये हैं, ने इस क्लॉज के सम्बन्ध में अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जो विचार व्यक्त किये उन सब को दुबारा न दोहराते हुए मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इसमें एक व्यवस्था और चाही है कि ट्रस्ट का चेयरमैन या ट्रस्ट के सदस्य रखने के बारे में जो इतनी कन्ट्रोवर्सी खास तौर से इस सदन में खड़ी हुई कि आर. पी. एस. सी. के चेयरमैन, अन्यान्य व्यक्तियों या इस प्रकार सरकारी नीति की आलोचना इस सदन में होती रही है, मैं इस सम्बन्ध में अपने संशोधन प्रस्ताव के द्वारा इस प्रकार के शब्द इसमें रखना चाहता हूं और यह प्रोवीजो जोड़ने के बारे में है:

"Who shall not be a retired Government servant,"

ये ट्रस्ट के चेयरमैन नहीं होने चाहिये:
"Retired member of the Public Service Commission, Retired Judge"
और सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण यह है "and a person who has been defeated in the last General Elections."

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने विशेष-तौर से इसलिये लिखी है कि जयपुर में इस ट्रस्ट में बडे घोटाले हुए और जो घोटाले हुए वे इस सदन में कई बार रखे जा चुके हैं। उधर तो इसमें इतने घोटाले हुए और जयपुर में कुछ पोलिटिकल पर्सोनल्स थे जो दुर्भाग्य से चुनावों में हार गये उनको किसी न किसी प्रकार से कहीं रीहेबिलिटेट किया जावे इसलिये इसको लेकर माननीय मंत्री ने जयपुर के ट्रस्ट के विशेष सदस्य को इस सीट पर रखने के लिये प्रयत्न किया, जो यहां के चुनावों में अपनी सीट हासिल नहीं कर सके और अपनी जमानत न बचा सके। हमने मालूम होने पर उसका घोर विरोध किया और संकटकालीन स्थिति को माननीय मंत्री महोदय ने ध्यान में रख कर और इस बात को ध्यान में रख कर कि अगर इनको नियुक्त किया गया तो डिस्टर्बेन्सेज् होंगे, जूलूस निकाले जावेंगे और संभवत: जोधपुर के बजाय जयपुर में भी उनको काले झन्डों के जुलूस देखने को मिलेंगे और देखने का अवसर आवेगा, उन्होंने अपने इरादे को बदला। उन्होंने शायद जनमत को पहिचान लिया . .

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं बता देना चाहता हूं कि जोधपुर में भी कोई काले झन्डे देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने जनमत को पहिचान लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमेशा वे ही तो एल. एस. जी. मंत्री रहेंगे नहीं। मंत्रि-मंडल में कटौती की भी बात आ रही है, उसमें भी पत्ता गोल हो सकता है तथा और भी कोई बात हो सकती है। यही नहीं कि पत्ता गोल ही हो वे आगे भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या सेन्टर में कहीं जा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था कानून में हो जानी चाहिये कि जो चुनाव में हार गये हैं उनको रीहेबिलिटेट करने के लिये विकास ट्रस्ट के सदस्य नहीं बनाये जावें। इसमें सरकारी कर्मचारी जो रिटायर होते हैं या जुडीशियरी के रिटायर्ड आफिसर्स हो सकते हैं उनको एकोमोडेट करने की भावना होती है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसके अलावा बड़े बड़े आदमी जो रिटायरमेंट के नजदीक होते हैं वे यही सोचते रहते हैं कि रिटायर होने के बाद में कौनसा धन्धा करेंगे। यदि किसी को एक्सटेन्शन भी मिलेगी तो सभी को तो मिल नहीं सकती। इसलिये वे लोग जमीन लेकर कोई फार्म खोलने की सोचते हैं कि कोई फार्म खोला जावे या दूसरी तरफ वे यह सोचते हैं कि किसी प्रकार से मंत्रियों को खुश किया जावे ताकि उनको किसी प्रकार से ऐसे पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स में या किन्हीं ऑटोनोमस इन्स्टीट्यूशन्स में वापिस ले लिया जावे जब-वे रिटायर हो जावें। इसलिये वे लोग दो साल पहले से उनकी खुशामद करने लगते हैं और उनको खुश करने के लिये लगे रहते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन भली-भांति नहीं कर पाते और मंत्रियों के कृपा-पात्र होने के लिये जैसा वे कहते हैं उसी प्रकार से कार्य करते हैं। इसलिये कॉन्स्टीट्यूशन में इस प्रकार की व्यवस्था है और वह व्यवस्था पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये कर दी कि राज्य सरकार के अन्तर्गत उनकी नियुक्ति नहीं की जावेगी। वह पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये संविधान में प्रोविजन है। मगर मैंने यहां इसलिये रखा है कि कांग्रेस के पिछले चुनावों में, जहां तक राजनीति का संबंध है, सात सात मंत्री हार गये। उनको एकोमोडेट करने के लिये और रीहेबिलिटेट करने के लिये सरकार को पूरी चिन्ता है। राजस्थान सरकार को रीहेबिलिटेशन के, लोगों को बसाने की इतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि चुनावों में हारे हुए योद्धाओं की; किस तरह से उनको विकास ट्रस्ट के सदस्य बनाया जावे, उसकी चिन्ता है। आपने जोधपुर में भी हारे हुए व्यक्ति को बनाया है। वे धनीमानी हैं और चुनावों में हार गये, उनको ट्रस्ट का सदस्य बना दिया।

श्री बरकतुल्ला खां: वे पहले भी ट्रस्ट के सदस्य थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मगर अब जब वे हार गये हैं तो उनको मेम्बरशिप से हटा दिया जाना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। अगर डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं तो जो सदस्य चुनावों में हार गये हैं उन्हें आपको हटा देना चाहिये। इसमें आपको आपत्ति क्या है? जनतन्त्र में जनता में विश्वास प्रकट होने की यही तो कसौटी है, दूसरी कौनसी कसौटी है? जब वे चुनावों में हार जाते हैं और उनको बहुत कम वोट मिलते हैं तो फिर वे ५ लाख जनता का किस प्रकार से विश्वास प्रकट कर सकते हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? इस भावना से मैंने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा है।

मेरे पूर्व वक्ता, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्लॉट्स के अलॉटमेंट में हुए घोटालों के संबंध में बताया। मगर मैं भी आपको इस संबंध में बताना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य और हैं और शायद आपको भी उनके खिलाफ शिकायत मिली होगी कि किस प्रकार से उन्होंने नियम के विरुद्ध अलॉटमेंट किये और करते हैं। माननीय मंत्री इसकी जांच करना चाहें तो, जांच कर सकते हैं। आपकी स्कीम में यह था कि मोतीडूंगरी स्कीम में एक परिवार को एक प्लॉट दिया जावे। मगर एक परिवार को एक प्लॉट नहीं, बल्कि दो-दो, तीन-तीन प्लॉट्स दिये गये। अनेक ऐसे उदाहरण

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मेरे पास मौजूद हैं। आनन्दपुरा के प्लॉटों के बारे में मैं यह कहूंगा कि ये प्लॉट्स कांग्रेस पार्टी के लोगों को दिये गये। ट्रस्ट के अधिकारी ने उन्हीं लोगों को दिये। अगर माननीय मंत्री जांच करना चाहें तो करा सकते हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी गड़बड़ियां इसमें हुई हैं वैसी कहीं नहीं हुई होंगी। एक एक व्यक्ति को पांच-पांच प्लॉट्स दिये गये और वहां के रहनेवाले लोगों को कोई प्लॉट नहीं दिया गया, वे यों ही चिल्लाते रहे। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह व्यवस्था की कि किसी भी महिला को या किसी नाबालिग को प्लॉट नहीं दिये जावें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आनन्दपुरा में १८ साल से कम उम्रवाले नाबालिगों को प्लॉट्स दिये गये और एक-एक आदमी को तीन-तीन प्लॉट्स बेचे गये। यह सारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा हुआ है और इसके बारे में जांच करें तो मैं इसके लिये तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कानूनों और नियमों का पालन नहीं किया जाता। वे ही लोग कानून को तोड़ते हैं जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिये कानून बनाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि सरकार ने आज नगरपालिकाओं की, इनको अलग बना कर, कमर तोड़ दी है और कचूमर निकाल दिया है और वे लोग अपने अपने लोगों को प्लॉट अलॉट कर देते हैं। इससे लोगों में यह बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। मैं कहूंगा कि यदि वे पोलिटिक्स में चमकना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं तो वे चमक सकते हैं; क्योंकि उनके पास स्वायत्त शासन जैसी संस्था है। लोकतन्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है, मगर हम देखते हैं कि राजस्थान में करीब १४२ स्वायत्त शासन संस्थाएं (नगरपालिकाएं) हैं उनमें से ४६ नगरपालिकाओं में अभी चुनाव नहीं हुए हैं और उनमें एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। इस तरह की यहां की स्थिति है और दूसरी ओर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना कर आप विकास की योजना बनाने जा रहे हैं; मगर मैं यह कहूंगा कि यह विकास की योजना नहीं बना रहे हैं, यह आप विनाश की योजना बना रहे हैं।

इसके अलावा जिन लोगों की आप जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं उनको मालूम तक नहीं कि उनकी जमीन एक्वायर की जाने वाली है और उनके नाम नोटिस निकल जाते हैं। लोग जिनकी जमीन होती है वे बडे पशोपेश में पड़ जाते हैं। ऐसे नोटिस बाद में वापिस ले लिये जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कई केसेज हैं, आप जांच करें। समझ में नहीं आता कि जिनकी जमीन अलॉट करते हैं उनको इत्तला नहीं होते हुए भी उनके नाम नोटिस क्यों निकल जाते हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष, इसके लिये एक कमेटी अपॉइन्ट कर दी गई है, जैसा कि मैंने पहले कहा। वह सारे एक्वीजीशन के केसेज की जांच करेगी और रिपोर्ट करेगी कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। इस कमेटी में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, टाउन प्लानर, चीफ टाउन प्लानर हैं, चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं। यह कमेटी एक्वीजीशन की जितनी कार्यवाही है, जितने पेंडिंग नोटिस हैं उन सबकी जांच करें किनको रखना है, किनको नहीं रखना है। तो यह आर्डर ऑलरेडी दे दिये हैं मैंने।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये ऑर्डर दे दिये हैं, पर ये भी आॅर्डर दिये

(श्री भैरोंसिंह)
कि नहीं कि यह कमेटी निर्णय नहीं करे तब तक अलाटमेंट की सारी प्रोसीडिंग्ज को स्टे कर दिया जाय ?

श्री बरकतुल्लाखां : हम उम्मीद कर चलते हैं कि यह कमेटी जल्दी ही सब जांच कर लेगी। तो स्टे करने की जरूरत नहीं।

श्री भैरोंसिंह : लोगों को बड़ा परेशान करते हैं। लोगों को, वकीलों को पैसा देना पड़ता है। जब भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि निर्णय नहीं हुआ है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि कमेटी के निर्णयों पर ही करना चाहते हैं तो सारी प्रोसीडिंग्ज को स्टे कर दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोसीडिंग्ज को स्टे कर दीजिये और एक्वीजीशन के जितने नोटिस हैं उनको भी कैन्सिल कर दीजिये। मेरी जानकारी में है कि एक्विजिशन के नोटिस जारी किये हैं उनमें से कई को बिना किसी वजह जाहिर किये वापिस लिया गया है। ऐसे मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। नोटिस जारी होते हैं और बिना कारण वे वापिस होते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कार्यवाहियां हैं उनसे न इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का नाम ऊंचा होता है और न सरकार का ही नाम ऊंचा होता है।

लोकतन्त्रीय व्यवस्था में जहां सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बातें करते हैं, विकास के काम जनता के हाथों में देना चाहते हैं वहां सरकार की नीति कुछ नगरों के बारे में बड़ी उपेक्षापूर्ण दिखाई देती है। जहां गांवों का विकास पंचायतों और पंचायत समितियों को सौंपा गया है कि अपनी योजनाएं आप खुद कर लीजिये, जमीनों को बेच कर अपनी आमदनी करें तो मैं नहीं समझता कि जहां तक शहरों के विकास का प्रश्न है वहां सारे विकास के काम वहां की नगरपालिकाओं से ले लिये जायें; यह एक गलत कदम है। ये सारे काम नगरपालिकाओं को दिये जाने चाहिये। आज नगरपालिकाओं के पास यह काम नहीं रहने से नगरपालिकाओं की स्थिति गिरती जा रही है। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकतीं। इसलिये नहीं कर सकती कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनते हैं, शहरों के विकास का कार्य इन ट्रस्टों के कंधों पर डाला जाता है। तो जो नीति ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में अपनाई जाती है, जो ग्रामों के लिये विकास का सिद्धान्त स्वीकृत किया है वही सिद्धान्त शहरों के लिये होना चाहिये। जितने शहरों के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनें उनमें वहां के चुने हुए लोग सम्मिलित हों, वे ही योजनाएं बनायें और वे ही अलॉटमेंट करें।

इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के म्युनिसिपल एक्ट और राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कानून को कोडिफाई कर एक कर दें और एक ही इन्स्टीट्यूशन के द्वारा, एक ही संस्था के द्वारा शहरों का इम्प्रूवमेंट हो सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष, ...

श्री उपाध्यक्ष : आप समर्थन करते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कुछ समर्थन करूंगा, कुछ कन्डेम करूंगा।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

जिन्होंने संशोधन रखा वे यह समझ रहे हैं कि यह बिल जो सरकार लाई है वह सिर्फ जयपुर के लिये है और इसीलिये उन्होंने जो शक्ल और एक वातावरण सदन में बनाने की कोशिश की है उसके वजाय मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सही रूप में इस बिल को देखा जाय । इस सदन में एक एक्ट पास किया गया कि गिरती हुई शहरों की हालत है उसको सुधारा जाय । इस एक्ट को कामयाब करने के लिये कुछ तरमीम करने की गुंजायश हुई तो तरमीम पेश की। यह कानून सारे राजस्थान के शहरों के लिये बना रहे हैं, तो मैं बाअदब दोनों सदस्यों से अर्ज करूंगा कि यह केवल जयपुर शहर का मसला नहीं है ।

इसका उपयोग इसके लिये नहीं होना चाहिये कि दोनों सदस्य जयपुर से आते हैं इसलिये इस अमेंडमेंट को जयपुर के लिये प्लीड करने का मौका बनाया जाय, बजाय इसके कि सरकार को अच्छे काम के लिये पर्सुएड करते हुए, सही वातावरण पैदा करके ऐसा सुझाव रखें जिससे अच्छा कानून बने । यह कोई राजनैतिक विषय नहीं है, जनता के जनजीवन से ताल्लुक रखने वाली बात है । उसमें इस तरह का वातावरण पैदा किया जाता है, इसका मैं विरोध करता हूं । इस तरह का वातावरण नहीं बने ।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार और वर्तमान मन्त्री महोदय ने जब से यह मार लिया है तब से काफी फर्क पड़ा है । जो कुछ सदन में बातें कही गई उनको सुन कर उन्होंने काफी प्रयत्न करने की कोशिश की है और उसी प्रयत्न में यह संशोधन यहां रखा है । जितनी इन्स्टान्सेज दी गई हैं वे सब इस मंत्री के आने के पहले की बातें हैं, जितनी इसके अन्दर सड़ांद पैदा हो रही थी उसके बारे में स्पष्ट कहा जाता है कि प्रयत्न किये हैं, अच्छे प्रयत्न किये हैं; इस जयपुर की गंदगी को कम करने की कोशिश की है । तो जो यह कहा गया कि यह क्या कर दिया, यह क्यों कर दिया, इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह हमें अपील नहीं करता ।

जहां तक ट्रस्ट्स के कॉन्स्टीट्यूशन का सवाल है, यह सवाल पहले सदन में आया है, सदन ने उस पर विचार करके तय किया है, आप दो आ जायं इससे कोई एतराज नहीं हो सकता । क्या बात है वह भी मैं आपके सामने रखूं । हमें एतराज नहीं कि जोधपुर से बरकतुल्ला साहब, कछावा साहब आ जावें। अजमेर से कौल साहब और पोहूमल साहब आ जावें तो क्या बात है ? इसको वर्केबल बनाना है । यह नगरों के सुधार का सवाल है, यह कोई म्युनिसिपल कमेटी नहीं है, बल्कि जो इन ट्रस्ट्स को सब्जेक्ट ट्रान्सफर किया है वह शहरों की तरक्की का प्रश्न है । यह कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं कि इलेक्टेड के लिये इतना जोर दिया जाय ।

मेरा सुझाव है, जहां ट्रस्ट कामयाब हुए हैं, जिन शहरों में बम्बई, कानपुर, बल्कि इन्दौर में इन ट्रस्ट्स के जरिये काम हुआ है, वह एक्ट तो ले आये पर वह किस तरह होना चाहिये इसकी कोई पर्वाह यहां नहीं की गई । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एक्ट हमने पास किया है उसको ठीक तरह से चलाने लगें तो इस कानून में कोई कमी नहीं है, पर जहां रवैया यह था कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर हैं वहां राजाई चलती थी, वहां ट्रस्ट थे या नहीं, ठीक तरह से देखा नहीं,

(श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा)

वैसे ही कानून पास करके ट्रस्ट खड़े कर दिये। इन ट्रस्टों ने मौका परस्ती, घर परस्ती और अपने लिए सब कुछ किया है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह भी सही है कि यहां सब जो कचरा इकट्ठा हुआ आपने सुबूत रखे, मैंने भी कहा था ठीक है। मैं उदाहरण रखना चाहता हूं कि ये कैसे पलते हैं। बताओ या न बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि आप किस प्रकार चलना चाहते हैं। यहां पर तो टैक्निकल लोग होने चाहिये और टैक्निकल लोगों के हाथ में ही यह होना चाहिये। यहां पर इलेक्टेड के हाथ में नहीं, कलेक्टर की जरूरत नहीं, इन्जीनियर टाउन प्लानिंग भी क्वालीफाइड हो। दूसरा यह कि जिसने कहीं पहले इसका काम किया हो उनको ट्रस्ट पर लाकर चेयरमैन बनाना चाहिये, जो इन्डिपेन्डेन्ट हों, जिन पर प्रेशर का कोई असर न हो और जो पोलिटिकल दबाव का सामना कर सकें। इस प्रकार के लोगों की स्वतन्त्र सत्ता कायम करनी चाहिये। उनके मन में यह भावना होनी चाहिये कि हमारी आने वाली पीढ़ी जयपुर को एक अच्छा शहर देखे, जो गन्दगी पैदा कर दी गई है उसको साफ किया जा सके। राजनैतिक लोग किसी पार्टी के हों, जिनकी यहां बीमारी पैदा हो जाती है वे इस चीज में कहां तक फिट होते हैं, एक-आध मिसाल दूं। ये अखबार वाले हैं। उनकी यह मांग थी कि जिस प्रकार दिल्ली के अन्दर हुआ है हमारी एक सोसाइटी को जमीन दे दी जाय। लेकिन उस जमीन पर सरकार की आंख लगी हुई थी, इसलिये उसमें कमी रख कर ३१ आदमियों को पास किया, केबिनेट ने पास किया। २० को तो जमीन अलॉट हुई और १२ को छांट लिया। उनको छांट लेने के बाद पैसा ले लिया। जब जमीन देने की बात आयी तो आप कहते हैं कि झगड़े की जमीन है, राजा की जमीन है। सवाल यह नहीं है, किन्तु सवाल यह है कि जो भी पकड़ा जाय आप उसको सजा नहीं देते हैं। ट्रस्ट जैसी बॉडी को जनता पैसा दे देती है और पैसा ले लेने के बाद यह स्थिति बन जाती है! ३२ आदमियों को पास कर दिया, २० को रख लिया और फिर १२ को छांट लिया! बीस भी कैसे आ गये, उनको एक जगह नहीं मरने देना है···

श्री रामकिशन (वीर) : मरने देना!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am Sorry; 'रहने देना'। एक दिन जाना तो पड़ेगा।

किसी ने यह दिल्लगी की। मैं समझता हूं यह डेलिबरेटली किसी ने की है। इन लोगों को मैं यह संतोष दिला रहा हूं कि आपकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के गरीबों पर ही नहीं होता है, सरकार को चलाने वाले और ट्रस्ट के अन्दर रहने वाले ऐसे लोग भी हैं जिनने अखबारवालों को भी धिस्सा दे दिया। पैसा फंस गया सो अलग। रोज चक्कर काटते हैं उधर। तो अखबारवालों के साथ भी ट्रस्ट के अन्दर यह सब कुछ होता है, जनता का कुछ नहीं। यह एक ऐसी मिसाल है जो पहले मिनिस्टरों के सामने तो ठीक चलती रही। वे मौके की तलाश में थे। वर्तमान मिनिस्टर के सामने पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया। यह डिस्प्यूटेड जमीन राजा की जमीन बन गई। मिसाल इसलिए दी कि अखबारवालों, जिनसे हमारा सम्पर्क रहता है, के साथ न्याय होना चाहिये और इतने दिन चर्चा करते रहे, घोलते घोलते अमृत भी जहर बन जाता है, उनके अन्दर का यह जहर सरकार और माननीय मंत्रीजी को दूर करना चाहिये।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसमें जो अरेन्जमेन्ट डाला है इसको वर्केबल बनाने की बात करनी चाहिये । यह इससे वर्केबल नहीं बनेगा । इसको वर्केबल बनाने के लिये एक पैटर्न है । एक करेक्ट स्टेप उठाया है मंत्रीजी ने चालू करने के लिए । अजमेर के लिए कहता हूं । मैं मिनिस्टर साहब से नहीं कह सकता । एक नया जादू निकला है अजमेर में । उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में है, आप कह नहीं सकते, आपकी मार्फत मैं सरकार को कह देता हूं ।

अजमेर के अन्दर एक 'चक्कर' जगह है जिस जगह को तालियों में पास करके जनता को दे दिया गया । लाख, दो लाख में दे दिया । इस एक्ट के मातहत म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड नहीं कर सकते । अजमेर के अन्दर इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी है सुपरसीड नहीं किया, लाइफ खत्म हो गई । वही चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर उसका और अजमेर के अन्दर कुछ लोगों में जमीनों को लुटाया । मैं कहता हूं कि इस जमीन के लिये हिन्दू-मुसलमानों के झगडे होने की बात आयी, अंग्रेजों के जमाने में कई वक्त, लेकिन उस वक्त म्युनिसिपैलिटी ने किसी को जमीन लेने नहीं दी । पांच लाख की जमीन हो सकती है । लेकिन उसको उस्तादी से किया । आपको प्रेजेन्ट कर दिया, गवर्नर को इन्वीटेशन दे दिया, पत्थर लगा देते । कौन मना करने वाला था, किसने उद्‌घाटन किया, किसको दी जा रही है, किसी संस्था से क्या ताल्लुक ? आर्य समाज के सामने की जमीन की कह रहा हूं, उसको दिया, जनता से नहीं मतलब । आप कहते हैं कि प्रोसीजर के अनुसार करेंगे । अजमेर के अन्दर कौनसा प्रोसीजर बरता गया, उस पर आज भी गौर करना है और आज भी सरकार से कहूंगा कि पूरी तरह से जांच करके यहां सदन को यह बताया जाय ? आज के युग में जनता की प्रौपर्टी को प्राइवेट लोगों को और संस्थाओं को कैसे पकडा सकते हैं ? किसी की सेन्कशन नहीं । लाखों की जमीनों का क्या हुआ ? मैं चक्कर, की जमीन की बात कहता हूं कि कोई संगीत और नाचने वाली संस्थाओं को लुटाया । हमने जमीन बचाई । जनता के चुने हुए लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन "सैंया भये कोतवाल डर क.हे का", इस तरह से उस जमीन को लुटाया गया ।

आपने जो संशोधन रखा है उसका विरोध न करते हुए मैं सरकार से कहूंगा कि इसको वर्केबल बनाया जाय । सरकार की पूरी जिम्मेदारी है ।

जब तक इसका मास्टर प्लॉन न होगा, सारे स्टेटिस्टिक्स को लेकर प्लॉन न होगा तब तक काम नहीं चलाया जा सकता । इनको पहले आप निकाल बाहर करें इनके डेरे-डंडे बाहर डालें पहले । जैसा मौका आता है वैसा काम करते हैं । जिसका मास्टर प्लॉन नहीं वह किस काम का ? मास्टर प्लॉन के आधार पर नोटिस होना चाहिये कि म्युनिसिपैलिटी इस एरिया को इम्प्रूव करना चाहती है, not whole of the City. not पूरा जयपुर; बल्कि एक जगह का एक हिस्सा लीजिये, उसका पूरा प्लॉन बनाइये । इधर की रेगुलेशन को उधर ले जाने के लिए मैं कहता हूं कि चाहे आज गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, लेकिन ८ करोड़ का खर्चा देना पडेगा, आप इसको "No profit, no loss." पर चला सकते हैं। केवल अजमेर और जयपुर जैसे शहरों के लिये ३ करोड, ५ करोड रुपया देना चाहिये । दूसरों का

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पैटर्न देखिये । कानपुर का इम्प्रूवमेन्ट हुआ; कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ वह देखिये । ऐसा नहीं हो कि कागज पास कर दिया और चलता रहेगा । उसके बाद ही आप कामयाब होंगे । चीज के मिनिस्टर इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कुछ लोगों को विश्वास हुआ है और आने वाली सन्तानों के नाम पर अपील करता हूं। ठीक कर देगी और इलेक्टेड एलीमेंट आ जाय तो एतराज नहीं होना चाहिये। इस पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो इन्डिपेन्डेन्ट हो, समझदार और अनुभवी ऑफिशियल हो, दबंग होना चाहिये और ऐसा इन्डिपेन्डेन्ट होना चाहिये कि आपकी भी न माने, मिनिस्टर कह दे तब भी न माने ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटा अमेन्डमेन्ट रखा था उसका मतलब यह था कि ट्रस्ट की जो रूपरेखा रखी है, लाएबिलिटी की जो रूपरेखा है उससे बड़े बड़े डेवलपमेन्ट के कार्य किस हद तक चले सकते हैं। Overhead expenses इतने बढ़ जाते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ही ट्रस्ट बनाये दिये जाय तो छोटे छोटे शहरों में क्या होगा ।

. . . .

उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटी में जहां जमीन का ताल्लुक था, वहां उसको देने का अधिकार था, वही काम छोटे शहरों के अन्दर कलेक्टर को सौंपा गया है as a Chairman । कुछ शहरों में आपने देखा होगा कि जमीन मिलने में बड़ा वक्त लगता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने डिमोक्रेसी के बारे में मुझे लेक्चर दिया । उनका जिस प्रकार का कहना था कि मैंने अपने रिश्तेदारों आदि को लगाने के लिये यह अमेन्डमेन्ट रखा है तो मेरी उनसे निवेदन है कि उसके लिये तो मुझे अमेन्डमेन्ट लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी । मैं तो उसके बिना भी किसी को रख सकता था । मैंने उनको सुना, समझा और उसके अनुसार करने की कोशिश करता हूं । यह अमेन्डमेन्ट लाने का मतलब है छोटे छोटे शहरों में जैसा कि कल ही सीकर के बारे में सवाल उठा था उसी तरह से दूसरे शहरों के लिये भी सवाल उठता है । आखिर यह है क्यों ? शहरों का एक्सपेन्शन हो रहा है और छोटे छोटे शहरों का एक्सपेन्शन हो रहा है । अगर उन सब के लिये बड़ा पैटर्न लगा दिया जाय, छोटे शहरों के लिये भी वही पैटर्न रख दिया जाय जो बड़े शहरों के लिये तो वे सक्सेसफुली गाइडेन्स डिलीवर नहीं कर पायेंगे । इसलिए उनके पैटर्न में और बड़े शहरों के ट्रस्टस पैटर्न के बारे में चेन्जेज करनी पड़ेगी । ज्यादा से ज्यादा छोटे शहरों के लिये चार मेम्बर्स हों ।

दूसरा, राजस्थान में मेरे ज्यादा रिश्तेदार हैं भी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) आप अपने ही ऊपर लेकर यह क्यों चल रहे हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे दोस्त को मैं जानकारी देना चाहता हूं यहां जो रिश्तेदार होंगे उनकी संख्या २५-४० से ज्यादा नहीं होगी । यदि सभी जगह में अपने रिश्तेदारों को रखने की कोशिश करूंगा तो उनकी कमी हो जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : हम हो जायेंगे ।

. . . .

श्री बरकतुल्ला खां : जयपुर के इलेक्टेड रीप्रेजेन्टेटिव्ज के बारे में कहा गया। जिस समय जमीन अलॉट हुई वे मीटिंग में मौजूद थे और इस तरह से सस्ती जमीन ले ली। उसके ऊपर गवर्नमेन्ट की तरफ से ऑलरेडी बोर्ड को रेफरेन्स किया हुआ है कि जिस वक्त उनको जमीन दी गई क्या वे मीटिंग में हाजिर थे, किस तरह से उनको जमीन दी गई, इसके बारे में डेफीनिट इन्फार्मेशन ट्रस्ट से मांगी है। जब तक इन्फोर्मेशन नहीं आ जाती......

श्री भैरोंसिंह : कब मांगी थी?

श्री बरकतुल्ला खां : चार महीने करीब हो गये। पांच-दस दिन इधर-उधर हो सकते हैं। डेफीनिट इनफोर्मेशन मांगी है कि जमीन कैसे दी गई और जमीन की प्राइस क्या थी और उनसे क्या ली गई? जब यह इनफार्मेशन आयेगी तो सरकार उसके बारे में अपना निर्णय देगी। माननीय सदस्य जिन्होंने इस बात का जिक्र किया वे मेरे बहुत पुराने साथी मेम्बर हैं, वे जो कुछ कहते हैं उसको मैं बहुत गौर से सुनता हूं और समझता हूं। उनका कहना है कि ट्रस्ट्स में एम. एल. एज. को रखा जाय। सारा ऑपोजीशन आजायगा इसलिये रखना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है। मैं आपके सामने जोधपुर की मिसाल दूं। वहां के दोनों एम. एल. एज. कांग्रेसी हैं। अजमेर है, कोटा है; वहां पर ऑपोजीशन हो, ऐसी बात नहीं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इलेक्टेड मेम्बर्स इसलिये लेना नहीं चाहते कि उनकी वोइस ज्यादा हो जाय। आप इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का पैटर्न देखिये, जहां एम. एल. एज, मौजूद थे। मैं वहां का मेम्बर था, आनन्दसिंहजी थे लेकिन किसी को नहीं लिया गया....

श्री भैरोंसिंह : लेना चाहिये।

श्री बरकतुल्लाखां : मेलाफाइड इन्टेन्शन की बात मत कहिये। मेम्बर्स को लेना चाहिये, लेकिन नहीं लिया गया। सरकार की कोई बदनीयती नहीं कि इसमें एम. एल. एज. को रख दिया गया तो यह हमारे हाथ से चला जायगा।

श्री भैरोंसिंह : आप मतलब कुछ भी निकालिये। लेकिन यह तो हम मानते हैं कि जोधपुर, बीकानेर में जो बोर्ड है वह इलेक्टेड है।

श्री बरकतुल्लाखां : जो इम्प्रेशन मेरे दिमाग में आया वह क्लीअर कर देना चाहता हूं। ट्रस्ट न तो रिप्रेजेन्टेटिव बोडी है असेम्बली की तरह और न लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की तरह। ट्रस्ट को केवल इसलिये क्रिएट किया गया है कि वह नजूल लैन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करे। वहां आकर बैठते हैं ट्रस्टी ऑफ दी गवर्नमेन्ट, ट्रस्टी ऑफ दी स्टेट की तरह बैठते हैं। अगर एम. एल. ए. को उसमें रखा जाता है तो वे फेयर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ट्रस्ट ने किसी प्रकार गलती की हो उस दिन एम. एल. ए. उपस्थित न हों और कोई गलत कदम उठा लिया जाय....

श्री भैरोंसिंह : जिला परिषद् के मेम्बर रह सकते हैं तो फिर ट्रस्ट के मेम्बर क्यों नहीं रह सकते?

श्री बरकतुल्लाखां : पंचायत समिति में जो एम.एल.एज. लिये जाते हैं वे नोमीनेटेड नहीं होते हैं। अर्बन लोकल बोडीज और रूरल लोकल बोडीज को एक आधार पर जज नहीं कर सकते। शहर के रिप्रेजेन्टेटिव के तौर पर ट्रस्ट में म्युनिसिपैलिटी के दो मेम्बर्स

(श्री बरकतुल्लाखां)

रहते हैं इसलिये अनरिप्रेजेन्टेटिव हो, यह बात नहीं। इसके अन्दर ऐसा प्रावधान है कि म्युनिसिपल बोर्ड जिसको चाहे इलेक्ट करके भेज सकता है, वह ट्रस्ट के अन्दर रहेगा। मैं इस कोशिश में हूं कि राजस्थान के म्युनिसिपैलिटीज के और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में तालमेल हो सके। गवर्नमेन्ट ने इस बारे में फैसला भी ले लिया है कि तीसरी योजना के खत्म होने तक २५ हजार तक की आबादी वाले कस्बों के मास्टर प्लान बन जावेंगे। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं, इस तरह से मास्टर प्लान बन जाने के बाद यह काम सहूलियत से हो जायगा। पहले ऐसा है कि मन्डी टाउन्स को लिया जायगा, डिवीजन के टाउन्स को लिया जायगा, डिस्ट्रिक्ट टाउन्स को लिया जायगा। इस तरह से मास्टर प्लान बनाने की कोशिश में हैं और हमें आशा है कि हम जल्दी से जल्दी इसमें सक्सेसफुल होंगे। मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्यों के अमेन्डमेन्ट्स स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ पर श्री बरकतुल्लाखां ने जो संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Shri Mathuresh Behari : Do you want to withdraw your amendment ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : I don't want to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मथुरेशबिहारी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३, यथा संशोधित विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३, यथा संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

क्लॉज ४

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्लॉज ४ में मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

(a) The existing provision of the clause be numbered as "(1)", and

(b) add the following clause "(2)" to the clause:—

"(2) Add the following proviso to Section 14) of the Principal Act.

"Provided that no salary or allowance shall be paid to a Chairman who draws any sort of salary or allowance from the consolidated fund of the State or from any local body, in any Capacity."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके अन्दर और सरकारी पक्ष की ओर से जो संशोधन आया है उसके अन्दर कोई विशेष अन्तर नहीं है। मैंने जब मूव किया था तो उस समय मेरी धारणा थी कि माननीय महोदय क्लॉज ४ के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे पर उसे स्वीकार नहीं करने की स्थिति में उसका उतना महत्व नहीं रहता जितना स्वीकार करने की स्थिति में रहता। पर फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की सेलेरी का मामला एक ऐसा विवादास्पद मामला है, इस नाते से कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का चेयरमैन या तो सरकारी अधिकारी होता है और सरकारी अधिकारी होता है तो तनख्वाह प्राप्त नहीं कर सकता। सरकार ने जो संशोधन पेश किया है उसके आधार पर भी मैं ऐसा समझता हूं कि उसको सेलेरी नहीं मिल सकती, उसी प्रकार से और कोई व्यक्ति इस प्रकार का चुना जावे उनको तनख्वाह लेने के सम्बन्ध में हम थोड़ा स्पष्ट होकर चलेंगे तो मामला ज्यादा उचित होगा इस एक्ट में। पहले वाले में है "shall receive" अर्थात् लेंगे और इसका मतलब यह है कि वे ले सकते हैं—"may be paid from"; पर मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि डिस्क्रीशन किसका है ? यह उस चेयरमैन का है या सरकार का ? और जहां तक इस एक्ट की सारी धाराओं की मंशा है वहां तक मैं ऐसा समझता हूं कि गवर्नमेन्ट का नहीं, चेयरमैन का है और चेयरमैन का जहां डिस्क्रीशन होता है वहां हमें कुछ कन्डीशन लगानी होगी, लागू करनी पड़ेगी। यदि कन्डीशन लागू नहीं करते तो जिस चेयरमैन के हाथ में डिस्क्रीशन है वह अलाउन्स और सेलेरी के नाम पर, कुछ भी ड्रॉ कर सकता है और यह स्थिति अब तक रही है। मन्त्री महोदय के सामने समस्या है और समस्या है भूतपूर्व अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूतपूर्व चेयरमैन थे उनकी चार वर्ष तक उन्होंने बिल बना कर भेजे हैं। सरकार के सामने आज भी वे पड़े हैं। अभी दिया नहीं। इसलिये नहीं दिया गया कि ले नहीं सकते वे और एक्ट में प्रोविजन है "Shall receive" इसका मतलब है ले सकते हैं या नहीं, पर तनख्वाह देनी पड़ेगी। कानून से ले सकते हैं या नहीं, कानून से उनकी नियुक्ति वैधानिक है या नहीं, इन सब के बाद भी चूंकि इसमें "shall receive" शब्द हैं; इसलिये तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर इसको अमेन्ड करते हैं कि for the words "shall receive" the words "may be paid from" shall be substituted;" जिस आदमी के बारे में कुछ नीति निर्धारित करना चाहते हैं यह सारा डिस्क्रीशन उसके हाथ में देनी चाहिये है। अगर उसकी मर्जी आवे तो ले, नहीं तो नहीं ले। पर तनख्वाह और अलाउन्स का मसला इस तरह का है कि इस मसले पर कोई आदमी अपना डिस्क्रीशन यह एप्लाई कर दे कि मैं तो नहीं लूंगा

(श्री भैरोंसिंह)

तो ऐसा बहुत कम होगा। अधिकांश लेने वाले होंगे जो संविधान की अवहेलना करके भी कुर्सी पर बैठे रहेंगे और अवैधानिक रूप से बिल बिना किये सरकार पर दबाव डालेंगे कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में कितना ही घाटा हो, इससे उनको मतलब नहीं, उसका दिवाला निकल जावे तो भले ही निकल जावे, इसकी उनको परवाह नहीं, पर मैं तो चार साल तक चूंकि मैंने काम किया और चूंकि इसमें लिखा है 'Shall recieve' इसलिये चार साल की मुझे तो सैलेरी दो।

इस सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो मन्त्री, भूतपूर्व मन्त्री इस समय अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनको किसी प्रकार की सैलेरी नहीं मिलेगी और इसलिये वे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहने के नाते भी अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के चेयरमैन हो सकते हैं। यह दलील माननीय मन्त्री महोदय ने तो नहीं दी थी पर भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री ने इस सदन में इस प्रकार का आश्वासन दिया था। पर आज पोजीशन दूसरी है। वह उनका बिल या बिल्स मन्जूर किये जानेवाले हैं, केवल इस आशा से कि 'Shall recieve' का इसमें प्रोविजन है। तो पहले तो यह कहना चाहूंगा कि आपने जो गलती की थी उनकी नियुक्ति की, उसे जयपुर की जनता के मत्थे मढ़ा तो उसका भोग तो जयपुर की जनता भोग ही रही है पर सरकार को भी चार वर्ष की सैलेरी का लौस मिलने वाला है। तो मेरा निवेदन करना है कि आप इसे तो रोकिये, इस लौस को तो अपने मत्थे मत पड़ने दीजिये। आप यह संशोधन लाना चाहते थे तो रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट इसे देते ताकि आपको तो चार वर्ष की इस सैलेरी के लौस से छूट मिलती। लेकिन वह संशोधन तो नहीं लाये, उसमें तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोग बाग भूल जावेंगे तो गुपचुप में उनको पेमेन्ट कर देंगे और कर देने के लिये आप व्यवस्था भी करते हैं। यह भी उनके हित में रखा है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिये जिसके आधार पर "No salary or allowance shall be paid to a Chairman who draws any sort of salary or allowance from the Consolidated Fund of the State or from any local body in any capacity." वह लेगा तो कम से कम वह प्राप्त नहीं कर सकेगा। बाकी के सम्बन्ध में इस डिस्क्रीशन को रेगुलेट करने के सम्बन्ध में नियम बनावें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन मूव किया है। माननीय मन्त्रीजी संशोधन को इसी रूप में स्वीकार कर लेंगे, ऐसा तो नहीं लगता पर इस भावना का समावेश करने के लिये दूसरा संशोधन लाकर पास कराने का प्रयत्न करें तो ठीक होगा, नहीं तो उनके सामने आगे चल कर कठिनाइयां पैदा होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में एक संशोधन का प्रस्ताव मैंने भी प्रस्तुत किया है। [संशोधन इस प्रकार है :

"Between the words "may be paid" and the word "from" sought to be substituted in sub-section (1) of section (14) of the Principal Act insert the words "not exceeding two hundred Rupees"]

मेरे से पूर्व वक्ता ने जो कुछ भी विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किये, मैं उनको न दोहराते हुए, मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप

Page No 94

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सेलेरी देना चाहते हैं तो कितनी देना चाहते हैं ? लाख रुपया, ५०० रुपया या दो हजार रुपया ? कोई फिक्स-अप तो कीजिये । हर ट्रस्ट के लिये फिक्स-अप कर दीजिये । नहीं तो क्या होगा, जिस ट्रस्ट में चेयरमैन जरा ताकतवर हुआ, मेम्बरों को अपने फेवर में कर लिया और प्रोपोजल जैसा उसके मन में आया भेज दिया और फिर सरकार हर ट्रस्ट के लिये अलग अलग फैसला करे । राजस्थान में एक ही प्रकार का काम करने वाले को, ट्रस्ट के चेयरमैन को तनख्वाह अलग अलग रहे, यह उचित नहीं होगा । मैं समझता हूं कि जितनी नगरपालिकाओं का हमने क्लासिफिकेशन किया है उसमें हमने व्यवस्था की है कई प्रकार की; उसी तरह यह भी कर दें कि उनके चेयरमैन को कितनी तनख्वाह मिलेगी । पंचायत समिति और जिला परिषदों के प्रधान और प्रमुखों के लिये हमने वेतन निर्धारित किया है, विधान सभा के सदस्यों और मन्त्रियों के लिये तनख्वाह निर्धारित की है, राज्य सरकार के काम करने वालों के लिये तनख्वाह निर्धारित है, फिर उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता कि चेयरमैन के लिये ही ऐसा क्यों हो कि सरकार ही उसमें निर्णय करे कि किसी भी ट्रस्ट के किसी भी चेयरमैन को चाहे जितनी कम या ज्यादा तनख्वाह वह प्रस्तावित करे उतनी स्वीकार कर दे ? ट्रस्ट के जितने चेयरमैन होंगे, कोई पांच सौ का प्रस्ताव भेजेगा, कोई ढाई हजार का और कोई दो हजार का प्रस्ताव भेजेगा । इसलिये मैंने केवल इतना मात्र संशोधन रखा है कि राज्य सरकार इनके लिये एक सीलिंग मुकर्रर कर दे । इसलिये इतना मात्र मैंने रखा है कि ' Not more than 200' आप पांच सौ का संशोधन रखिये, पर कोई सीलिंग तो रख दीजिये । मैं तो कहूंगा कि आप हजार रखें, पर रखें यह प्रस्ताव सदन के सामने कि इतना सीलिंग लागू कर दिया जावे । आप जितना चाहें उतना कर लें । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अमेन्डमेन्ट का जो प्रस्ताव है वह बहुत रीजनेबल है और अगर मंत्री महोदय को कोई संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार है तो वह स्वीकार कर लें और अगर अधिकार देकर नहीं गये हैं तो नहीं मानें । लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई न कोई सीलिंग तो लगा देनी चाहिये कि मेग्जिमम कितना देने की मंशा है । यह सदन भी जानना चाहेगा कि चेयरमैन को कितनी तनख्वाह देना चाहते हैं–२००), ५००) या १०००) ? यह आपको बताना चाहिए । उसके बिना बताये ऐसा अधिकार आप अपने अधीन रखते हैं तो यह बहुत खराब है । हमें कानून में ही इसका प्रावधान रख देना चाहिये । इसी शुद्ध भावना के साथ मैं छोटा सा प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बताया कि सेक्शन १४ के अन्दर प्रावधान है, 'shall receive' के स्थान पर 'may be paid from' जब किया है इससे ज्यादा पावर्स मैंने ले ली हों, ऐसी बात नहीं है । कोई कहे कि मैंने इससे कोई फायदा उठाया . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): आपको वहम क्यों है ?

श्री बरकतुल्लाखां : वहम मुझे होता जा रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी बीमारी क्यों हुई ?

श्री बरकतुल्लाखां : तुम्हीं इलाज करो इसका ।

इसमें दूसरी बात जो सामने आ रही है वह यह है कि जहां तक इस ट्रस्ट के चलाने का सवाल है कुछ कुछ पैटर्न आ रहे हैं । जैसे नसीराबाद से दोस्त आये हैं उन्होंने बताया कि एक तरीके का पैटर्न होना चाहिए कि वह कोई पुराना आर्चीटेक्ट हो उसको चेयर-मैन बनाया जाये । दूसरा पैटर्न यह भी सामने आया कि किसी आई. ए. एस. आफिसर को बनाया जाये । तीसरा कहा गया कि किसी पब्लिकमैन को बनाया जाये, चौथा यह कि अपनी पसन्द का बनाया जाये । अब इसके अन्दर अगर पैटर्न ले लिया जाये तो मैं समझता हूं कि फाइनली फैसला हो जायेगा कि यह पैटर्न एक्सेप्ट कर लेना चाहिए । अगर हम दो सौ रखें, पांच सौ रखें, हजार रखें कितना भी रखें उसमें कुछ रिजिडिटी आ जाती है । लेकिन कोई यह समझता हो कि कोई गैर-जिम्मेदाराना तरीके से मैं किसी चेयरमैन को हजार रुपये की तनख्वाह पर रख दूं तो आखिर मुझे सदन के सामने आना ही पड़ेगा, कौन बख्शने वाला है ? तो, मैं यह कहता हूं कि 'shall receive' की जगह 'may be paid from' होना चाहिये । जहां तक मेरे दोस्त जयपुर से आने वालों ने कहा कि मेम्बर का जो किस्सा है उसके तो लीगल कॉन्सीक्वेन्सेज होते हैं । गलत हैं या सही हैं, इस जिम्मेदारी से मैं नहीं बच सकता । अगर वह सेलेरी का एन्टाइटल्ड है तो मिलनी चाहिये और अगर कॉन्स्टीट्यूशनली नहीं है तो नहीं मिलनी चाहिए; लेकिन यह कि मैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करके किसी को दे दूं इसलिये मेहरबानी करके मान लो, ऐसी बात नहीं है । चूंकि कॉन्सीक्वेन्सेज जो भी इसके होंगे वह मैं बीयर करने के लिये तैयार हूं । मैं जायज तरीके से इसको फेस करूंगा । मैं इस सेक्शन को अमेन्ड करके किसी प्रकार से फायदा लेना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं है । इसलिये मैं माननीय सदस्य के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : I may be permitted to withdraw my amendments.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि श्री भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखे हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री भैरोंसिंह : I withdraw my amendments.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : As the Hon. Minister has assured that he is going to amend the law on the pattern just suggested by him. I want to withdraw my amendments.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि श्री सतीशचन्द्रजी ने जो संशोधन रखे हैं उन्हें वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I withdraw my amendments.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ४ व ५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ व ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ गये।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज ६ में मैं संशोधन का प्रस्ताव रखता हूं।

[प्रस्ताव इस प्रकार है

Substitute the word "submitted" for the word "framed" appearing in part (9) of new sub-section (3) sought to be inserted in section (33) of the principal Act.]

जिस समय इस विधेयक के संबंध में प्रारम्भ में मैंने संकल्प प्रस्तुत किया था उस समय माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रत्युत्तर दिया उस समय उन्होंने यह कहा कि राजस्थान में कुछ इस प्रकार के ट्रस्ट्स थे जिन्होंने कुछ स्कीम्स इस प्रकार की बनाई जो कि उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की थी। अधिकार के बाहर के क्षेत्रों की स्कीम बनी, यदि राज्य सरकार उस कार्यवाही को तैयार करती तो उसमें काफी विलम्ब होता। उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मंत्री महोदय की मन्शा केवल इतनी है कि जो स्कीम्स उन ट्रस्टों ने बनाई है जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर के इलाके की है, जिसको बनाने का उनको कोई अधिकार नहीं था, उन्हें, तो मैं जायज नहीं समझता, लेकिन यदि सरकार के सामने दिक्कत है और सरकार के सामने जो इस प्रकार की स्कीम प्रस्तुत हुई उनको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए, तो मैंने अपने अमेन्डमेन्ट के द्वारा केवल इतना चाहा है कि स्कीम्स राज्य सरकार के सामने सब्मिट कर दी गयी, ट्रस्ट ने जो स्कीम बनाई वह उन इलाकों की बनाई जो कि उनके नहीं थे, जो राज्य सरकार के सामने पेश कर दी गयी। अब राज्य सरकार द्वारा इन्हीं स्कीम्स को टैक्निकल डिफेक्ट के कारण वापिस लौटा दे, उसमें सरकार को दिक्कत होने वाली है। लेकिन मैंने यह चाहा है कि उन्हीं स्कीम्स के बारे में यह लागू होना चाहिये जो कि राज्य सरकार के सामने सब्मिट कर दी गई है। लेकिन जो स्कीम्स सब्मिट नहीं की गयीं और केवल फ्रेम कर ली गई या उनके पास पड़ी होंगी, महीने भर पहले भी फ्रेम कर ली होंगी तो यह कहां रेस्ट्रिक्शन है कि आज से दो दिन पहले भी जिसने स्कीम फ्रेम कर ली, यह कानून पास करने से पहले आज की तारीख में कोई ट्रस्ट अपने क्षेत्र के बाहर के इलाके की स्कीम बनाकर पेश कर दे तो राज्य सरकार इस कानून की धारा के तहत कहेगी कि स्कीम फ्रेम की गयी है commencement of the Act से पहले है, तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की यह मन्शा कभी नहीं थी, उनकी मन्शा केवल यह थी कि जो स्कीम बना दी गई हैं, जो राज्य सरकार के पास आई हैं, दुबारा उनके बारे में इस टैक्निकल डिफेक्ट के बारे में फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जायेगी, विकास के कार्य स्थगित हो जायेंगे और नगर का विकास रुक जावेगा, इसलिये सरकार को वेलीडेट करने का अधिकार दिया जाना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
चाहिये। मैंने अपने छोटे से संशोधन के द्वारा उन दिक्कतों को मद्दे नजर रखते हुए केवल इतना चाहा है कि पहले स्कीम्स को वेलीडेट करें। आप कानून के तहत इसको मान लें लेकिन केवल उन क्लेम्स को मानें जो कि राज्य सरकार के सामने स्कीम प्रस्तुत कर दी गयी हैं, जो सब्मिट कर दी गयी हैं और जो स्कीम सब्मिट नहीं की गयी हैं, जो स्कीम अभी फ्रेम की जा रही हैं ऐसे 'फ्रेम्ड' शब्द के बारे में मैंने संशोधन चाहा है कि इसके अन्दर जो ये शब्द हैं:

'Notwithstanding anything in section 29 or in any other provision of this chapter'—

(*a*) It shall be lawful for the State Government to sanction any scheme framed by any Trust before the commencement of the Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment) Act, 1962, comprising, in part, any area lying beyond the area for which such Trust was established."

इस दृष्टि से मैंने इसमें जो शब्द रखे हैं वह 'फ्रेम्ड' की जगह 'सब्मिटेड' लिख देने चाहिये। केवल इतना मात्र छोटा सा संशोधन है और मैं समझता हूं कि जैसी कि सरकार की मन्शा है मंत्री महोदय ने प्रारम्भ में ही व्यक्त की थी वही उनकी मन्शा है, उतना सा ही उद्देश्य है और सही माने में उन्होंने सही बात रखी थी, तो मैं समझता हूं कि 'सब्मिट' शब्द को 'फ्रेम्ड' की जगह सब्स्टीट्यूट करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यकीन दिलाता हूं कि आज की तारीख से पिछले १० दिन के बाद की क्या, एक महीने पहले की स्कीम कोई है तो उसको किसी को मैं नहीं लूंगा। I can assure you that much and this may be taken as an assurance.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : In view of the assurance given by the Hon'ble Minister, I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि श्री सतीशचन्द्रजी अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लें।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ६ एवं ७ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ६ एवं ७ विधेयक में जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ८, श्री मथुरेशबिहारी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रिन्ट हुआ है वह गलत है। ८ के अन्दर मेरा संशोधन नहीं है, बल्कि संशोधन क्लॉज ९ में है। मैंने क्लॉज ९ के (३) के बाद में यह जोडने के लिये मूव किया है, और यह क्लॉज ९ से ताल्लुक रखता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ८ में जो मैंने संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है वह इस प्रकार से है कि मैं इसमें एक प्रोवीजो ऐड करना चाहता हूं सेक्शन ७३ में है : "Provided that the provisions of this section shall not apply to cases in which plots have been allotted by the Trust or Government for residential purposes."

श्री बरकतुल्लाखां : इस अमेंडमेंट को मैं एक्सेप्ट करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am very thankful to the Minister for the good conscience that has prevailed upon him in the last.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र ने क्लॉज ८ में पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोडा जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉज ९

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ९, श्री मथुरेशबिहारी ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (वांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ९ में जो एमेंडमेंट सरकार की ओर से आया है वह है उसके सब-क्लॉज (३) में, इसके दो अभिप्राय हैं। क्लॉज ९ के सब-क्लॉज (३) के अधीन एक तो कोई अगर व्यक्ति प्लान के खिलाफ मोडिफिकेशन कर देता है या उसकी सेंक्शन जो है उसकी खिलाफवर्जी करता है उसके लिए दो अधिकार इस अमेंडमेंट में चाहे हैं, एक तो उसकी काम की जो प्रोग्रेस है उसको रोकने का इन्जेक्शन ऑर्डर और दूसरा चाहा है कि उसको जिस तरह मुनासिब समझें उसको रिमूव करके सतह जमीन तक ला सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैन्चेज बिल्कुल खाली हैं । यदि आप उपयुक्त समझें तो हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : He is just in the House.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह बहुत बुरी परम्परा है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इस एमेंडमेंट से मेरा मतलब यह है कि यहां पर वर्ड्स जो हैं वे यह जोड दिये जायं कि इन्जेक्शन जारी करने तक तो अधिकार रहे, लेकिन जो दूसरा अधिकार है कि उसकी सतह जमीन तक मिला कर उस कन्स्ट्रक्शन को ऐसे एन्क्रोचमेंट से रिमूव करें ....

Page No 99

श्री उपाध्यक्ष: I think, this amendment of yours was in clause 8.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ९ का पेज २४ पर है उसके सब-क्लॉज (३) के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष: There does not seem to be any notice from you.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : यह गलत है इसलिए मैंने अर्ज किया था कि ८ में नहीं था, बल्कि मेरा अमेंडमेंट ९ (३) में है: "In section 73A sought to be inserted in the principal Act, substitute the words 'remove or pull down any work or restore the land to its original conditions' by the following words......." Section 9 pertaining to section 73(A).

श्री उपाध्यक्ष : Where there is 73- "Sanction for Sub-division or reconstitution of plots".

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इसका जो (३) है, इसमें यह है "Remove or pull down any work or restore the land to its original condition". इसको रिमूव करके यह भी ऐड करने के लिये एमेंडमेंट दिया है । Section 9 pertains to 74.

श्री भैरोंसिंह: Section 9 Pertains to 74.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: मैंने उसी वक्त आपके सामने तवज्जोह दिलाई थी। यह जो ९ क्लॉज दे रखा है उसके (३) में एमेंडमेंट है । आप देखिये ।

श्री उपाध्यक्ष: यह ८ में है । उस वक्त आपको बोलना चाहिए था ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: मैंने उस वक्त बतलाया था कि ८ में नहीं है, ९(३) में है ।

श्री उपाध्यक्ष: ९ में नहीं है, क्लाज ८ में है । ८ में आपका नहीं आया ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: In section 8, there is an amendment of section 60, Rajasthan Act 35 of 1959. In 9, it is Insertion of new section 73A in Rajasthan Act 35 of 1959.—"After section 73 of the principal Act, the following new section shall be added.

श्री उपाध्यक्ष : क्या in section 73A में "sought to be inserted in the principal Act" है ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: यह उस वक्त बतलाया था। अगर यह मन्शा....

श्री उपाध्यक्ष: I am sorry, it has now been passed.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज १०, श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): [संशोधन इस प्रकार है: Between the words

(श्री भैरोंसिंह)

'shall be' and 'inserted' occurring in the second line of the clause insert the words "and be deemed always to have been"]

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन मूल अधिनियम में करने के संबंध में माननीय मंत्रीजी ने पेश किया है, इस संशोधन का तो मैं स्वागत करता हूं। आज की जिस प्रकार की आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुरूप ही यह संशोधन है। इस संशोधन के द्वारा सरकार ने व्यवस्था की है कि कोई भी:

"every trustee, officer or servant of the trust shall be liable for the misapplication of any money or other property owned by or vested in or placed at the disposal of the Trust, to which he has been a party or for any loss or waste of such money or property which has been caused or facilitated by his misconduct. The chairman, secretary or other officer or person to whom executive powers are conferred by or under this Act shall be liable for such loss, waste or misapplication, if it is a direct consequence of his negelect or has been caused or facilitated by his misconduct."

यह मैं समझता हूं कि इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था का यह शुभारम्भ है। इसमें इम्प्रूवमेंट के ऊपर उसके मेम्बर्स हों, चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे उसके बाकी के कर्मचारी हों, उनके ऊपर इस बात का अवश्य दबाव रहेगा कि यदि हमने कुछ गलतियां कर दीं, जिन गलतियों के कारण अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का किसी प्रकार का घाटा होता है, किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उस घाटे या नुकसान की पूर्ति उन मेम्बर्स या अधिकारियों से की जा सकती है। इस प्रकार का भय कुछ अंशों में ठीक होगा कि जिसके कारण वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकें। सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि ऐसे ट्रस्ट के मेम्बर्स और सरकारी अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार का दबाव रखने की आवश्यकता है। सरकार ने जब इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया कि आवश्यकता है तो मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि यह सिद्धान्त कर लेने की आवश्यकता थी, आवश्यकता है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अब आपका इन्टेन्शन बना है जब कि सन् ५९ में हमने इस प्रकार की मांग की थी सरकार से कि सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि उस संबंध में सरकार की नीति क्या है। हम ऐसा महसूस करके चलते थे कि इस प्रकार के क्लॉज की बहुत आवश्यकता है। इसलिये इसको इस एक्ट के अन्दर सरकार को इन्कॉर्पोरेट करना चाहिए, लेकिन सरकार ने उस समय नहीं किया। सन् १९५९ से १९६२ तक सरकार ने अपने अनुभव के आधार पर, कोई हमारी सरकार को इलहाम नहीं हुआ, न मंत्रीजी व सरकारी अधिकारियों को स्वप्न आया कि इस प्रकार से कानून में व्यवस्था करना है, लेकिन उन्हें अनुभव हुआ पिछले वर्षों में, जिसके आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह देखना पड़ेगा कि अनुभव किन बातों से हुआ तो स्पष्ट मालूम होगा कि अनुभव, जो ट्रस्ट पहले बने हुए थे उनके कारनामों से हुआ, और सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया कि अब तक के ट्रस्टियों के कारण ट्रस्टों में घाटा हुआ है, ट्रस्टों के एसेट्स को कुछ हानि पहुंची है, कुछ आदमियों का

(श्री भैरोंसिंह)

मिसकन्डक्ट रहा है, कुछ आदमियों ने अपने अधिकारों को गलत ढंग से एक्सरसाइज किया है और इस कारण से बोर्ड को हानि हुई है, वह हानि भविष्य में नहीं हो सके उसकी रोकथाम की जाय। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि भविष्य की आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन जिन बातों से आपको अनुभव हुआ उस अनुभव के कारण आप इसको लागू क्यों नहीं करते? मंत्री महोदय यदि उस पर लागू करेंगे तो मैं मंत्री महोदय को विश्वास दिला सकता हूं कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के कारण आपकी तारीफ थोडी बहुत हुई उसमें चार चांद लग जायेंगे। यह सही है कि आपसे कुछ व्यक्ति नाराज हैं, लेकिन नसीराबाद से आने वाले सदस्य जो विरोधी दल के सदस्य नहीं हैं, कांग्रेस एसेम्बली पार्टी के सेक्रेटरी हैं, वे कोई साधारण सदस्य नहीं हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अजमेर में ६ लाख रुपयों की प्रोपर्टी थी, उस ६ लाख रुपयों की प्रोपर्टी को अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने बिना पैसों के या कम पैसों में डिस्पोज ऑफ कर दिया। यदि सरकार को जांच के बाद पता लग जायगा कि उक्त अधिकारी या ट्रस्ट के कारण ६ लाख रुपयों की हानि पहुंचाई गई है, घाटा पहुंचाया है तो आपके पास कौनसा कानून है जिससे आप घाटे की पूर्ति कर सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि जिस अधिकारी ने किया उसको चार्जशीट दे दें, सस्पेन्ड करदें या बर्खास्त करदें, लेकिन यह नहीं हो सकता कि ६ लाख के घाटे की पूर्ति कर दें। यह कोई नयी बात अपने यहां नहीं है। मंत्रीजी डेमोक्रेसी के विद्वान हैं, जानते होंगे। डेमोक्रेसी सबसे अधिक फ्लेरिश करती है अमेरिका में, वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था है। वहां की व्यवस्था को इसमें स्वीकार नहीं किया लेकिन अनुभव से इस स्थिति पर हम इसे स्वीकार करें तो अजमेर में जो ६ लाख का नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसे लागू करना पडेगा। जयपुर में घाटा हुआ है, अनियमित कार्यवाहियां लैंड एक्विजिशन में हुई हैं। उनमें जो नुकसान हुवा है उसकी पूर्ति करनी है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना पडेगा। यहां इसको लागू करके देखिये। मंत्रीजी ने कहा था कि ३ करोड की सहायता देनी पडेगी, मैं कह सकता हूं कि यदि आपने इसको लागू कर दिया तो ३ करोड में से ५० लाख की पूर्ति तो इससे ही हो जायगी। आप डिटेल्स सुनना चाहें तो जमीनों में कितना घोटाला किया है, सुनना चाहें तो आप खुद कहेंगे कि राज्य सरकार यदि इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करती है तो बोर्ड को और सरकार को इससे ५० लाख रुपयों का लाभ होगा।

अब ५० लाख का सवाल आता है, इसलिये सोच कर चलते हैं। हमने भविष्य के लिये कानून बना दिया तो कौनसी बात हुई? आज तक जो गडबडियां हुईं उन पर जरा भी नहीं बोलें। हम यह कहते हैं कि पिछली बातें हुई आपकी जानिब में नहीं, अनुभव में हुईं, आपके पिछले मंत्रीजी थे उनके समय में हुईं। यह व्यवस्था होने पर एक एक मंत्री तीन तीन प्लॉट्स ले लें जबकि जयपुर के हरिजनों को प्लॉट नहीं और हरिजनों की डींग हांकने वालों को तीन तीन प्लॉट मिल जायं, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड से प्राप्त कर लें, जमीन में बोर्ड को घाटा हो जाय, फिर भी आप उनकी मदद कर रहे हैं? आप अपनी पार्टी वालों को कह सकते हैं कि विधान सभा में ऐसी स्थिति आ गई थी;

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिये मैंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करना मंजूर कर लिया ....

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री): ऐसा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है। यदि ऐसी जरूरत होती तो दूसरा अमेन्डमेन्ट मंजूर करने की जरूरत पडती। हमारी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। जहां तक रुपयों का तालुल्क है हम ....

श्री भैरोंसिंह: आप इसको मंजूर कर रहे हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां: जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मंजूर क्यों करेंगे, मंजूर करने से राजस्थान को ५० लाख रुपयों का लाभ हो जाय और लाभ की बात से आप चिडते हैं। ऐसी हालत में मुझे बताना पडेगा कि जयपुर में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसे लागू करने से कैसे ५० लाख रुपयों का लाभ हो सकता है। सवाल अमेन्डमेन्ट का नहीं, ५० लाख रुपयों का सवाल है। अब मैं बताना चाहता हूं कि यू. आई. बी. के गलत डिसीजन के कारण नुकसान हुआ है। लैंड एक्वीजिशन के नोटिस शाया होते हैं तब उनकी पैरवी के लिये वकील मुकर्रर किये जाते हैं, पेशियां चलती हैं। सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले वकीलों को मेहनताना दिया जाता है और उसके बाद जब यू. आई. बी. के दिमाग में आवे तभी इस एक्वीजिशन की कार्यवाही विथ्ड्रॉ कर ली जाती है। क्यों विथ्ड्रॉ कर ली जाती है ? यू. आई. बी. की तरफ से जो वकील पैरवी करते हैं उनको हजारों रुपये मेहनताने के दिये हैं वे क्यों दिये? यू. आई. बी. के बिल्स देखने से पता चल जायगा कि कितने रुपये मेहनताने के दिये गये हैं। गलत डिसीजन नहीं होता तो न तो एक्वीजिशन की कार्यवाही होती, न नोटिस दिये जाते और न केसेज होते, न विथ्ड्रॉ करने की आवश्यकता होती लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही में कितना अमाउन्ट दिया है ? क्या यह वाजिब नहीं है कि कम से कम उन मामलों में जिनमें शुरुआत करके विथ्ड्रॉ किया और गलत खर्चा हो गया उसको वापिस लेने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है ?

जयपुर में प्लॉट्स का एलोटमेन्ट किया, उसके बारे में क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि गलत ढंग से प्लॉट्स एलॉट हुए ? गलत इस बात से कि जिनके पास जयपुर में मकान हैं उन्होंने यह डिक्लेरेशन देकर कि जयपुर में उनके पास मकान नहीं हैं और जिनकी जानकारी अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के मेम्बर्स को है कि इनके प्लोट्स जयपुर में हैं, फिर भी उनको कन्सेशनल रेट से प्लॉट्स मिले हैं जो इन्डस्ट्रियल पर्पजेज के लिये रजिस्टर्ड थे, ऐसे प्लॉट्स मिले हैं जो १०) रु० वर्ग गज की कीमत के थे और १॥) रु० वर्ग गज की कीमत से मिल गये। ऐसे प्लॉट्स १०० से कम में नहीं हैं। उनक अंदाज लगाइये। यदि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करते हैं तो बोर्ड को कह सकते हैं कि तुम्हारे कारण घाटा हुआ इसलिये बोर्ड को पैसा दीजिये।

माननीय मंत्रीजी का ध्यान ऐसे मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं जो आज से तीन वर्ष पहले एम. एल. ए. क्वार्टर्स के पास आलू फैक्ट्री है उसको १ लाख ८० हजार रुपयों में खरीदा गया और उसमें से १ लाख ७५ हजार का पेमेन्ट उसी समय कर दिया गया। उसके लिये बहुत बडे बडे दिमागवालों की कमेटी बनी थी, म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर, यू.-आई. बी. के चेयरमैन और हमारे यहां

(श्री भैरोंसिंह)

भूतपूर्व मंत्री थे, उनकी कमेटी बनाई और उसने उस जमीन की कीमत १ लाख ८० हजार तय की और उसमें से १ लाख ७५ हजार का पेमेन्ट कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पर कब्जा किसका है, यू. आई. बी. का या म्युनिसिपैलिटी का? और १ लाख ७५ हजार रुपये दे दिये। यह शर्म की बात है, कब्जा नहीं और १ लाख ७५ हजार रुपये दे दिये और आज तक डीड रजिस्टर नहीं करवाया है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि १ लाख ७५ हजार रुपयों का व्याज कितना होता है, उसकी भुगतान कौन करेगा? भुगतान उनको करना पडेगा जिन्होंने पेमेन्ट करवाया और डीड रजिस्टर नहीं करवाया। लेकिन आज यह सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें बडे बडे लोग हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जयपुर में वे प्लॉट्स जिनको कॉमर्शियल पर्पजेज के लिये दिया था उनको रेजिडेन्शियल पर्पजेज के लिये कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्शन का अधिकार है यू. आई. बी. और सरकार को, लेकिन कन्वर्शन करने के बजाय पब्लिक ऑक्शन किया होता तो पांच बत्ती के पास वाले उस प्लॉट का कन्वर्शन चार्जेज से २० गुना अधिक पैसा मिलता। लेकिन यह नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछूंगा कि आप रोज सेक्रेटेरियट जाते हैं, देखते होंगे कि बहुत तरक्की आई है, देखते होंगे खाली प्लॉट्स कितने हैं।

आप जयपुर के अन्दर घूमते रहते हैं वहां देखते हैं कि केवल दीवाल लगे हुए कितने प्लॉट हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने खुद मकान बनाने की कार्यवाही नहीं करवाई, इसलिए वह जमीन खाली रही। उस जमीन के खाली रहने पर उस जमीन में खेती होती रही लेकिन खेत का लगान नहीं लिया और न अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही की, इसलिए वह जमीन खाली पडी है और लोग प्लॉट के लिए इधर-उधर तरस रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जैसा आपने स्वीकार किया है, जो यू. आई. बी. के भूतपूर्व चेयरमैन ने स्वीकार किया है कि जयपुर के अन्दर जो प्लॉट दिये गये उनसे समय पर वसूली क्यों नहीं की गई। वह वसूली किसने नहीं की? इस सरकार ने नहीं की या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने नहीं की और नहीं की तो उस रकम का ब्याज कहां गया? आज अगर आप इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करते हैं तो जो रकम वसूल की है, वह रकम ब्याज सहित वसूल होगी। लेकिन ब्याज गया, उसकी चिंता नहीं है, १ लाख ७५ हजार रुपये पर ब्याज गया उसकी चिंता नहीं है। रेजिडेंशियल क्वार्टर बने, उनके कन्वर्शन चार्जेज लेकर कॉमर्शियल पर्पज के लिए कर दिया, लेकिन उसका कोई सवाल नहीं है। गलत ढंग से प्लॉट अलॉट कर दिया, उसका कोई सवाल नहीं है, एक परिवार के लोगों को कई प्लॉट दे दिये गये, उसका कोई सवाल नहीं है। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप मुझसे गारन्टी ले लीजिये, आप इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करके देखें, मैं अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड की लाखों रुपये की सम्पत्ति जमा करवा दूंगा जिसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। इसके लिए किसी भी अधिकारी को अपोइन्ट करने की आवश्यक्ता नहीं है। मैं आपसे शिकायत करता जाऊं कि इस व्यक्ति की गलती के कारण अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड को इतनी हानि हुई है और जब आप उसके कागज पट्टे देख कर सेटिस्फाई हो जायं तो इस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करें। लेकिन आज किसको जाकर कहें?

अगर यह बिल पास कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि आज तक जो हो गया वह

(श्री भैरोंसिंह)

हो गया। वह कानून की गलती से हो गया, रुल्स की गलती हो गई इसलिए हो गया। इसलिए उसके लिए दंड नहीं दिया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा एक, दो महीने के लिए सस्पेन्ड कर दिया जायगा, वह रुल्स की बात है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस बात को स्वीकार किया है, उसे आप स्पष्ट रूप से स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ? आपने स्वीकार इसमें किया है। यह स्वीकार नहीं किया है कि इस क्लॉज के न होने से, जो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड में ईमानदारी से काम होता था नहीं किया जा सका। अगर ईमानदारी से काम होता तो यह सर्टीफिकेट नहीं मिलता। यह सर्टीफिकेट दिया गया है और डेलीबरेटली दिया गया है बेईमानी को रोकने के लिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस बेईमानी को आप प्रोत्साहन न दें, इसको कम करें। अगर आप इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करेंगे तो अजमेर में छः लाख रुपये भूमि की कीमत वसूल कर सकते हैं। बीकानेर के अन्दर जो गडबडी हुई है, उसको रोक सकते हैं और फिर आपको तो सत्ता मिल रही है। अधिकार उठा कर आपको दे रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपसे अधिकार छीन नहीं रहे हैं। आपको अधिकार देकर आपके हाथ ताकतवर बनाना चाहते हैं। आप ईमानदारी से काम कर सकें, इसके लिए हम चाहते हैं कि आपके हाथ मजबूत किये जायं। लेकिन आप कहते हैं कि आपके हाथ कमजोर हैं तो हाथ कमजोर ही रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप ताकतवर हाथों से काम करें, अपने को कमजोर क्यों रखें ? मैं निवेदन करता हूं कि लाखों रुपये के मसले के ऊपर केवल यह समझ कर नहीं बढा जा सकता कि अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करेंगे तो लोग नाराज हो जायेंगे। आप नाराजगी की चिन्ता न करें। अगर नाराजगी की चिन्ता होगी तो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड को घाटा रहेगा और अगर चिन्ता नहीं होगी तो आपको यह रुपया मिल जायगा जिससे जयपुर की सडकें बन जायंगी, जयपुर में जो विकास करना चाहते हैं उसके लिए पैसा मिल जायगा। इसके अलावा जो गलत ढंग से अलॉटमेन्ट होते हैं वे बन्द हो जायेंगे। इसलिए मूल कानून के अन्दर जो आपने संशोधन किये हैं उनका स्वागत करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस अनुभव के कारण यह संशोधन लाये हैं उस अनुभव को प्रीमियम न देकर उसके ऊपर एक्शन लिये जाने की नीति के आधार पर मैं यह संशोधन मूव करता हूं कि इस क्लॉज को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाय। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस समय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब नहीं हैं, वे होते तो जरूर मंजूर करते, क्योंकि उनके सामने आज एक एक नये पैसे की बचत का सवाल है। ऐसी स्थिति में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड उनको पचास लाख की मदद दे सकता है। बदकिस्मती से वे इस समय मौजूद नहीं हैं। अगर वे मौजूद होते तो इसे उछल कर स्वीकार करते और कहते कि यह तो पचास लाख की बात है, मैं तो एक पैसा भी छोडने वाला नहीं हूं। मैं आशा करता हूं कि उनकी अनुपस्थिति का दुरुपयोग स्वायत्त शासन मंत्री नहीं उठायेंगे। आखिर आपको पचास लाख मिल रहे हैं। आप जनता पर आज साढे चार करोड के टैक्स लगा रहे हैं। आपके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है तो पचास लाख रुपया छोड कर क्यों चलते हैं ? मैं समझता हूं कि उनका मूड तो बन रहा है। मूड बन रहा है, पचास लाख की तरफ आखें जा रही हैं और ऐसी स्थिति के अन्दर ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कन्सल्ट कर रहे हैं? विचार-विमर्श कर रहे हैं, सीनियर मेम्बर से।

श्री भैरोंसिंह: वे विचार-विमर्श कर रहे हैं और फिर भी वे किसी निर्णय पर न पहुंच सकें तो जब तक फाइनेन्स मिनिस्टर साहब न आ जायं तब तक के लिये इसको डेफर कर दें और अगर सरकार और कुछ विचार करना चाहती है तो वह भी विचार कर लें; क्योंकि कानून को इतनी जल्दी पास करने से कोई मतलब नहीं निकलता है, इसे कल पास कर लें। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन बड़ा जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो अब तक जो एक्सपीरियन्स किया है उसको धोया जा सकता है और अब तक जो घोटाले हुए हैं वे दूर किये जा सकते हैं। इसके अलावा अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड पर जो इल्जाम लगाये जाते हैं वे भी नहीं लगाये जा सकेंगे। इतना निवेदन करते हुए मैं सदन से निवेदन करते हुए कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय, अपना संशोधन प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज् दस में जो मेरा संशोधन का प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव इस प्रकार से है। इसमें जो शब्द हैं "Servants of the Trust" यह जो हैड लाइन में लिखा है, इसके लिए मैंने इसमें यह संशोधन का प्रस्ताव रखा है, 'लाएबिलिटी', शब्द की जगह 'पनिशमेंट' शब्द सब्स्टीट्यूट कर दिया जाय। आगे जहां पर है

"Every Trustee, officer or servant of the Trust shall be liable for misapplication of any money or other property owned by or vested in or placed at the disposal of the Trust to which he has been a party or for any loss or waste of such money or property which has been caused or facilitated by his misconduct. The chairman, secretary or other officer or person to whom executive powers are conferred by or under this Act shall be liable for such loss, waste or misapplication, if it is a direct consequence of his neglect or has been caused or facilitated by his misconduct."

इस सेन्टेन्स में वर्ड 'लाएबल' आया है, इसकी जगह वर्ड यूज जो किया जाय वह 'पनिशेबल' होना चाहिये। वैसे तो माननीय मंत्री महोदय की जो मन्शा है, वही इस सम्बन्ध में मेरी मन्शा है, लेकिन मैंने थोड़े सख्त शब्द का प्रयोग किया है, जब कि आगे धारा ११ इसको कॉग्निजेबल ऑफेन्स इस प्रकार का माना है कि जिस ऑफेन्स के सिलसिले में 'पनिशमेंट' शब्द का उपयोग करें तो मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह जो ऑब्जेक्शन है, यह ऑब्जेक्शन साधारण सा है और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। यह केवल शब्दों का संशोधन है। मेरे शब्द ज्यादा सख्त हैं और उनके शब्द ज्यादा हल्के हैं। कानून सख्त बने, इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन का प्रस्ताव उनको स्वीकार कर लेना चहिए।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सैक्शन इनकोर्पोरेट किया गया है इसका मतलब यह है, जैसे इन्टरप्रिटेशन किया गया-किसी व्यक्ति की किसी हरकत से ट्रस्ट को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए डाइरेक्टली वह जिम्मेदार है। दूसरा सवाल जो बार बार आया और जिस पर बहुत जोर दिया है वह है कि इसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों नहीं दिया

(श्री बरकतुल्लाखां)
जाय ? यह सवाल आया और इसके अन्दर वह सारी बातचीत आई, जिसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि पचास लाख की इन्कम होगी, पांच लाख की आमदनी होगी या पांच हजार की आमदनी होगी। सवाल यह है कि आज जो पनिशमेंट का क्लॉज लगाना चाहते हैं, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहे लीगली जायज हो, लेकिन मोरेल्ली नहीं लगा सकते हैं······ ।

श्री भैरोंसिह : इसमें मोरल की बात मत करें।

श्री बरकतुल्लाखां : इसमें पनिशमेंट का सवाल है। सवाल यह है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने ट्रस्ट का रुपया गायब किया तो उसका मामला एन्टीकरप्शन में जाना चाहिए, उसने कुछ किया है तो मुकदमा बनना चाहिए। यह एक चीज हुई।

दूसरी चीज है, कोई एक्शन लेता है, डिसीजन लेता है जिसके अन्दर उसकी बोनाफाइडी कल तक साफ है, उसको पनिशमेंट नहीं है उसके ऊपर आज सजा का संक्शन लगाना और यह कहना कि कल तक यह समझ रहे थे कि सजा नहीं है लेकिन आज सजा दी जायगी और वह इसलिये दी जावेगी कि हमने यह फैसला किया है, मैं समझता हूं यह नामुनासिब होगा । जहां तक दूसरे एमेन्डमेंट का ताल्लुक है इसमें सिर्फ यह है कि हम सिविल एक्शन बनाना चाहते हैं और वे क्रिमिनल एक्शन बनाना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि यदि हम सिविल एक्शन तक ही सीमित रहें तो ठीक होगा और मैं यह समझता हूं कि वहां ऐसी हालत पैदा नहीं होगी जिससे क्रिमिनल एक्शन लेने की नौबत आए। मैं समझता हूं कि जो लोग ऐसी हरकत करेंगे उनके खिलाफ सिविल एक्शन लिया जावेगा और सिविल तरीके से लाएबल होंगे और अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी चेन्ज कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत पैदा नहीं होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : कलॉज १० में मैंने जो संशोधन पेश किया है उसके लिये यह कहा है कि सिविल एक्शन की उनकी मंशा है, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि कौनसी सिविल कोर्ट में दावा करेंगे। आपने क्लॉज ११ में जो व्यवस्था की है और धारा ९५ (ए) जोड़ने का किया है उसकी तहत ही तो लाइ (lie) करेंगे। आपने उसमें यह लिखा है: No court, inferior to that of a Magistrate of First Class, shall try any offence against this Act".

उसकी तहत ही ट्राई करेंगे।

श्री बरकतुल्लाखां : आपका पोइन्ट इससे हल हो जाता है, फिर रह क्या गया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपने यह कहा कि सिविल एक्शन तक ही सीमित रहेंगे··

श्री बरकतुल्लाखां : अच्छा आपका एमेन्डमेंट एक्सेप्ट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री भैरोंसिह को संबोधित करते हुए) : Would you like to withdraw ?

श्री भैरोंसिह : I want to press it.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा था वह फाइनेन्स मिनिस्टर से संबन्धित है उनका उत्तर·····

श्री उपाध्यक्ष : It is not so. It is just a reference.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने क्लॉज़ १० में रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

सर्वश्री भैरोंसिंह व सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : Shall I again put it vote ?

मैं एक बार और पुट करता हूं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने क्लॉज १० में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(पुन: मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह: 'हां' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पहले आपने जो व्यवस्था दी थी वह यह है कि हमें गिन लिया जाय। मैंने गिन लिया है; १६ हम हैं और वे १४ ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Do you want Division?

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : I again put the question to vote.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिह ने क्लॉज १० में रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : Now it is very apparent that there are so many people....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस संबंध से बोले हैं और ऐसा लगता है कि जिस समय डिविजन होगा वे हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा कल बजट का मामला आवेगा। किसानों पर टैक्स बढने वाला है। ५० लाख रुपये का नुकसान किस तरह से कराते हैं, यह सब रेकार्ड पर आ जावे।

श्री उपाध्यक्ष: इस संबंध में रूल है . .

श्री भैरोंसिंह: मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस रूल का उपयोग न करें। यह ५० लाख का प्रश्न है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। तीन मिनट में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, तो मैं एक बार और संशोधन वोट के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिह ने क्लाज १० में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिह: 'हां' पक्ष जीता।

एक माननीय सदस्य: 'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : इनकी सभी बातें मानी जाती हैं। हमारी भी इस माने में बात मानी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वोट देने को नहीं जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : टैक्स के मामले में कइयों ने इस्तीफे दे दिये हैं तो ऐसी हालत में वोट देने, डिविजन होगा तो अवश्य आवेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : तो मुझे 'ना' पक्ष वालों को निवेदन करना होगा कि वे खडे हो जावें।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष वाले ही होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी मांग को स्वीकार करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं गलती कर गया इसके लिये क्षमा चाहता हूं। पहले 'ना' पक्ष वाले ही खड़े होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी मांग के आधार पर·····

श्री भैरोंसिंह : मेरी मांग गलत है इसलिये मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो 'हां' के पक्ष में हों वे खडे हो जावें।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार से इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : जो 'ना' पक्ष में हों वे खडे हो जावें।

तो यह स्पष्ट हुआ कि 'ना' पक्ष जीता।

संशोधन जो श्री भैरोंसिंह ने रखा वह गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने क्लॉज १० में रखा है उसे स्वीकार किया जावे। जो पक्ष में हों वे हां कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्वीकार कर लिया, फिर भी 'ना' कहा; इनको यह भी पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: I again put the question to vo'e.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने क्लॉज १० में रखा है उसे पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज १०, यथा संशोधित विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज, १०, यथा संशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ११

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ११ में जो मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है वह भी एक प्रकार से कॉन्सीक्वेन्शियल है। मन्त्री महोदय ध्यान रखें कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा है। एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ दी फर्स्ट क्लास की जगह रखा है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि "No Court other than that of an Additional Munsif Magistrate

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

shall try any offence against this Act. और इसीलिये में मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रोम एग्जीक्यूटिव हुआ है, यह विधेयक उससे पहले का था इसलिये इसमें मजिस्ट्रेट ऑफ दी फर्स्ट क्लास रखा हुआ है। इस दृष्टि से यह संशोधन का प्रस्ताव रखा है, वह इस प्रकार से है:

"Replace the words 'inferior to' by the words 'other than' and (*ii*) Replace the words (Magistrate of the 1st Class) by the wor 'Additional Munsif Magistrate'. मैं समझता हूं कि इन नई परिस्थितियों में जो एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहलाते हैं इसलिये उनके पास ट्रायल रहनी चाहिये, एग्जीक्यूटिव के मजिस्ट्रेट को नहीं देना चाहिये, जुडिशियरी के मजिस्ट्रेट को देना चाहिये। जयपुर में मजिस्ट्रेट ऑफ दी फर्स्ट क्लास कहीं नहीं होंगे जहां कि सेपरेशन हो गया है। सरकार की भी यही मंशा है। खास कर ट्रस्ट्स के केसेज़ में जो ट्रायल हो वह मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां होनी चाहिये। जहां सेपरेशन नहीं हुआ है वहां मजिस्ट्रेट ऑफ दी फर्स्ट क्लास है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वहां यह व्यवस्था लागू होनी चाहिये। ट्रस्ट्स के हाथ में बड़ा भारी काम है, प्लॉट्स के अलाटमेंट का, बडे सीनियर लोगों के खिलाफ ट्रायल का अधिकार मुंसिफ मजिस्ट्रेट को ही देना चाहिये, मजिस्ट्रेट ऑफ दी फर्स्ट क्लास को, एग्जीक्यूटिव के मजिस्ट्रेट को नहीं देना चाहिये। यह एक कानून का नुक्ता है, इस सम्बन्ध में शायद वे विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, इस माने में मुझे एतराज नहीं है।

पहला है : "Replace the words 'inferior to' by the words 'other than' यह तो मैं एग्री करता हूं। जहां तक एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट का सवाल है, सब जगह सेपरेशन नहीं हुआ है····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जहां ट्रस्ट है वहां तो हो गया है।

श्री बरकतुल्लाखां : नये होने जा रहे हैं, जैसे अलवर में वहां नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड के ट्रस्ट के मेम्बर तो बहुत सीनियर होंगे। उनके फैसले के खिलाफ ट्रायल का अधिकार मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिये।

श्री बरकतुल्लाखां : पहला अमेंडमेंट एक्सेप्ट करता हूं, दूसरा मैं एक्सेप्ट नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने क्लॉज़ ११ में भाग 'ए' के रूप में जो यह संशोधन रखा है कि

Replace the words "inferior to" by the words "other than"

उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने क्लॉज़ ११ में दूसरा संशोधन रखा है

(विराम)

प्रश्न यह है कि नं० २ संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जो रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११, यथा-संशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १२

श्री बरकतुल्लाखाँ ।

श्री बरकतुल्लाखां : (स्वायत्त शासन मंत्री) यह तो रिपील का अमेंडमेंट है । [संशोधन इस प्रकार है :

20. After clause 11, insert the following new clause, namely —

"12. Repeal and saving—The Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment) Ordinance, 1962 (Rajasthan Ordinance 5 of 1962) is hereby repealed".

(2) Notwithstanding such repeal all rules made and all actions taken or anything done under the Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment) Ordinance, 1962 (Rajasthan Ordinance 5 of 1962), shall be deemed to have been made, taken or done under this Act as if this Act had commenced on the 17th December, 1962.]

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) क्या रिपील ?

श्री बरकतुल्ला खां : It is a repeal of the Amendment Act.

श्री भैरोंसिंह: (किशनपोल, जयपुर) रिपील किसको कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कारण तो बता दें ?

श्री बरकतुल्लाखां: कारण तो पहले ही बता दिये थे जब कि इसे रखा ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फार्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल आदि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज १, इनेक्टमेंट फार्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल आदि स्वीकारे किये जायं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि इस बिल को पारित किया जाय एक छोटी सी भूल हो गई है, कमी रह गई है उसको ठीक कर लिया जाय । उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा । माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने सेक्शन ९३ (ए)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
के सम्बन्ध में तरमीम प्रस्तुत की थी, 'लाएबिलिटी' शब्द के बजाय 'पनिशमेंट' और 'लाएबल' के बजाय 'पनिशेबल' शब्द करने की तरमीम दी थी और यह दलील दी थी कि 'लाएबल' और 'लाएबिलिटी' के बजाय 'पनिशमेंट' और 'पनिशेबल' काफी स्ट्रोंग हैं इसलिये इनको इस्तेमाल किया जाय। मन्त्री महोदय ने कहा था कि सिविल लाएबिलिटी है इसलिये इस्तेमाल किया गया। इसकी दलील में ९५ (ए) बताते हुए श्री सतीशचन्द्र जी ने दलील दी:

"No court inferior to that of a Magistrate of First Class shall try any offence againt this Act."

यह दलील देते हुए उन्होंने यह बात बताने की कोशिश की कि जब कॉग्निजेन्स फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेगा तो फिर सिविल लाएबिलिटी का कौनसा सवाल है। इस दलील को मानते हुए तरमीम स्वीकार की थी। पर इस सारे बिल को देखते हैं तो सेक्शन ९५ (ए) में जो तरमीम की गई है, क्लॉज़ ११, में तो दूसरे क्लाजेज में जो बातें रखी हैं:

"punishable with fine of Rs. 50/- or more"

यह दे रखा है, इनके कॉग्निजेंस के लिये यह ९५ (ए) है क्लॉज १२ के अन्तर्गत, न कि ९३ (ए) के लिये है। ९३ एक इन्डिपेन्डेन्ट क्लॉज़ है जो सिविल लाएबिलिटी की ओर इशारा करती है, इसका किसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कॉग्निजेंस लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

माननीय सदस्य की तरमीम स्वीकर की गई थी पर माननीय सदस्य ने जो रिप्रेजेन्ट किया था यह वाकियात के खिलाफ है इसलिये गवर्नमेन्ट की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे शुद्ध कर लिया जाय। 'पनिशमेन्ट और 'पनिशेबल' न रख कर 'लाएबिलिटी' और 'लाएबिल' ही रखा जाय। जो भाषा मूल रूप में है वही रखी जाय।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): वह तो कुछ नहीं हो सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): It is not a clerical mistake.

वह तो नहीं हो सकता है। It is not a clerical mistake. It can not be done.

श्री रामप्रसाद लड्ढा: और इसके साथ इसको रखना रिडन्डेन्ट इसलिये भी रह जाता है कि 'लाएबलिटी' के बजाय 'पनिशमेन्ट' कर दिया तो सब जगह इस एक्ट में पनिशमेन्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: On a point of Order, Sir,............

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इस बिल में यदि पनिशमेन्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कोरम प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं थी। जो कोरम प्रोवाइड किया गया उनके लिए प्रोवाइड किया गया जो पनिशेबल आलरेडी रखे गये हैं। इस 'लाएबल' के लिये 'पनिशेबल' नहीं रखा है। इसको रख देने से उसका मीनिंग बेकार हो जाता है, जब तक पनिशमेन्ट प्रोवाइड न हो। इसलिये In conformity of all the clauses, इसको कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मोशन यह है······

श्री भैरोंसिंह: (किशनपोल,जयपुर) On a point of order, Sir मोशन का सवाल ही नहीं आता है। क्लॉज़ जो पास कर दिया है या तो उसके ऊपर लिखित अमेन्डमेन्ट हो जब कि उस प्रकार का नहीं है·····

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ओरल अमेन्डमेन्ट भी किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह: नहीं किया जा सकता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: विथ दी परमिशन किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : चेयर से निवेदन कर रहा हूं कि रूल्स के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है कि किसी क्लॉज़ का कोई अमेन्डमेन्ट करना है तो उस अमेन्डमेन्ट के लिए नोटिस दिया जाय। माननीय मंत्री महोदय ने अभी ओरल अमेन्डमेन्ट मूव किया है और उस क्लॉज के विषय में किया है जिसको इस हाउस ने स्वीकार किया है। पहले तो यह गलत प्रोसीजर होगा कि हाउस जो डिसीज़न ले ले उसको फिर बदला जाय और उसके साथ साथ रूल्स का वायोलेशन हो। कोई अमेन्डमेन्ट पास किया जाता है तो यह मेटीरियल बात है, इस चीज को हाउस ने स्वीकार किया है और मेटीरियल नहीं होता तो पूरा का पूरा हाउस उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी इम्पोर्टेन्स को यह कह कर अवोइड करना चाहते हैं तो रूल्स का वायोलेशन होगा। अमेन्डमेन्ट मंत्री महोदय करना चाहते हैं, अमेन्डिंग बिल लाना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो लिखित रूप में रखें ताकि हम विचार कर सकें कि यह कितना कॉन्सिक्वेन्शियल है और कितना अगेन्स्ट जाता है। इन दोनों बातों को रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि उनकी मंशा इन रूल्स के अन्तर्गत नहीं आ सकती और धारा पास कर ली, अमेन्डमेन्ट नहीं कर सकते हैं इसलिये उनकी जो यह मंशा है वह स्वीकार न की जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I draw your attention to rules 71 and 72. Rule 71 lays down:

"Notice of amendments.—(1) If notice of an amendment to a clause or schedule of the Bill has not been given one day before the day on which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved.

72. Conditions of admissibility of amendments.

एक बात है। दूसरी बात यह है, आप यह कहते हैं, ओरल भी किया जा सकता है तो जैसा मंत्री महोदय कहते हैं इसमें ये कन्डीशन्स हैं।

"The following conditions shall govern the admissiblility of amendments to clauses or schedule of a Bill:—

First I do not mind.

(*ii*) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

So with relation to section 93 A as it appears in clause 10 of the Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment) Bill, 1962 the House has taken a decision. It has accepted my amendment with regard to this particular clause that the liability, which is to be imposed on members of the Trust will be a criminal liability and not civil liability. The House has given a decision. The amendment has been accepted. The clause, as amended, has been passed by this House. A decision has been taken. No oral amendment, as sought to be moved by the Deputy Minister on behalf of the Minister under any provisions of the Rules of the Procedure, can now be permitted unless the hon. Minister may move for deferring consideration to seek permission for amendments tomorrow or bring a separate amending Bill. It is not a clerical mistake. The House considered, debated and passed the clause. His amendment cannot be accepted particularly when he says something which is inconsistent to section 95. I may have my own opinion that the provisions are inconsistent, the Chairman of the Trust or servants of the Trust are criminally liable and the prosecutions can be held under section 95. It is a matter of opinion, which requires serious discussion by the hon. Members of the House and it cannot be so lightly permitted by the hon. Chair that this amendment may be accepted and anything can be done, whatever comes to the will of Deputy Minister, sometimes after passing or before passing.

I would respectfully submit that rule 72 does not give any discretion to the Chair. It clearly bars that no decision can be changed or any amendment can be moved, which is inconsistent with the decision of the House on the same question and the amendment sought to be moved by the Deputy Revenue Minister is inconsistent with the decision of the House taken on section 93A mentioned in clause 10 and so it should be ruled out and we may proceed with the Bill.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री. राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्कान्सिस्टेन्ट है, इसलिये इस पर विचार नहीं किया जा सकता, यह आपने बताया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थर्ड रीडिंग पर भी किसी चीज के नतीजे जो मिस-रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर लिये गये हों उनको रीकन्सीडर किया जा सकता है । May I request that this amendment is only for the reconsideration of the decision already taken and the argument advanced by the Hon'ble Member does not stand good, because section 95A is not meant for section 93A. A punishment under section 93A can be given under clause 12.

Page No 114

(श्री रामप्रसा लड्ढ़ा)

If you read this provision, nowhere it provides any punishment. It means, no punishment is provided in the section for the actions under section 93A and, therefore, how can it be said that they will be punished. Section 95 stands only for those provisions under which punishment has already been given. How to remove the inconsistency, how to remove the lacuna which may be left in the legislation we are going to pass.

I still request the Deputy Speaker to permit this.

श्री उपाध्यक्ष : अभी सदन के सामने सरकारी बैन्चेज की तरफ से क्लाज १० में पुर्नविचार करके एक संशोधन लाया गया जिससे पहले जो संशोधन स्वीकार किया गया उसको नलीफाई करने की मंशा रही। उसके दौरान में माननीय श्री भैरोंसिहजी ने और माननीय श्री अग्रवालजी ने यह दलील पेश की और रूल ७१ और ७२ को कोट किया और उनके रिलेवेन्ट पोर्शन को उद्धृत करके बताया। लेकिन रूल ७१ जहां तक कि उसमें नोटिस दिया जाता है······

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : टाइम बढ़ा दीजिये। समय हो गया है।

श्री भैरोंसिह : It has not been passed by the House.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the sense of the House that the time be extended ?

(स्वीकृत)

The time is extended for ten minutes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कल विचार कर लीजिये।

We shall discuss this question. It is still controversial not only on technical grounds, but......

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : The chair wants it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: If you pass the Bill within half an hour, we shall discuss it just now. We should do calmly and quietly and not in a hurry. You convince me that section 93 is not covered by section 95A. If I am convinced....

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : The thing has been discussed. It is only the ruling that is required.

श्री भैरोंसिह: रूलिंग के बाद भी संशोधन पास करेंगे, बहस होगी।

श्री उपाध्यक्ष: Order please! उसके बाद भी बहस हो सकती है।

लेकिन रूल ७१ का जहां तक प्रश्न आता है स्पीकर को यह अधिकार है कि वे किसी भी अमेन्डमेन्ट को अलाऊ कर दें। ७२ में यह बताया गया है :

"(*ii*) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question."

यद्यपि इसका बड़ा भारी महत्व है और मैं समझता हूं कि भविष्य में इस प्रकार से एक बार कोई क्लाज पास हो जाय तो उसका

(श्री उपाध्यक्ष)
पुर्नविचार करके किसी भी पक्ष से वह फिर से खोला नहीं जाना चाहिये;

(५ म. प.)

तथापि इस हाउस में इस प्रकार की रूलिंग मौजूद है कि जो इस बात की छूट देता है कि वाकई कोई दिक्कत आ जाय सैकन्ड रीडिंग के दौरान में कोई अमेन्डमेन्ट फिर से करना हो तो वह किया जा सकता है। उसके लिये मैं पहले जो इस विषय में निर्णय दिया गया है उसको उद्धृत करता हूं :

"११ अप्रेल, १९५८ को श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा ने एक औचित्य प्रश्न उठाया कि राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७ का खंड ३ उप-खंड (७) 'सिटी की परिभाषा' सदन द्वारा पहिले से ही स्वीकार किया जा चुका है और अब उक्त खंड में कौन्सिल की परिभाषा में संशोधन चाहने से 'सिटी' की परिभाषा निरर्थक हो जाती है। अत: इसको ठीक करने का एक मात्र विकल्प यही है कि विधेयक प्रभारी मंत्री द्वारा वापस लिया जाकर उसे संशोधनों सहित पुन: पुर:स्थापित किया जाय। इस पर दिनांक १८ अप्रेल, १९५८ को श्री उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :

"The Rajasthan Municipalities Bill, 1957 is in the stage of second reading and in case any inconsistency or discrepancy is noticed by the House at this stage, I am of the view that it can be rectified and set right at this stage. There are examples when such corrections or changes have been made by the House in the past etc. etc........"

तो अगर सरकारी पक्ष द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि पहले जो संशोधन स्वीकार किया गया है माननीय अग्रवालजी का वह बहुत उचित ढंग से नहीं जमता है मूल एक्ट के संदर्भ में तो उसको अब उसी हिसाब से स्वीकार करना पडेगा। उसको तरतीबवार लेने के लिये सरकारी बैन्चेज़ की ओर से जो संशोधन लाया गया है उसको बहस में लाना आवश्यक है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

श्री बरकतुल्लाखां : उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): What is that amendment, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष: Amendment is coming.

श्री भैरोंसिंह : Amendment had not been moved.

श्री उपाध्यक्ष : Clause 10 is reopened for discussion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार, जयपुर): अमेन्डमेन्ट के रूप में लाइये कि आप कौनसा शब्द डिलीट करना चाहते हैं।

(उद-मंत्री, राजस्व)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : वे ही शब्द "लाएबेल" के स्थान पर जो 'पनिशेबल' किया है और 'लाएबेलिटी' के स्थान पर 'पनिशमेन्ट' किया गया है। पहले था वैसा ही रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि 'लाइबेलिटी' के स्थान पर 'पनिशमेन्ट' किया गया है वहां 'लाइबेलिटी' रहना चाहिये, जैसा कि पहले था और 'पनिशमेन्ट' के स्थान पर 'लाएबेल' रखा जाय; यह मन्त्री महोदय चाहते हैं।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : Original wording should be restored.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १०, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १० संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल, टाइटल आदि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अर्बन इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२, जैसा कि संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बजार, जयपुर) : On a point of order, Sir, I draw your attention to rule 85(2):

"Passing of Bill.—Where a bill has undergone amendment, the motion that the Bill, as amended, be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

I would seek protection of the Chair that this particular concession or this particular discretion given to the Chair never means that it should always be exercised in favour of the Treasury Benches. I would seek indulgence of the Chair that the Treasury Benches should not be permitted that the Bill should be passed today, as this bill has undergone some amendments. I submit that this discretion should not be exercised in their favour and the passing of the Bill be deferred for tomorrow. I assure the members on the Treasury Benches that it would not take more than half an hour to pass this Bill tomorrow and I will co-operate and see that the whole Bill is passed tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपना डिस्क्रिशन यूज़ करने के लिये बाध्य हूं क्योंकि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने इस प्रकार का मन्तव्य दे दिया है कि यह बिल आज ही पास हो जाना चाहिये; नहीं तो आगे सारा काम डिस्टर्ब होता है। इसलिये इसको आज ही पास किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : स्पीकर महोदय से निवेदन कर दिया गया है और उन्होंने यह कहा है कि दो दिन में यह विधायी कार्य समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : That is not with me.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : I venture to move that this is riding roughshod over the sentiments of minority. Purely on democratic consideration it makes a very bad convention. The ruling of the Chair, of course, will be accepted without demur by the House, but the issue raised by the hon. member from Jaipur is very valuable and I think the minority, sentiment deserve respect.

श्री उपाध्यक्ष : चूंकि बड़े रीडिंग पर बहस हो सकती है, इसको मद्देनजर रखते हुए आज यह बिल पास नहीं हो सकेगा इसलिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म॰ प॰ ५.१० बजे, कल, दिनांक ५ मार्च, १९६३ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, ४ मार्च, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक स्कम्भ

बकाया रकमों की वसूली, जिला भीलवाड़ा

ग्राम थोई, जिला सीकर की स्कूल में वाणिज्य कक्षायें

सीकर जिले से पशुपालन विभाग का स्थानान्तरण

पंचायत समितियों के अध्यापकों से समाज-शिक्षा का कार्य

ट्रैक्टर्स तथा पम्पिंग सेट्स के लिये कृषि विभाग द्वारा दिये गये ऋण

मादरा में हायर सैकन्डरी स्कूल

सम्वत् २०१६ का लम्बरदारी भत्ता, तहसील बाड़मेर

ईंटों की बिक्री की दर

चम्बल क्षेत्र की भूमि की नीलामी

गोगामेडी की पूजा का हकदार

एस. डी. ओ. कार्यालय बल्लभ-नगर के विचाराधीन मामले

डूंगर कालेज, बीकानेर

अनाज के मूल्यों पर नियंत्रण

हाई स्कूल, निम्बाहेड़ा

तहसील लूणकरणसर में सर्वे एवं सैटलमेन्ट

शिक्षा निरीक्षक, अलवर की सिफारिशों पर निर्णय

गांव रावला के खातेदार एवं खुद-काश्त होल्डर

जयपुर में स्टेडियम

भूमि आवंटन, तहसील-नीम-का थाना

स्कम्भ

हायर सेकन्डरी तथा माध्यमिक शालाओं की मांग, कुशलगढ़

बीकानेर शहर में हाउस लोन के लिये दी गई रकम

काश्त शुदा कब्जेवाले काश्तकारों को पट्टे

ग्राम कटकड में मिडिल स्कूल

बिना इजाजत किये गये कब्जे, तहसील भीनमाल

पशु मेला, पंचायत गोडावास, तहसील नीम-का-थाना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा ९१ के तहत मुकदमात, तहसील सांचोर

ग्राम मऊ इब्राहिमपुर में हायर सेकन्डरी स्कूल

फलों की खेती, रानीवाड़ा

मनादर जागीर का रिजम्प्शन

२. राज्यपाल महोदय का सन्देश

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित सन्देश पढ़ा गया :—

"दिनांक २५ फरवरी, १९६३ को विधान सभा में दिये गये मेरे अभिभाषण पर सदन के सदस्यों ने जो आभार प्रदर्शित किया उसको प्राप्त करके मुझे अत्यन्त सन्तोष हुआ है ।"

३. विधाई कार्य-विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२

स्तम्भ

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने निम्नांकित परिनियता (statutory) संकल्प प्रस्तुत किया :—

"This House disapproves the Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment) Ordinance, 1962 (Ordinance No. 5 of 1962) promulgated on 13-12-1962."

तत्पश्चात् श्री बरकतुल्ला-खां, स्वायत्त शासन मन्त्री ने विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव रखा । श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इन प्रस्तावों पर की गई संयुक्त बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री विजयसिंह झाला

(२) श्री हरिप्रसाद शर्मा (६३)

(३) श्री रामकिशन

प्रभारी मन्त्री के उत्तर के पश्चात्, श्री सतीशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत संकल्प तथा श्री भैरोंसिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किये गये। विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात्, विधेयक पर खंडशः विचार किया गया।

स्तम्भ

खण्ड २, ४, ५, से ७, ९, १० व १ आदि बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ३, ८ व ११ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये तथा विधेयक में एक नया खण्ड (खण्ड १२) जोड़ा गया।

तदुपरान्त स्वायत्त शासन मन्त्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

सदन की बैठक ५ बज कर १० मिनट पर मंगलवार, दिनांक ५ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक ५ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९६२ (विचार-विमर्श एवं पारित)

(२) मोटर गाड़ी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचार-विमर्श एवं पारित)

(३) राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचार-विमर्श एवं पारित)

(४) राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२ (विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०२ का उत्तर देखिये)

कार्यालय उपाध्यक्ष, समाज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

दिनांक ११-१२-१९६१

पत्रांक सं०-शि०।साधारण।आ।२७।६१-६२

प्रेषिती

समस्त प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर-उच्च-माध्यमिक विद्यालय

विषय :—प्रत्येक शिक्षण संस्था द्वारा प्रौढ़ों के लिये रात्रि शाला चलाये जाने के क्रम में।

प्रसंग :—संचाकल, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के प०सं०स० शि०। साधारण।आ।२७।६१-६२, दिनांक २१-९-१९६१

उक्त प्रसंग में निवेदन है कि आपने अपने क्षेत्र में सम्भवतः प्रौढ़ों के लिये रात्रि-शाला चलाना प्रारम्भ कर दिया होगा, किन्तु इसकी सूचना इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रौढ़ शिक्षा के महत्व से तो आप भली-भांति परिचित हैं ही और हमारे प्रदेश के लिये तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा एवं पंचायत समिति स्तर पर पंचायती राज्य के प्रारम्भ से, महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने से यह और भी आवश्यक हो गया है कि शीघ्र से शीघ्र प्रौढ़ों की जन-संख्या का बहुत बड़ा भाग लिखने-पढ़ने योग्य हो जावे।

प्रौढ़शाला चलाने के लिये आपको आवश्यक सामग्री आपकी संबंधित पंचायत समिति, जिसके क्षेत्र में आपका विद्यालय है, प्राप्त हो सकेगी और यह तो आप जानते ही होंगे कि रात्रि शाला चलाने के लिये कोई अलग से पारिश्रमिक देने का प्रावधान नहीं है। आशा है कि आप इस ओर अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर यदि अभी तक रात्रि शाला का चलाना प्रारम्भ नहीं करवाया हो तो उसे शीघ्र चला कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

कृपया इसे आवश्यक समझें तथा इस पत्र की पहुंच से अवगत करें।

ह० एस. एम. एल. श्रीवास्तव,
उपाध्यक्ष, समाज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक ११-१२-१९६१

क्रमांक सं शि० साधारण।आ।२७।६१-६२

प्रतिलिपि :—

(१) संयुक्त विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

(२) समस्त उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(३) समस्त जिला शिक्षा निरीक्षकों को इस निवेदन के साथ कि १५ नवम्बर, १९६१ तक रात्रि शाला चलाने की जो सूचन

अपेक्षित थी वह अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है आशा है अब इस परिपत्र पर आवश्यक कार्यवाही कर इसकी सूचना इस कार्यालय को तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था कर देंगे। इस परिपत्र के साथ माध्यमिक शाला की प्रतियां संलग्न हैं आप उन्हें कृपया शीघ्र ही अपने क्षेत्र में वितरित करदें। उच्च/उच्चतर तथा बहुद्देशीय विद्यालय को यह परिपत्र सीधा भेज दिया गया है।

(४) समस्त जिला समाज शिक्षा अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(५) समस्त विकास अधिकारियों को इस निवेदन के साथ कि वे अपने क्षेत्र में चल रहे विद्यालयों (उच्च।उच्चतर एवं माध्यमिक) द्वारा रात्रि शाला चलाने के लिये आवश्यक सामग्री उनको उनकी मांग पर शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था कर देंगे।

ह० एस. एम. एल. श्रीवास्तव,
उपाध्यक्ष, समाज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि पत्रांक १३९ (५) शिक्षा।सम। वि।वि।६०।९७२११-८०३, दिनांक ७-५-६० द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त, राजस्थान। (जयपुर) प्रतिलिपि (१) समस्त आयुक्त (२) अतिरिक्त संचालक, शिक्षा (३) समस्त जिलाधीश (४) समस्त सचिव, जिला परिषद् (५) उप-संचालक, समाज शिक्षा ६० प्रतियों के साथ (६) समस्त विकास अधिकारी (७) समस्त आचार्य, अध्ययन केन्द्र ......

प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों द्वारा समाज शिक्षा का जिसमें प्रौढ़-शिक्षा भी सम्मिलित है, कार्य-क्रम चलाने के संबंध में दिये जाते हैं:—

१. समाज शिक्षा का काम अध्यापकों द्वारा ही भलीभांति किया जा सकता है, किन्तु यह काम अध्यापकों से उनकी स्वेच्छा से ही कराया जाना चाहिये।

२. समाज शिक्षा के काम में अध्यापकों की रुचि जागृत करने के लिये निम्न प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं:—

(क) सबसे अच्छा कार्य करने वाले को निम्नलिखित पारितोषिक दिया जाय:—

पहला पारितोषिक ३००) रु० दूसरा पारितोषिक २००) रु० तीसरा पारितोषिक १००) रु० आठ पारितोषिक हर एक ५० रु० की दर से।

इस प्रकार कुल मिला कर धनराशि जो पारितोषिक के लिये एक पंचायत समिति द्वारा दी जाय वह १,०००) रु० तक हो सकती है।

(ख) दूसरे प्रकार का पारितोषिक यह हो कि सर्वोत्तम अध्यापकों को प्रमाण-पत्र दिये जावें।

(ग) एक अग्रिम वेतन वृद्धि उन अध्यापकों को दी जाय जिनका काम अति सराहनीय रहा हो, पर यह अग्रिम वेतन वृद्धि दूसरों की शिष्टता में असर नहीं डालेगी।

(घ) उन्नत पद देते समय एक अध्यापक के इस सम्बन्ध में कार्य का खास ध्यान रखा जाय।

(ङ) सिर्फ वे ही मैट्रिकुलेट अध्यापक जिन्होंने पिछले साल (क), (ख) व (ग)

के तहत कोई पारितोषिक पाया है आगे की परीक्षा में बैठने की इजाजत हासिल कर सकेंगे, परन्तु यह शर्त नोन-मैट्रिक अध्यापकों पर लागू नहीं होगी।

(च) समाज शिक्षा क्षेत्र में अध्यापकों द्वारा कार्य का मापदण्ड उप-संचालक, समाज शिक्षा संयुक्त विकास आयुक्त की राय से निर्धारित करेंगे।

३. जहां अध्यापक इस प्रकार सामाजिक शिक्षा जिसमें प्रौढ़-शिक्षा भी शामिल है कार्य करते हों वहां एक अध्यापक वाली पाठशाला में काम का समय ५।। घण्टे तक, जिसमें आधा घण्टा खेल का शामिल है, रखा जा सकता है। जहां एक से अधिक हों वहां उस अध्यापक के लिये जो समाज शिक्षा का काम करे ६ घण्टे में से एक पीरियड कम लिया जा सकता है।

४. किसी भी प्राथमिक पाठलाशा के अध्यापक को प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्र चलाने का उप-वेतन नहीं दिया जाना चाहिये।

५. वह समाज शिक्षा केन्द्र अध्यापक साधारणतया छुट्टियों के अतिरिक्त प्रतिदिन १।। घण्टे के लिये चलायेंगे।

यह सुझाव अतिरिक्त संचालक, शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित है।

कार्यालय संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रेषिती
समस्त प्रधानाध्यापक, उच्चतर। उच्च।
माध्यमिक विद्यालय

क्र. सं. सश।साधारण।अ।२७।६१-६२
दिनांक २१-९-६१

भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्रसारित देश की तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़-साक्षरता पर विशेष बल दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के उस अंश का हिन्दी अनुवाद आपकी जानकारी के लिये नीचे किया जा रहा है :—

पिछले दस वर्षों में वैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैसे युवक संगठन, वाचनालय, सामुदायिक केन्द्र और महिला मण्डल के कार्यों एवं सहकारी आन्दोलन में पर्याप्त प्रगति हुई है किन्तु समाज शिक्षा का एक प्रमुख कार्य-क्रम चिन्ता का विषय बना है। १९५१ की अवधि में साक्षरता केवल १७ प्रतिशत से लगभग २४ प्रतिशत की बढ़ी है। जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर पंचायती राज के आरम्भ में तथा ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने से यह आवश्यक हो गया है कि शीघ्र से शीघ्र प्रौढ़ों की जन संख्या का बहुत भाग लिखने-पढ़ने योग्य हो जायें। यह प्रौढ़ों के निजी तथा पूरे समुदाय के हित के लिये अनिवार्य है।

प्रौढ़-साक्षरता की यह आवश्यकता हमारे लिये तो और भी अधिक है क्योंकि राजस्थान में साक्षरता केवल १४.७ प्रतिशत ही है।

इस विषय में भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा भी यह सिफारिश की गई है कि प्रत्येक राज्य में समस्त शिक्षण संस्थायें प्रौढ़-शिक्षा के कार्य को अपनायें और इस बारे में, सभी राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठायें।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये यह वांछनीय है कि प्रत्येक शिक्षण संस्था के क्षेत्र में प्रौढ़ों के लिये कम से कम एक रात्रि शाला तो चलाई ही जावे।

आशा है आप इस परिपत्र की ओर अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर अपने क्षेत्र में साक्षरता के व्यापक प्रसार के लिये सशक्त कदम उठायेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी उपाध्यक्ष, समाज, शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

ह० जगन्नाथसिंह मेहता,
संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक
शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक सं. शि.।साधारण।अ।२७।६१-६२
दिनांक २१-९-१९६१

प्रतिलिपि :—

(१) संयुक्त विकास आयुक्त, राजस्थान (जयपुर)।

(२) समस्त उपाध्यक्ष, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(३) समस्त जिला शिक्षणालय, निरीक्षकों को इस निवेदन के साथ कि वे अपने क्षेत्र में इस परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करने की कृपया शीघ्र व्यवस्था करेंगे और इसकी सूचना उपाध्यक्ष, समाज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को १५ नवम्बर, १९६१ तक अवश्य भेजेंगे। माध्यमिक शालाओं की प्रतियां संलग्न हैं, उन्हें कृपया शीघ्र ही वितरित कर दें। उच्च, उच्चतर तथा बहुद्देशीय विद्यालयों को यह परिपत्र सीधा भेज दिया गया है।

(४) समस्त जिला समाज शिक्षा-अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(५) समस्त विकास अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह० एस. एम. एल. श्रीवास्तव,
कृते संचालक, प्रा. एवं. मा. शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १०४ का उत्तर देखिये)

Year	Tractors. Parties.	Tractors. Amount advanced.	Pumping Sets. Parties.	Pumping Sets. Amount advanced.
1950-51	38	3,80,826/-	29	82,350/-
1951-52	87	6,53,230/-	102	3,28,136/-
1952-53	61	4,28,633/-	161	4,30,469/-
1953-54	59	4,41,549/-	86	1,25,845/-
1954-55	26	1,90,905/-	1	8,000/-
1955-56	32	2,16,769/-	29	50,404/-
1956-57	..	..	12	23,300/-
1957-58	15	90,450/-	59	1,31,467/-
1958-59	17	1,43,900/-	83	3,06,335/-
1959-60	20	1,28,700/-	15	29,650/-
1960-61	47	5,05,750/-	—	—
Total ..	402	31,80,712/-	577	15,15,956/-

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १०९ का उत्तर देखिये)

Copy of letter No. F. 3 (55) Rev. B/60, dated 1-4-60 from Shri Milap Chand Jain, RAS, Asstt. Secretary to Govt., Revenue (B)Deptt., Rajasthan, Jaipur to the Collector, Kota and copy to the Commissioner, Kota.

SUBJECT:—Extract from the minutes of the Cabinet meeting held on Wednesday the 2nd March, 1960 at the residence of the Chief Minister reg. trespassers of Chambal Project area, Kota.

The points given at para 3 of the proceedings of the Chambal Committee meeting held on 27th January, 1960 were discussed again on 2-3-60 in the Cabinet meeting held at the residence of the Chief Minister, Rajasthan, and it was decided that the decision taken by the Cabinet on 30-1-60 in the above cited matter be amended.

I am, therefore, directed to say that action in this connection be taken according to the following amended decision.

1. All trespassers who had been occupying land before 2-12-53 be granted Khatedari rights provided they pay reserve price of the land reduced by 33%.

2. These trespassers who had been in occupation land from 2-12-53 to 15-10-55 be given Khatedari rights provided they pay the reserve prices.

3. With regard to the trespassers who had been in occupation of land after 15th October, 1955, the following decisions have been taken:—

   (a) In cases wherein settlement parchas had been issued in Kota District or such rights had been granted to the cultivators, the Tehsildars/Sub-Divisional Officer against the provisions of Law, the Sub-Divisional Officer concerned should take necessary action under section 160 of the Rajasthan Land Revenue Act for the correction of entries.

   (b) Legislation to amend the Rajasthan Tenancy Act so as to convert all allotment of lands in Chambal Area on a temporary basis be taken in hand (action being taken in this department.)

   (c) The trespassers occupying land after 15-10-55 be divided into two categories:—

1. Landless tenants.

2. Khatedars.

1. Landless tenants be alloted land up to 8 acres on payment of reserve price with a penalty of 15%. Khatedar who have trespassed over Govt. land should be allotted land up to 3 acres on the aforesaid price subject to the condition that their total possession of land does not exceed 25 acres.

2. Khatedar tenants in possession of land less than 5 acres may not be allotted trespassed land so as to make total holding of 8 acres.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १०८ का उत्तर देखिये)

Copy of D. O. letter No. Vikas/B/1 529 dated 22nd Feb;, 62 from Shri C. L. Kochar, Collector, Sri Ganganagar to Shri S. D. Gupta, Dy. Secretary, Revenue Deptt. Raj. Jaipur.

SUBJECT:—Assurance No. 232911 of R.M. by Shri Murlidhar Vyas regarding enquiry of Gogameri temple.

Kindly refer to your D. O. No. F.3d (3) Rev/A/59, dated the 11th January, 1962. In this connection a report from the S. D. O. Nohar dated 10-9-59 shows that Gogaji was a Chohan Rajput. The temple at Gogameri was constructed in his memory. No record is available about the time when it was constructed and the person who built it. The puja is performed by the chayal muslims since a long time. Most of them have migrated to Pakistan but those who still perform puja belong to the same family. It appears that the chohan rajputs who adopted the mohammadan religion were called as chayalas. These chayals claimed to be from the family of Gogaji.

From the file of the Devasthan Department which was called by me, it appears, that Shri Ratan Singh Chohan of Dedrewa, tehsil Rajgarh filed an application before the Commissioner, Devasthan on 14-8-1952 that Gogaji was a Chohan Rajput, but on account of muslim rule the puja was performed by chayal musalmans who were previously Chohan but were later converted into muslims. At the time of the partition, the chayal muslims migrated to Pakistan and only one member of that family lives in Gogameri and he too is likely to run away to Pakistan. The puja of Gogaji should be entrusted to the Chohan Rajputs and the applicant is willing to under take it. A report was submitted by the Commissioner, Devasthan to the Deputy Secretary, GAD on 28-7-53 that Shri Ratan Singh who claims to do the sewa-puja of the Gogameri temple belongs to the Chohan family, but the sewa puja is being performed by the chayal muslims from generations and that family is still there. Therefore, Shri Ratan Singh's claim is not justified as long as Chayals are there. An order was conveyed by the Assistant Secretary, GAD, to Shri Ratan Singh on 27-8-53. that since sewa-puja in the shrine is being performed by the Chayal muslims who are hereditary worshippers, it is regretted to state that no action is possible on your application.

Although the matter had thus been decided by the Government Shri Ratan Singh submitted an application to Shri Karni Singhji, M. P. Bikaner and this question was also raised in the Legislative Assembly by Shri Murlidhar Vyas. As desired, I have enquired into the matter myself. Both the parties were given adequate opportunity to produce the evidence on which they relied to claim the right of worship. Shri Ratan Singh produced an article by Shri Chandra an Charan entitled 'Gogaji Chohan Ka Samya' published in Maru-Bharti in which a generalogical tree has been given. This generalogical tree was supplied by Shri Ratan Singh himself. In this Gogaji has also been shown that Rao Mota Rai, a descendant of Gogaji in the 12th generation had 5 sons, 4 of whom were converted to

Islam while the fifth Jagmal has not been shown as descendant converted. Hari Singh and Rati Ram Singh have been shown as of this branch. The applicant claims that he is the great grand son of Rati Ram Singh. Shri Rati Ram Singh used to perform the sewa-puja of this shrine about a century back. When his great grand father died, his grand father Partap Singh was a minor and his great grand mother entrusted the duty of sewa-puja to a Brahman. In course of time the muslims grew powerful and they turned out the descendant of this pandit and took possession of this shrine. This happened about 90 years back. This version of Shri Ratan Singh that his great grand father performed the sewa-puja of this shrine has not been corroborated by any evidence, although I gave him a number of opportunities to produce his evidence. The new applicants chayals, on the other hand, have produced a number of moharchap pattas in original to show that they have been performing the sewa-puja since a very long time. One of them is dated Smt. 1848 Chet Shudi Atham addressed to Hawaldar Nohar in which it has been said that Rashid etc. pujaris of Gogaji live in village Karanpur. They should not be put to any discomfort. Another is dated Smt. 1876 Pos Badi Chhat Duji in which an amount of Rs. 14/- recovered by the Hawaldar from the chayal pujaris was remitted. Other parwanas date back to Smt. 1885, 1908, 1931 etc. in all of which the chayals have been admitted as pujaris. All this shows that these chayals have been performing the sewa-puja of the shrine for more than 1½ centuries. The claim of Shri Ratan Singh that the Chayals started the sewa-puja some 90 years back does not, therefore, hold good. The proper course for Shri Ratan Singh, if he still thinks that he is the rightful claimant for the worship of the shrine of Shri Gogaji, is to file his claim in a Civil court and get it established there.

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या १११ का उत्तर देखिये)

Comparative statement of accommodation provided in the old and new buildings of the Dungar College, Bikaner.

Old Building.		New Building.	
Class Rooms:—		*Class Rooms:—*	
(a) 24′×168′	2	(a) 35′×25′	8
39′×16′	4	25′×20′	5
38× 25′	2	Lecture Theatre 32′× 22.6	4
21′×16′	2	Typewriting Room 24′ ×16′	1
40′×30′	4	Tutorials. 20′×16′ ..	8
30′×20′	2		
	16		25
(b) Professors Room. Nil. —			
(c) Laboratories:—		(b) Professor's Room 12′×10′	8
40′×30′	2		
30′×20′	2	(c) Laboratries 35′×25′ ..	8
40′×9′	1		
20′×18′	1	(d) Rooms for Sc. Depttes.	
		25′×12′	4
		19.6′×14′	12
		14′×12′	4
	6		20
(d) Rooms for Sc. Deptts ..	4	Underground Stores	2
(e) *Gas Plant*		(e) *Gas Plant*	
One small room with open space.		2 Rooms & covered space storing the Coal etc.	
(f) Garden-Small garden 60′ ×30′		(f) Big garden size 500′ × 200′ with one store room.	
(g) *Library:—* 64′×18′, 20′×16′, 25′×16′		(g) *Library:—*	
		50′×30′	1
		42′×30′	1
			2

(*h*) *Administrative wing:—*			
Office 25′×16′	1	Office room 24′×16′	1
Principal's room 20′×16′	1	-do- 10′×16′	1
Staff room 25′×16′	1	Principal's Room 14′×16′	1
Room 25′×16′	1	Visitors room 10′×10′	1
Store 25′×16′	1	Girl's common room 25′×14′	1
			5
		Stores 41.4′×28.6′	1
		16.6′×13.6′	1
(*i*) Water hut	1	(*i*) Water hut	1
(*j*) Canteen	Nil	(*j*) Canteen with 2 rooms is under construction	
Common Room	1		
(*k*) Gymnasium	Nil	(*k*) Gymnasium with two small rooms	Nil

In addition to all this one Office for N. C. C. with 3 rooms and one Chowkidar's hut is added.

Thus the position of accommodation in the New building is far better. one of the college Camps provides ample scope for further expansion.

Sd/- P. C. JAIN
Principal.

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ११६ का उत्तर देखिये)

दावे मिस्ल बन्दोबस्त मौजा रावला

जमाबन्दी (खेवट खतौनी ग्राम रावला, तहसील भानूपगढ़, जिला गंगानगर

खेवट या ग्रामदनी की संख्या	खतौनी की संख्या	नाम पट्टी थोक व तरफ व नाम नम्बरदार बिस्बेदार या राजस्व	भूमि अधिकारी (जागीर, उप-जागीरदार और खासगुजार, बिस्वेदार व जमींदार) विवरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित और कृषि-काल	खसरा सं०	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६	७
२		मुसम्मात भानो बेवा भरया वल्द रामकिशन निस्फा कौम विश्नोई गौरारा साकिनान देह	मुसम्मात भानी बेवा भरया. कौम विश्नोई भादु साकिनान देह	खुदकाश्त	२१ ३२ ३७	१०।।)४ एकड़ २७।।।) ६६।)
					३	१०७।।)४
			भलूवा भोखराम पिसरान नामक कौम विश्नोई भादू साकिन देह व बिसावर राम		३६	४) बंजड़ ।)१ गैर म०
						४।)१
			मीजान खाता नं. २			किता ११२)

१	२	३	४	५	६	७
		राज श्री बीकानेर राव बलदेव सिंह वल्द हरिसिंह कौम राजपूत भाटी ठिकाना सहासर	समेला वल्द रामकिशन निस्क मुसम्मात लखू बेवा काटवानिस्फ कौम विश्नोई भादू साकिन देह	खुदकाश्त	२६ २८	२७।।।)४ ४३।।)२
				किता	२	७१।।)१
४		”	रूपा वल्द हुकमा कौम विश्नोई भादू साकिन देह	खुदकाश्त	४०	३४।।।)३
५		”	कातनाया हरभूज पिसरान जीवन कौम विश्नोई भादू साकिन देह व हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	१६ ३१	१३।।।) ४०।।।)२
				किता	२	५४।।)२
६		”	काछवा व पन्ना पिसरान मूला कौम विश्नोई भादू साकिन देह व हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	१३ १४	१८।)४ ५।)२
				किता	२	२३।।।)१
७			मल्लू वल्द मुखराम पिसरान मापक कौम विश्नोई भादू साकिन देह व हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	३५	३५) ।।।)३ बंजड़
				किता		३५।।।)३
			मुसम्मात मानी बेवा भूरथा कौम विश्नोई भादू साकिन देह		३५	२।।)
			मीजान खाता नं. ७	किता	२	३८।)३

८		मुसम्मात भानी बेवा भरथा वल्द रामकिशन निस्का कौम विश्नोई गोरारा साकिनान देह	साजन वल्द भोमा कौम विश्नोई पूनिया साकिन देह	खुदकाश्त	११	२६)	
					१८	११)४	
					३८	४१)२	
						१	कुआ
					३६	२०।)४	
				किता	४	५३॥)	
६	„	„	रामचन्द्र वल्द लखा कौम विश्नोई गोला साकिन देह	खुदकाश्त	४४	२२।)२	
					४५	१८।)४	
				किता	२	४०॥।)१	
१०	„	„	लक्ष्मण वल्द जीवन कौम कुम्हार साकिन गोगावाली	खुदकाबिज	२२	११)३	बंजड़
						)२	
						१॥)	
			मीजान खातेदारान १	किता	२०	४३१)१	
				कुट		१३५॥।)	
				दीगर		२६५।)	
२	२५	राजश्री बीकानेर राव बलदेव सिंह वल्द हरीसिंह कौम राजपूत भाटी ठिकाना सहासर	बखूबल फरिदखां कौम राठ चौहान साकिन देह	खुदकाश्त	७६	२८॥।)१	बरानी
					७७	२०)	„
					८२	१४।)१	„
					१५४	६)१	„
				किता	४	७२)३	„

Page No 134

१	२	३	४		५	६	७
३	२६	,,	गुलामखां वल्द जैतखां कौम राठ चौहान साकिन देह	खुदकाश्त	६५	५।)	बरानी
४	२७	,,	हासलखां वल्द हुसैनखां, सुलतानखां वल्द समेरखां राठ चौहान साकिनान देह बहिस्सा बराबर	खुदकाश्त	२८	२६।।।)	बरानी
५	२८	,,	रमजान बाकुयामखां बहादुरखां कौम राठ चौहान साकिनान बाहिस्सा बराबर	खुदकाश्त	१७	१०)	बरानी
६	२६	,,	जन्दूखां बा फतेहखां वा अलापार का सरदाराखां कौम राठ मटि साकिनान देह बहिस्सा बराबर	खुदकाश्त	१२३	१४)३	बरानी
७	३०	,,	महमूदखां वल्द नसीरखां कौम राठ मटि साकिन देह	खुदकाबिज	१३७	१२।।।)	बरानी
					१४	४।।)२	,,
				किता	२	१७।)३	बरानी
८	३१	,,	हसानखां वल्द नवाबखां कौम राठ मटी साकिन देह	खुदकाबिज	१३	५।।)१	,,
					१४	१३।)	,,
					१६	१२।)	,,
				किता	३	३१)१	,,
९	३२	राजश्री बीकानेर राव बलदेवसिंह मु० मरयमबैवाह गुलशेर गुलाम वल्द फीरबक्स		खुदकाबिज	१६६	१६।।।)	बरानी

		वल्द हरिसिंह कौम राजपूत भाटी ठिकाना सहासर	बाहिस्सा बराबर निसफ कमीर वल्द मीरन वनस ४ कौम राठ मटि साकिनान देह		१६७	११।)	,,
					१६२	४॥)२	,,
					१६४	५)३	,,
					१८१	॥)३	,,
					१८१	२)	,,
				किता	६	४०।)३	,,
१०	३३	,,	रमजान वल्द भापल कौम राठ खोखर साकिन देह	खुदकाबिज	२०	१७)२	,,
						१५३)२	,,
				किता	२	२५)४	,,
११	३४	,,	नवाबखां वल्द मीरखां कौम राठ खोखर साकिन देह	खुदकाबिज	२२	१५)	,,
१२	३५	,,	बहादुरखां बा० दिलावरखां पसिरान मीरखां कौम राठ खोखर साकिन देह	खुदकाबिज	२१	३१)	बरानी
१३	३६	,,	गुलाम बा० सुलतान पो० सई० मु० राठ खोखर साकिन देह बहिस्सा बराबर	खुदकाश्त	१६२	४)	बरानी
१४	३८	राजश्री बीकानेर रावबल्देव सिंह वल्द हरिसिंह कौम राजपूत भाटी ठिकाना सहासर	फदू वल्द अलादीना १।२ हिस्सा, जान मोहम्मद वल्द साई १।२ हिस्सा कौम राठ खोखर	खुदकाश्त	१५५	६)१	बरानी
					१६१	४॥१।)	,,
					१६२	५)३	,,
				किता		१६)	,,

१	२	३	४		६	७	
१५	३९	,,	फतू वल्द खैरा कौम राठ खोखर साकिन देह	खुदकाश्त	८५	४॥)	,,
१६	४०	,,	गुलाम हाफिस कासम बा० कादर कौम राठ जोईया साकिनान देह का हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	१०८ १०९	१६)१ १३।)४	,, ,,
				किता	२	२९॥)	,,
१७	४१	,,	फरिद वल्द अतर कौम राठ जाईया साकिन देह	खुदकाश्त	१०४ १०७	१३।)१ ३)	,, ,,
				किता	२	१६।)१	,,
१८	४२	,,	क्याम मूलासिकन्ड पि० अलाबख्श व हिस्सा बराबर १।२ हिस्सा अलाईबख्स बलतर १।२ हिस्सा कौम राठ जाईया—साकिन देह	खुदकाश्त	११७	१७।)३	,,
१९	४३	,,	सुलतान वल्द जनू कौम राठ जोईया साकियान देह	खुदकाश्त	११३	८।)१	,,
२०	४४	,,	रमजान वल्द मालू कौम राठ जोईया साकिन देह	खुदकाबिज	१११ ११२	३।)२ ७॥)१	,, ,,
				किता	२	१०॥।)३	,,

१	२	३	४	५	६		७
२१	४५	राजश्री बीकानेर राव बल्देव सिह वल्द हरिसिह कौम राजपूत भाटी ठिकाना सहासर	फतू गुलाम पंज पी० दल्लू बा० हिस्सा बराबर १।२ हिस्सा मुसम्मात नसीखा बेवाह जया १।२ हिस्सा कौम राठ जोईया साकिन देह	खदकाश्त	११८	२।।)	बरानी
					११६	२३।।)२	,,
				किता	२	२६)२	,,
२२	४६	,,	नूरा हदीम कोड वं० रमजान-पी० जमान कौम राठ पड़पार साकिन देह बहिस्सा बराबर	खुदकाश्त	१५१	५।।)	,,
२३	४७	,,	जानू खानू रामा—सामा पसीरान करिमा कौम राठ पवार साकिनान देह बहिस्सा बराबर	खुदकाश्त	१७०	३।।।)	,,
२४	४८	,,	हुसैन वल्द अलाबक्स कौम राठ मे., साकिन देह	खुदकाश्त	३८	८)	,,
					४१	३)३	,,
					४६	७)३	,,
					६७	७।।)३	,,
				किता	४	२५।।।)४	,,
२५	४६	,,	कादू वल्द अलाबक्स राठ मे साकिन देह	खुदकाश्त	३७	।।)४	,,
					५०	६।)	,,
				किता	२	६।।।)४	,,

२६	५०	राज्य श्री बीकानेर राव वल्देव सिंह वल्द हरिसिंह कौम राजपूत भाटी ठि० सहासर	मादू वल्द जिलाबक्स कौम राठ चेह साकिन देह	खुदकाश्त	३६	५)३	बरानी
					५१	२)२	"
					६५	३।।)१	"
					६६	१।।)३	
				किता	४	१२।)४	"
२७	५१	"	अहमद व० इमाम बीजला बसावा व० सुलतान कौम राठ में साकिन देह बा हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	३०	२२।।)	"
					३३	८)३	"
					७५	१०)२	"
				किता	३	४०।।।)	"
२८	५२	"	दिता बा० इमाम पिसरान कायम कौम राठ में साकिन देह बा हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	७२	२।)	"
					७३	४।।।)१	"
					७४	५।।।)१	"
				किता	३	१२।।।)२	"
२६	५३	"	सदरदिन वल्द हैयात कौम राठ में साकिन देह	खुदकाश्त	४२	१)४	"
					४३	१०।)४	"
				किता	२	११।।)३	"

१	२	३	४	५	६	७	
३०	५४	राजश्री बीकानेर राव वल्देब सिंह वल्द हरिसिंह कौम राजपूत भाटी ठि० सहासर	पूनू बराम वा० उर्फ अब्दुल रहमान पि० हैयात कौम राठ में साकिन देह	खुदकाश्त	४४	४।।।)२	बरानी
					४५	५।।।)२	,,
				किता	२	१०।)४	,,
३१	५५	,,	बरियाम वा० गहना कौम राठ में साकिन देह	खुदकाश्त	२४	७)	,,
					२५	१४।)४	,,
					६४	१३।।)	,,
				किता	३	३४।।।)४	,,
३२	५६	,,	नूरा वा० गामां फी रकबा रानू कौम राठ में साकिन देह बा हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	३१	५) ४	,,
					३६	१।।।)२	,,
				किता	२	७)१	,,
३३	५७	,,	महमूद ब० पाहण्टी कौम राठ में साकिन देह	खुदकाश्त	६०	७।)४	,,
३४	५८	,,	महमदयार वल्द रहिम कौम राठ में साकिन देह	खुदकाश्त	५४	५।)३	,,
					५५	४०।)१	,,
				किता	२	४५।।)४	,,

३५	५९	राज्य श्री बीकानेर राव बलदेव सिंह वल्द हरिसिंह कौम राजपूत भाटी ठिकाना सहासर	अहमद व० लच्छा नसफ रहमत अलि वा० गुलाम पी० रम्मू बा० हिस्सा बराबर निसफ कौम राठ कुम्हार साकिन देह	खुदकाश्त	११० १२२	२४।)१ १२॥)	बरानी „
				किता	२	३६॥)१	„
३६	६०	„	मकसूद शाह खैर शाह वा० खामद शाह पी० अली शाह कौम राठ सैयद साकिन देह बा हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	२६ ८७	१४।)२ ५॥)२	„ „
				किता	२	२०)४	„
३७	६१	„	गुलाम शाह अनवर शाह बाचीराग शाह पी० कासिम अली शाह कौम राठ सैयद साकिन देह बा हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	३२ ८६	१५।)१ ५।)१	„ „
				किता	२	२०।)२	
३८	६२	„	खुदूबानबू पी० लखो कौम नाई मुसलमान साकिन देह बा हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	८८ १२१	३६) ४।)२	„ „
				किता	२	४०।)४	„
३९	६३	„	छबीला वनकू मुन्सी रहमल बकरूम वा० अमरूह पि० लखवा कौम खतरी चुचेरा साकिन देह बा हिस्सा बराबर	खुदकाश्त	९९	५)२	„
४०	६४	„	नथीया वल्द बुद्धिया पि० नोसफ गेनेसा व० पन्ना नोसफ कौम चमार बुरकिया साकिन देह	खुदकाश्त	१२८	७॥)४	„

१	२	३	४	५	६		७	
४१	६५	राजश्री बीकानेर राव बल्देव सिंह वल्द हरिसिंह कौम राजपूत भाटी ठिकाना साहेसर	मस्जिद		सदरदिन अनुवारीयंति पो हैयांत कौम राठ साकिन देह बा० हिस्सा बराबर	९०	सामाफी १६॥।)२	बरानी
				मीजान खातेदारान	किता	७९	८०३॥)३	,,
					माफी		६०)४	
					दीगर		७४३।)४	

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११८ का उत्तर देखिये)

दरख्वास्तें मेचियार पेन्डिग मय समय पेन्डिग तहसील नीमकाथाना, सीकर

नं. शु.	नाम ग्राम	दरख्वास्तों की संख्या	समय पेन्डिग तारीख	अमुक से अमुक तक	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
१.	राहाता ..	८५	२८-६-६२	२५-७-६२	
२.	चेला	१०	२७-६-५६	२७-८-६१	
३.	मबोली ..	१००	२७-६-५६	१४-१२-६२	
४.	सिरोही ..	२०	८-६-५६	८-६-५६	
५.	नीमकाथाना ..	१०	७-८-५६	७-६-६२	
६.	पुरानावास ..	३	१७-७-६२	१३-१२-६२	
७.	मंडोली ..	४	६-६-६०	२५-७-६२	
८.	माउन्डा कलां ..	२६	२१-६-५६	६-८-५६	
९.	जोली	२६	२३-६-५६	१-१०-६२	
१०.	रायपुर (पाटन) ..	३२	६-७-५६	१०-६-६२	
११.	एसानपुर ..	८	१०-६-५६	१७-१०-६२	
१२.	गणेशवर ..	३६	१३-६-६०	२१-१२-६२	
१३.	खोरी किशोरपुरा ..	२७	४-७-५६	७-६-६२	
१४.	नाथा का नागल ..	१०	७-१-५६	१०-८-५६	
१५.	काचरडा ..	२३	२-७-५६	२४-१०-६२	
१६.	टोडा	२१	५-७-६२	७-१२-६२	
१७.	सांवेतपुरा तवरान ..	३६	७-७-५६	२८-७-६२	
१८.	सगणवास ..	११	६-७-५६	२२-७-६२	
१९.	चीपलाटा ..	१३+१४	२६-६-५६	२७-६-६२	
२०.	टटेरा	७	७-७-५६	२६-७-५६	
२१.	डोकन ..	१०	६-७-५६	३१-७-६२	
२२.	रइयां का वास ..	५	"	६-७-५६	
२३.	न्योराना ..	६	"	२१-७-६२	
२४.	नीमोव ..	२	१६-८-६२	१६-११-६२	
२५.	गोकलवास का रीन्डा	१८	६-७-५६	५-१२-६२	
२६.	अजमेरी ..	१७	७-७-५६	७-७-५६	
२७.	कनडाला ..	२१	१८-४-५६	३१-७-६२	
२८.	गौंयडी ..	१०	२-७-५६	३०-७-६२	
२९.	सांवलपुरा लेतावतान	२	२-६-६२	२१-११-६२	
३०.	सावला ..	१	१३-७-६२	१३-७-६२	
३१.	बिहार ..	४	२३-७-५८	३-६-५८	
३२.	दरीबा ..	२	२६-६-५६	७-१२-६२	
३३.	रायपुर जागीर ..	२	१४-४-६२	२३-७-६२	
३४.	काटा मय गुवार ..	१	७-७-६२	७-७-६२	
३५.	हरजनपुरा ..	१२	२३-८-६०	१-८-६२	
३६.	योवलाटा ..	४	१-७-६१	११-६-६२	
		६३८			

परिशिष्ट ८

(प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

बिना इजाजत किए गए कब्जे, तहसील भीनमाल

१२४. श्री **भगराज चौधरी** (रानीवाडा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भीनमाल तहसील में हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर बिना इजाजत कब्जा कर लिया गया है जिसे पिछले दो-तीन वर्ष से काश्त किया जाता जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार शीघ्र ही ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) अतिक्रमण कारियों को नियमानुसार बेदखल करने की कार्यवाही जारी है।

पशु-मेला, पंचायत गोडावास, तहसील नीम का थाना

१२५. **श्री छोटूराम** (नीम का थाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि जिलाधीश सीकर ने पंचायत गोडावास, तहसील नीम का थाना को पशु मेला भराने की मनाही की थी और क्या इस आज्ञा का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो फिर इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां, मनाई की गई थी। आज्ञा का पालन नहीं किया गया। आवश्यक कार्य ही की जा रही है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा ९१ के तहत मुकदमात, तहसील सांचौर

१२६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले दो सालों में तहसील सांचोर से राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत कितने मुकदमात दायरे हुए और उनमें से कितने मुकदमात में जुर्माने किए गए ?

(२) क्या यह सच है कि इस धारा के तहत जितने नोटिस बाबत जुर्माने निकाले गए थे, उनकी मिसलें कायम नहीं की गई थीं ? अगर हां, तो ऐसा न करने के क्या क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सच है कि जितने मुकदमात व जुर्माने किये गये थे उनकी सारी मिसलें अब उपलब्ध नहीं हैं ? अगर हां, तो उनमें से कितनी मिसलें कम हैं और ऐसा होने के क्या कारण हैं व क्या सरकार इस बारे में इन्क्वायरी कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) ९५० मुकदमात दायर हुए और इनमें से ९३९ मुकदमों में जुर्माना हुआ।

(२) यह सच नहीं है और ऐसी दशा में कारण बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) यह भी सच नहीं है, अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मऊ, इब्राहिमपुर में हायर सैकण्डरी स्कूल

१२७. श्री श्रवणलाल (हिंडोन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने ग्राम मऊ इब्राहिमपुर में कोई हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की योजना बनाई है? यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ होगी ?

(२) क्या यह सही है कि यहां पर जो मिडल स्कूल है वह बहुत पुराना है तथा लडकों की संख्या भी ५०० के करीब है और आस पास काफी मिडल व अपर स्कूल हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि यहां की आबादी करीब ४,००० है और वह अच्छा कस्बा है व जयपुर से करौली जाने वाली सडक पर है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) यह शाला जुलाई सन् १९४५ में माध्यमिक शाला में परिवर्तित की गई थी। इस शाला की वर्तमान छात्र संख्या ३२९ है। इसके आस पास ६ मील के अन्तर्गत केवल एक माध्यमिक शाला मोहम्मदपुर ग्राम में है।

(३) आबादी के सही आंकडे प्राप्त नहीं हो सके हैं। किन्तु जन-संख्या १,००० के लगभग हो सकती है। जयपुर से करौली जाने वाली सडक पर है।

रानीवाड़ा में फलों की खेती

१२८. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): Will the *Agriculture Minister* please state:—

(1) Is it a fact that in Raniwara area, Panchayat Samiti, Raniwara there is a great scope for fruits farming ? If so, what steps have been taken by the Government for the growth of fruit trees in this area ? If not, why not ?

(2) Does the Government intend to have some scheme for the growth of fruit-trees in the above area ? If yes, how long will Government take for the implementation of such scheme ?

(3) Is it a fact that fruit farming will be a very cheap and productive scheme for Raniwara area ?

उत्तर

The fruit Specialist has been asked to visit and investigate the area whether there is any scope for fruit farming in Raniwara area and submit a report. Further action will be taken after the receipt of the report.

मनादर जागीर का रिजम्पशन

१२९. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या जागीर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की मनादर जागीर का रिजम्पशन अभी

तक नहीं किया गया है जब कि राजस्थान की अन्य जागीरों का रिजम्पशन हो चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के जागीरदार आज भी पुराने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं ?

(३) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । मनादर जागीर का पुनर्ग्रहण १-७-६२ को हो चुका है ।

(२) इस बारे में जांच की जा रही है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ४ मार्च, १९६३)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
७२१	२७	एमन्जेन्सी	एमर्जेन्सी
७२३	अन्तिम से ३	Ordr	Order
७२४	४	म	में
७२५-२६	शीर्षक	माच	मार्च
७२९	शीर्ष	(श्री निरजननाथ आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
७३३	१४	ह	है
७३४	१०	डिमान्ट	डिमान्ड
७३४	२७	परस्यू	पर्स्यू
७३७-३८	२१-२२	जिलाधीश बामेर को प्रादेश दे दिये गये इहें कि भुगतान शीघ्र	जिलाधीश बाड़मेर को आदेश दे दिये गये हैं कि भुगतान शीघ्र
७४१	शीर्ष	(श्री रामप्रसाद लडढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
७४१	१	मिधारी	भूमिधारी
७४५	२१	रिफ्यूजं	रिफ्यूज
७६३	५ व ९	आबंटन	आवंटन
७६६	२५	श्री हीराभाई बडी सेरवा ' 'और	श्री हीराभाई : बडी सेरवा ' और
७६९	२	लिय	लिये
७६९	अन्तिम पंक्ति	दिये ह ?	दिये हैं ?
७७५	शीर्षक	राजस्थान नगर सुधार	तारांकित प्रश्नोत्तर
७७६	२३ के पश्चात्	—	(१२ मध्यान्ह)
७७६	२९	संम्बन्धी	सम्बन्धी
७७६	३१	Sir. Sir I	Sir, I
७७६	शीर्षक	(द्वितीय संशोधन) विधेयक	सदन के समय सम्बन्धी
७७६	४-५	and /. because	and because
७७६	१९	बडाई	बढ़ाई
७७७-७८०	शीर्षक	राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) विधेयक	निर्धारित समय के पश्चात् सदन की कार्यवाही होने सम्बन्धी आपत्ति

१	२	३	४
७७७	२	हो रही ।	होती रही ।
७७८	११	म्राडर	म्रॉडर
७८०	२८	ह ।	है ।
७८४	२७	अधिकर	म्रधिकार
,,	म्रन्तिम पंक्ति	प्लट्स	प्लॉट्स
७८५	१०	कायवाही	कार्यवाही
७८६	४	प्लॅट्स	प्लॉट्स)
,,	१९	इम्प्रूमेन्ट	इम्प्रूवमेन्ट्स
७८८,८०० से ८१४, ८३६	शीर्षक	द्वितीय (संशोधन)	(द्वितीय संशोधन)
७८८	१४	बड	बड़े
,,	म्रन्तिम	प्लॅट	प्लॉट
७९१	१९ व म्रन्तिम	अ ग्रवाल	अग्रवाल
७९२	८	The	the
७९३	८	इन्जक्शन	इन्जंक्शन
७९६	४	गवनर	गवर्नर
,,	६	दिय	दिये
,,	९	गज क	गज़ के
,,	१०	लकिन	लेकिन
,,	११	म किसी का	में किसी को
,,	१२	दिय गय	दिये गये
,,	१४-१५	म्राय ह उन्होंने इस बारे म प्रस्ताव रखा ह व जयपुर का कच्ची	आये हैं उन्होंने इस बारे में प्रस्ताव रखा है व जयपुर की कच्ची
,,	२८	परिस्तिथयों	परिस्थितियों
७९८	३ व ४	गये उनका पहुला जवाब	गये उनका पहुला जवाब
,,	१३	कर दे	कर दें
८०२	४	चाहते ह	चाहते हैं
८०४	१३	एमजेन्सी	एमर्जेन्सी
८०६	२०	श्री सतीशचन्द	श्री सतीशचन्द्र
८०७	२४	श्री अध्यक्ष	म्रध्यक्ष
८०८	१०	बीकनेर	बीकानेर
,,	अन्तिम	इरगुलेरिटीज	इर्रेगुलेरिटीज़

१	२	३	४
८१७	१९	चाजज	चार्जेज
८१९	१	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
,,	२३	श्री भैरोंहि	श्री भैरोंसिह
८२०	अन्तिम से २	वस्सी	बस्ती
८२४	४	कन्ट्रक्शन	कन्स्ट्रक्शन
,,	२२	फटो	फोटो
८२५	६	सरकर	सरकार
,,	१४	वर्षो म	वर्षों में
८२६	११	हुअ	हुआ
,,	अन्तिम से ३	करत हूं	करता हूं
८२८	अन्तिम से ४	लंगा ।	लूंगा ।
८३०	२५	मांग लंगा	मांग लूंगा
८३३	२५	रही ह	रही है
८३५	१८	राष्ट्रीय एक	राष्ट्रीय एकता
८३७	२२	ौर	और
८४२	२-३	तया किया थ कि	तया किया था कि
,,	११	बादश हों	बादशाहों
,,	१८	मक न	मकान
,,	२५	बरा	बुरा
,,	२६	यादा	ज्यादा
८४३	३	नहीं मिल	नहीं मिले
,,	७	बस्सी	बस्ती
,,	१०	नाके स्कीम	नाके की स्कीम
८४४	६	बस्सी	बस्ती
८४५	५	संकप	संकल्प
८४८	११	मास्टर लान	मास्टर प्लान
,,	२६	प्रॉपर्टी क	प्रॉपर्टी का
,,	अन्तिम से ४	को ने	को चुने
,,	अन्तिम	अ कार	अधिकार
८४९	४	स्ट का	ट्रस्ट का
८५१	अन्तिम	गल–	गलत
८५२	अन्तिम से ३	व पिस	वापिस
८५५	१२	मेम्बरर्स	मेम्बर्स

१	२	३	४
८५९	२६	श्री बरलतुल्ला खां	श्री बरकतुल्ला खां
८६०	१	पड़गा	पड़ेगा
,,	अन्तिम से ३	बतायगे	बतायेंगे
८६१	६	श्री भरोंसिह	श्री भैंरोंसिह
,,	२१	को	की
,,	२७	चहे बुरा हो या भला हो। भले काम	चाहे बुरा हो या भला हो भला काम
,,	अन्तिम से ३	ाज	बाज
८६२	२	ग्रेजुएटस	ग्रेजुएट्स
८६६	२३	में ही	में मैं ही
८७३	अन्तिम से २	वाधक	बाधक
८७५	शीर्ष	(श्री भैंरोंसिह)	(श्रीं भैंरोंसिह)
८८६	२२	श्री बरकतुल्ल खां	श्री बरकतुल्ला खां
८९७	२	रीप्रेजेन्टेटिब्ज	रिप्रेजेन्टेटिव्ज्
९०१	११	p id	paid
९१०	१३	व ज	क्लॉज
,,	१६, १८, २० व २५	फम	फ्रेम
९१२	२३	श्री मथुरश बिहारी	श्री मथुरेशबिहारी
९२७	७	हुवा है	हुआ है
९२४	२८	आवश्यक्ता	आवश्यकता
९२७	शीर्षक	४ मर्च	४ मार्च
९३५	६	द्दष्टि	दृष्टि
९३७	१७	श्री बाकतुल्ल खां	श्री बरकतुल्ला खां
९४१	शीर्षक	अर्बन इम्प्रूवमेन्ट	राजस्थान नगर सुधार
९४५	शीर्ष	(श्री रामप्रसा लड्ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
९५३	प्रथम	के शीर्षक	के शीर्षक– ––७१९
९५३ (द्वितीय कोलम	२०	का सन्देश	का सन्देश– ––७७५
९५४	२	विधेयक, १९६२	विधेयक, १९६२–७७५
९५५-५६ ९५९का	शीर्षक	सोमवार, ४ मार्च, १९६३	संक्षिप्त विवरण–४मार्च, ६३-संक्षिप्त
प्रथम स्कम्म	१७	पाठलाशा	पाठशाला
९६१	३	traotors	tractors

१	२	३	४
९६४	३५	worshipper	Worshipers
९६६	–	३८×२५'	३८'×२५'
९६७	६	२५'×१६'	२५'×११'
९६९	स्कम्भ संख्या ५ पंक्ति संख्या ६	खद काश्त	खुदकाश्त
९७७	स्कम्भ संख्या ५ पंक्ति संख्या ३ व ७	खदकाश्त	खुदकाश्त
९८०			
द्वितीय स्कम्भ	२०	सरका	सरकार